

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20 के लिये**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2021 की प्रतिवेदन संख्या 7
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

वर्ष 2019-20 के लिये

**संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2021 की प्रतिवेदन संख्या 7
(वित्तीय लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

| शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|--|---------------|
| प्राक्कथन | i |
| विशिष्टताएं | iii-xiii |
| अध्याय 1: संघीय वित्तों का विहंगावलोकन | 1-38 |
| 1.1 प्रस्तावना | 1 |
| 1.2 संघ सरकार के लेखों की संरचना | 1 |
| 1.3 संघीय वित्तों की आशुचित्र | 2 |
| 1.4 संसाधन: निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग | 7 |
| 1.5 सी एफ आई की प्राप्तियां एवं संवितरण | 10 |
| 1.6 संघ सरकार की संपत्तियां एवं देनदारियां | 13 |
| 1.7 संसाधन निर्माण | 15 |
| 1.8 व्यय विश्लेषण | 24 |
| 1.9 लोक लेखे देनदारियां | 30 |
| 1.10 लोक ऋण प्रबन्धन | 33 |
| अध्याय 2: वित्त लेखों पर टिप्पणियां | 39-82 |
| 2.1 प्रस्तावना | 39 |
| 2.2 पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मामले | 39 |
| 2.3 लेखों की यथार्थता से सम्बंधित मामले | 45 |
| 2.4 डेटा अखंडता और पूर्णता के मामले | 61 |
| 2.5 ऋणों और अग्रिमों के विवरण के संबंध में मामले | 71 |
| 2.6 उपकर/ उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे | 74 |
| 2.7 मिलान और अनुचित लेखांकन से संबंधित मुद्दे | 78 |
| अध्याय 3: विनियोग लेखों पर टिप्पणियां | 83-121 |
| 3.1 विनियोग लेखों का विहंगावलोकन | 83 |
| 3.2 प्राधिकार से भिन्नता | 86 |
| 3.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान | 110 |

| | | |
|------|---|-----|
| 3.4 | लघु/उप शीर्षों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन | 110 |
| 3.5 | निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय | 111 |
| 3.6 | वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण व गैर- अभ्यर्पण | 111 |
| 3.7 | प्रावधान के संवर्धन हेतु विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता | 112 |
| 3.8 | व्यय का गलत वर्गीकरण | 114 |
| 3.9 | अनियमित बजटिंग तथा लेखांकन के अन्य उदाहरण | 117 |
| 3.10 | सरकार की प्रतिक्रिया | 121 |

अनुलग्नक

123-138

प्राक्कथन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखों और संघ सरकार के विनियोजन लेखों की नमूना लेखा परीक्षा से उद्भूत मामले शामिल हैं।

विशिष्टताएं

संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) का यह प्रतिवेदन संघ सरकार के वित्त लेखे (यू जी एफ ए) और संघीय सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखों का विश्लेषण करता है। यह प्रतिवेदन वित्त वर्ष 20 के लिए संघ सरकार के वित्त पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है और वित्त वर्ष 20 के लिये यू जी एफ ए तथा संघ सरकार के विनियोग लेखों पर सी ए जी की टिप्पणियां शामिल करता है।

अध्याय 1: संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

- राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में बजट अनुमानों (बी ई) की तुलना में संशोधित अनुमानों (आर ई) के स्तर पर ₹94,611 करोड़ की कमी रही। हालांकि, वास्तविक राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान से ₹2,05,344 करोड़ और कम थी। यह मुख्यतः 'निगम कर से अतिरिक्त आय पर कर' (₹66,652 करोड़), निगम कर (₹53,624 करोड़), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹19,929 करोड़), और गैर-कर राजस्व (₹57,349 करोड़) के प्रकरणों में आर ई की तुलना में वास्तविक के कम संग्रहण के कारण था। राजस्व व्यय के अनुमानों को आर ई स्तर पर ₹79,776 करोड़ कम किया परंतु वास्तविक राजस्व व्यय आर ई से ₹38,445 करोड़ और अधिक कम रहा। वह शीर्ष जिनके अंतर्गत वास्तविक राजस्व व्यय आर ई से उल्लेखनीय रूप से कम थे, में भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनों का कार्यरत व्यय (₹28,639 करोड़), ब्याज भुगतान (₹8,740 करोड़) और सामान्य शिक्षा (₹4,764 करोड़) सम्मिलित थे।
- गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के प्रकरण में "विविध पूंजीगत प्राप्तियां" के अंतर्गत वास्तविक, आर ई से ₹14,696 करोड़ कम थे, जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विनिवेश तथा मुद्राकरण से आय सम्मिलित थी। पूंजीगत व्यय के प्रकरण में, पूर्वोत्तर के लिए शीर्ष के अंतर्गत बचत को हटाकर, वास्तविक और आर ई के बीच अंतर (₹ 2,784 करोड़) आंशिक थे जिसमें बी ई से आर ई में ₹17,000 करोड़ बढ़ाए गए थे।

(पैरा 1.3)

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, संघ सरकार ने ₹1,21,07,987 करोड़ के कुल संसाधन जुटाए। सकल राजस्व प्राप्तियों में सम्मिलित कर राजस्व (₹20,10,059 करोड़),

गैर-कर राजस्व (₹5,88,328 करोड़) और बाह्य सहायता (₹373 करोड़) ने संसाधनों में 21 प्रतिशत का योगदान दिया। सरकार के कुल जुटाए संसाधन में ऋण प्राप्तियां (₹73,01,387 करोड़) 60 प्रतिशत थीं।

- वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधनों में से, 83 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर लगाए जिसमें ऋण पुनर्भुगतान (52 प्रतिशत), लोक लेखा दायित्वों का निर्वहन (17 प्रतिशत), ब्याज भुगतान (पांच प्रतिशत) और राज्यों को सकल कर प्राप्तियों के अनिवार्य हस्तांतरण (पांच प्रतिशत) सम्मिलित थे। शेष में से, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सहायता अनुदान के लेखांकन तथा अंत नकद शेष (चार प्रतिशत) के बाद सरकार के पास अपनी गतिविधियों पर खर्च के लिए सकल जुटाव का 17 प्रतिशत बचा था।

(पैरा 1.4)

- वित्त वर्ष 20 में कुल प्राप्तियां 7.23 प्रतिशत (₹6,28,286 करोड़) वर्ष दर वर्ष बढ़ गईं। गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.42 प्रतिशत (₹85,381 करोड़) वृद्धि और ऋण प्राप्तियों में 8.03 प्रतिशत (₹5,42,905 करोड़) की वृद्धि थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में कर राजस्व में ₹40,371 करोड़ की (तीन प्रतिशत) आंशिक वृद्धि रही जबकि गैर-कर राजस्व (एन टी आर) में ₹1,01,940 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि रही। एन टी आर के प्रकरण में, लाभांश/लाभ से प्राप्तियों में ₹72,715 करोड़ (64 प्रतिशत) की वृद्धि रही जोकि मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से आधिक्य/लाभांश की उच्चतर प्राप्ति के कारण थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में, प्रीमियम में कमी, यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम की प्राप्तियों में कमी और “राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय” की गैर-प्राप्ति के कारण गिरावट आई।
- वित्त वर्ष 20 में पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹3,53,749 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य तौर पर “सहायता अनुदान और अंशदानों” तथा “सामाजिक सेवाओं” पर उच्चतर व्यय के कारण थी। दूसरी तरफ, पूंजीगत लेखों पर व्यय में ₹11,779 करोड़ (2.95 प्रतिशत) की कमी आई जोकि यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण पर व्यय में कटौती के कारण था।

(पैरा 1.5)

- परिसंपत्ति के प्रकरण में, पिछले दो वर्षों के दौरान, संचयी पूंजीगत व्यय के 34 प्रतिशत में संघ सरकार का सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों में निवेश सम्मिलित था। शेष 66 प्रतिशत संचयी व्यय परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक कार्य आदि में अवसंरचना निर्माण के लिए था। देयताओं के प्रकरण में, वित्त वर्ष 19 में ₹70,74,941 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में ₹80,20,490 करोड़ के आंतरिक ऋण ने कुल देयताओं के लगभग 87 प्रतिशत का गठन किया।

(पैरा 1.6)

- वित्त वर्ष 16 से 20 के दौरान, सकल प्राप्तियों ने बढ़ती प्रवृत्ति दर्शायी परंतु वित्त वर्ष 20 में एक प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि दिखी। सकल कर राजस्व में वित्त वर्ष 17-19 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दिखी जबकि वित्त वर्ष 20 में वृद्धि नकारात्मक हो गयी। गैर-कर राजस्व में वित्त वर्ष 16-20 के दौरान बढ़ता-घटता क्रम दिखा, जिसमें वित्त वर्ष 20 में पर्याप्त मात्रा में उछाल था जो मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से आधिक्य लाभ के भाग (₹ 79,988 करोड़) से वृद्धि के कारण था।
- पिछले दो वित्त वर्षों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट हुई है। विनिवेश से प्राप्तियां, जोकि ऐसी प्राप्तियों का मुख्य भाग है, वित्त वर्ष 19 में ₹72,620 करोड़ से वित्त वर्ष 20 में ₹48,234 करोड़ तक घट गयी। वर्ष में विनिवेश प्राप्तियां, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (₹7,500 करोड़), राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (₹6,165 करोड़), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (₹5,719 करोड़), कोयला इंडिया लिमिटेड (₹5,673 करोड़), नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹4,000 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,850 करोड़), कामराजर पोर्ट लिमिटेड (₹2,383 करोड़), आई आर सी टी सी लिमिटेड (₹1,114 करोड़), भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (₹821 करोड़) आदि से संबंधित थी।

(पैरा 1.7)

- वित्त वर्ष 20 में ₹1,14,59,551 करोड़ के कुल संवितरण में, समेकित निधि से संवितरण 81.80 प्रतिशत (लोक ऋण से पुनर्भुगतान 55.20 प्रतिशत और समेकित निधि से कुल व्यय 26.60 प्रतिशत था) और शेष 18.20 प्रतिशत लोक

लेखा से था। समेकित निधि संवितरण में, लोक ऋण और ऋण व अग्रिम, दोनों के पुनर्भुगतान के भाग गिरावट की प्रवृत्ति में थे जबकि पिछले तीन वर्षों में राजस्व व्यय के भाग में वृद्धि हुई थी।

- पिछले पांच वर्षों में व्यय का क्षेत्रीय भाग स्थिर रहा है। हालांकि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के प्रकरण में सबसे अधिक वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई। आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में वित्त वर्ष 19 तुलना में वित्त वर्ष 20 में ₹43,131 करोड़ की वृद्धि देखी गई। यह मुख्य रूप से 'फसल कृषि व्यवस्था' (मुख्यतः पी एम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत) और 'खाद्य, भंडारण तथा माल-भंडारण' (खाद्य सब्सिडी) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।
- वित्त वर्ष 19 की तुलना में, वित्त वर्ष 20 में विभिन्न स्पष्ट सब्सिडियों पर व्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई जिससे सब्सिडी पर कुल व्यय 16.59 प्रतिशत बढ़ गया। हालांकि, खाद्य सब्सिडी पर व्यय की उल्लेखनीय ढंग से न्यूनोक्ति रही क्योंकि राष्ट्रीय लघु बचत निधि से वित्तपोषण किया गया था।

(पैरा 1.8)

- 31 मार्च 2020 तक, कुल बकाया लोक लेखा देयताएं ₹8,79,325 करोड़ दर्ज की गई जिसमें लघु बचत और भविष्य निधि के ₹5,74,881 करोड़ तथा अन्य दायित्वों के ₹3,04,444 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें, हालांकि, ₹9,99,409 करोड़ की देयताएं जो एन एस एस एफ द्वारा विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों (₹4,40,438 करोड़) और सरकारी उपक्रम (₹3,66,546 करोड़) में निवेश, डाक कार्यालय बीमा निधि से संबंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश और एन एस एस एफ के संचित घाटे (₹1,09,462 करोड़) से संबंधित थी, सम्मिलित नहीं थी।

(पैरा 1.9)

- 31 मार्च 2018 तक, संघ सरकार के कुल ऋण ₹66,51,365 करोड़ से 31 मार्च 2019 को ₹73,44,902 करोड़ तक बढ़ गए और पुनः 31 मार्च 2020 को ₹83,19,740 करोड़ तक बढ़े। हालांकि लोक ऋण पिछले तीन वर्षों में जी डी पी के 39-41 प्रतिशत के अंतराल में ही रहा। सात वर्षों के भीतर मोचन के कारण बाजार ऋण ₹23,54,267 करोड़ (लगभग बाजार ऋण का 37 प्रतिशत) रहा।

(पैरा 1.10)

- वास्तविक राजस्व घाटा बी ई स्तर और आर ई स्तर से क्रमशः 37.43 प्रतिशत और 33.36 प्रतिशत अधिक थी, जो मुख्यतः कम कर प्राप्तियां (आर आई स्तर पर ₹1,47,995 करोड़) और व्यय के उस अनुरूप संपीड़न न करने के कारण था। इसी प्रकार, वास्तविक राजकोषीय घाटा, बी ई और आर ई स्तर से तुलना पर क्रमशः ₹2,43,970 करोड़ तथा ₹1,69,001 करोड़ अधिक था, जोकि अनुमानित विविध पूंजीगत प्राप्तियों के कम होने के कारण था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में राजस्व लेखा में ₹10,31,126 करोड़ की एफ डी में से ₹6,67,237 करोड़ वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.66 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थे।

(पैरा 1.3 और 1.10.1)

अध्याय 2: वित्त लेखों पर टिप्पणियां

पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मामले

- लघु शीर्ष 800 का भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा सतत उपयोग किया गया। वित्त वर्ष 20 के दौरान, ₹39,838 करोड़ का कुल व्यय विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके अलावा, ₹16,892 करोड़ की प्राप्तियों को भी वित्त वर्ष 20 के दौरान 'लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

(पैरा 2.2.1)

- यू जी एफ ए के 16 विवरणियों में कुल 254 फुटनोट लेनदेन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण के लिए जोड़े गए। ये फुटनोट, हालांकि, महत्वपूर्ण लेनदेन से संबंधित थे परंतु संक्षिप्त और गुप्त थे व कुछ मामलों को साल दर साल बिना समाधान किए, दोहराया जा रहा था।

(पैरा 2.2.2.4)

लेखों की यथार्थता से संबंधित मुद्दे

- सिविल मंत्रालयों, डाक, दूरसंचार, रक्षा और रेलवे से संबंधित उचंत शीर्षों में केवल निविल शेष दिखाया गया और इस प्रकार इन शीर्षों के अंतर्गत अलग-अलग क्रेडिट व डेबिट शेष के वास्तविक परिमाण को प्रकट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, यू जी एफ ए के मुख्य तथा लघु शीर्ष स्तरों, दोनों में उचंत शेष की महत्वपूर्ण रूप से न्यूनोक्ति हुई। फलस्वरूप, पी ए ओ उचंत के अंतर्गत

8.3 प्रतिशत, उचंत लेखे (सिविल) के अंतर्गत 70.2 प्रतिशत और पी एस बी उचंत के अंतर्गत 35.5 प्रतिशत की दर से शेषों को गलत प्रस्तुत किया गया।

(पैरा 2.3.1.1)

- वित्त वर्ष 18 में, वर्ष के अंत तक आई जी एस टी में ₹1,76,688 करोड़ का शेष बाकी था। इसमें से, भारत सरकार ने केन्द्रीय कर के अंतरण के लिए वित्त आयोग के सूत्र को अपनाकर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आई जी एस टी के तहत ₹67,998 करोड़ का अंतरिम रूप से अंतरण किया। अनाबंटित आई जी एस टी शेष के मुद्दे पर 2019 की सी ए जी की प्रतिवेदन सं. 2 और पुनः प्रतिवेदन सं. 11 में चर्चा की गई। इसके बाद, मई 2020 में, इस मुद्दे पर सी ए जी की टिप्पणियों को उद्घृत करते हुए सरकार ने ₹1,76,688 करोड़ के आई जी एस टी शेष को केन्द्र और राज्यों को 50:50 के आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया तथा वित्त वर्ष 18 में अंतरिक आई जी एस टी का उत्क्रमण किया।

आई जी एस टी शेष के आंशिक रूप से समायोजन के लिए, जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में हस्तांतरण के लिए जून 2020 में ₹33,412 करोड़ की राशि के व्यय को संस्वीकृति दी गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹33,412 करोड़ के व्यय को जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से लेखों के बंद करने के बाद वित्त वर्ष 20 के लेखों में शामिल किया जबकि इसे वित्तीय वर्ष 21 में स्वीकृति दी गई, जिससे निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ। यह भी ध्यान में आया कि समायोजन या तो जर्नल प्रविष्टि (जे ई) में या यू जी एफ ए के सम्बंधित विवरणों में इन लेनदेनों द्वारा कवर किये गए विभिन्न खातों के शीर्षों के लिए सकल शब्दों में निहितार्थ के किसी भी प्रकटीकरण के बिना लेनदेन के शुद्ध प्रभाव के सन्दर्भ में किया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अधिक भुगतान के रूप में गणना की गई राशि को वित्तीय वर्ष 21 या बाद में देय मुआवजे के बजाय उस वर्ष से सम्बंधित आई जी एस टी की बकाया राशि के लिए समायोजित किया गया जैसा कि जी एस टी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 में प्रावधान है।

(पैरा 2.3.3)

- वित्त वर्ष 20 में ₹95,553 करोड़ उपकर के संग्रह के प्रति ₹1,53,910 करोड़ की राशि को जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण किया गया जोकि एकत्रण से ₹58,357 करोड़ अधिक अंतरण था। हालांकि, इस आधिक्य में जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से जून 2020 (वित्त वर्ष 20 के समापन के बाद) में ₹33,412 करोड़ की राशि का अंतरण शामिल था। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक ₹47,272 करोड़ की राशि के कम अंतरण की तुलना में 31 मार्च 2020 तक वित्त वर्ष 20 में समेकित निधि के कुल एकत्रण से ₹24,945 करोड़ का अधिक अंतरण था। अतः 31 मार्च 2020 तक पिछले वर्षों में एकत्रित किये गये ₹22,327 करोड़ के क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में अभी भी किया जाना बाकी था।

(पैरा 2.3.4)

- वित्तीय वर्ष 20 के दौरान बाह्य ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण ₹3,108 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया। हालांकि, वर्ष के दौरान उसी राशि को बाह्य ऋण की प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया जोकि सरकारी लेखांकन नियमों के तहत प्रावधान के विपरीत था।

(पैरा 2.3.7)

डेटा अखंडता और पूर्णता के मामले

- तीन मंत्रालयों/विभागों के लेखांकन प्राधिकरण (रसायन एवं उर्वरक-फार्मास्युटिकल उद्योग और नागर विमानन) वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹2,027 करोड़ के गारंटी शुल्क की वसूली में विफल रहें।

(पैरा 2.4.1)

- यू जी एफ ए के विवरणी 11 में प्रकृति, निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, पूंजी और संघ सरकार की 45 इकाइयों में निवेश के प्रतिशत पर अपूर्ण सूचना थी जबकि 22 इकाइयों में वित्त वर्ष 20 में निवेश/विनिवेश के बावजूद भी इक्विटी शेयर की प्रतिशतता पूर्व वर्ष से अपरिवर्तित रही। इसके अलावा तीन इकाइयों के संबंध में, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत तथा विवरणी 11 में दर्शाये गए विनिवेश ब्यौरे बेमेल थे।

(पैरा 2.4.3 और 2.4.4)

- यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) ने अपने पास रखे गए शेयरों के एक हिस्से का निपटान किया और विक्रय से प्राप्त आय के साथ-साथ निवेश से आय को वित्त वर्ष 20 के दौरान संघ सरकार को हस्तांतरित कर दिया। ₹2,069.86 करोड़ की प्राप्तियों को यू जी एफ ए में मुख्य शीर्ष 4000 'विविध पूंजीगत प्राप्तियां' के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियां' (लघु शीर्ष 800) में लेखांकित किया। हालांकि इन प्राप्तियों को गैर-कर राजस्व के रूप में दर्ज किया जाना था।

(पैरा 2.4.7)

उपकर/ उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे

- संसद ने वित्त वर्ष 20 के बजट प्राक्कलन में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) की राशि ₹8,350 करोड़ का सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) में अंतरण को संस्वीकृति दी थी। वित्त वर्ष 20 में यू ए एल की कुल संगृहीत राशि ₹7,961.53 करोड़ की तुलना में यू एस ओ निधि में केवल ₹2,926 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यू एस ओ निधि में ₹5,035.53 करोड़ राशि का कम हस्तांतरण हुआ।

(पैरा 2.6.1)

- वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 20 की अवधि के लिये यू जी एफ ए के विवरण 8 के अनुसार, कच्चे तेल पर संग्रहीत कुल उपकार ₹1,28,461 करोड़ था। उपर्युक्त वर्षों के लिये यू जी एफ ए का विवरण 9 दर्शाता है कि उपकर की कुल आय में से कोई धनराशि तेल उद्योग विकास बोर्ड को हस्तांतरित नहीं हुई थी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा उपकर के माध्यम से ₹72,384 करोड़ के संग्रहण के प्रति विगत पाँच वर्षों के दौरान तेल उद्योग के विकास संबंधित गतिविधियों पर केवल ₹15,506 करोड़ खर्च किये गये थे।

(पैरा 2.6.3)

- यद्यपि चार प्रतिशत की समग्र दर से नया स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर पेश किया गया परन्तु वित्त वर्ष 20 के लिये बी ई और आर ई ने इस उपकर की आय को पूर्ववर्ती प्राथमिक शिक्षा कोष और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष के लिये हस्तांतरित करना जारी रखा जिसे क्रमशः प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के लिये बनाया गया था। इसके अलावा,

उपकर से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये किसी भी प्रकार का व्यय परिकल्पित नहीं किया गया था और न ही इस उद्देश्य के लिये समर्पित कोष सृजित किया गया था।

(पैरा 2.6.4)

- यू जी एफ ए के विवरण 8 और 13 एवं बजट विवरण की जानकारी से पता चला है कि विवरण 13 ने केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी आर आई एफ) के बजाय केन्द्रीय सड़क निधि के रूप में निधि को चित्रित करना जारी रखा। इसके अलावा, सी आर आई एफ अधिनियम के तहत ₹1,22,440 करोड़ उपकर के कुल संग्रहण के प्रति संसद ने विनियोग के लिये ₹1,22,369 करोड़ की मंजूरी दी। हालांकि, निधि में वास्तविक हस्तांतरण केवल ₹90,252 करोड़ था। लघु हस्तांतरण का एक हिस्सा रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा निधि और विद्युत मंत्रालय द्वारा (अन्य निधियों) में क्रमशः ₹17,250 करोड़ और ₹4,380 करोड़ के त्रुटिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण के कारण था।

(पैरा 2.6.5)

मिलान और अनुचित लेखांकन से संबंधित मुद्दे

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृत राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के स्थान पर पूंजीगत शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण के लिये ₹5,000 करोड़ राशि का लोक लेखा में अंतरण किया। इसके अलावा, निधि से किए गए ₹5,000 करोड़ के व्यय को अनुमोदित शीर्ष 5054.01.337 के स्थान पर शीर्ष 5054.01.190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। यद्यपि वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रिकरण से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी, मुद्रिकरण से प्राप्त आय की जगह सकल बजटीय सहायता के द्वारा निधि को राशि हस्तांतरित की गई थी। इन निधियों का उपयोग सड़क कार्य के बजाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय करने के लिये किया गया था।

(पैरा 2.7.1)

- वित्तीय वर्ष 20 में, शत्रु सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त ₹1,882.40 करोड़ की राशि को नये खोले गये लेखाशीर्ष 4000.05.101-वित्तीय परिसम्पत्तियों की

ब्रिक्री के स्थान पर लेखाशीर्ष 4000.04.190.22.01.00 - भारत की अभिरक्षक सम्पत्ति में दर्ज किया गया था।

(पैरा 2.7.3)

अध्याय 3: विनियोग लेखों पर टिप्पणियां

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, प्राधिकरण की तुलना में ₹32,637.79 करोड़ से अधिक का संवितरण हुआ जिसमें रक्षा मंत्रालय के दो अनुदान और राजस्व विभाग (डी ओ आर) से संबंधित एक अनुदान शामिल था। डी ओ आर से संबंधित अधिकता के मामले में ₹31,934.48 करोड़ की अधिक राशि का कारण वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी की शेष राशि का जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि में हस्तांतरण बताया गया है। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला है कि अत्यधिक व्यय से बचा जा सकता था अगर सरकार आई जी एस टी के कम हस्तांतरण के मामले को हल करने के लिये समय पर कार्रवाई करती। यह मामला सी ए जी के प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था जो कि फरवरी/जुलाई 2019 से सरकार के पास उपलब्ध थे और सरकार के पास (अनुपूरक अनुदान द्वारा) आवश्यक प्रावधान करने की गुंजाइश थी।

(पैरा 3.2.1)

- वित्त वर्ष 20 के दौरान, सभी अनुदानों और विनियोगों के अन्तर्गत कुल बचत ₹4,10,158.38 करोड़ थी जो कुल प्राधिकरण का 3.97 प्रतिशत था। 61 अनुदानों/विनियोगों के 74 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई जिसकी कुल राशि ₹4,07,358.03 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 13 अनुदानों/ विनियोगों में से छः में वित्त वर्ष 19 और वित्त वर्ष 18 में भी इतनी बड़ी बचत थी।

(पैरा 3.2.2)

- ₹1,65,250 करोड़ की बचत व्यय के नियमन के कारण हुई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम की संशोधित अनुमान स्तर पर ₹76,000 करोड़ की खाद्य सब्सिडी में कटौती, एफ सी आई को अर्थोपाय अग्रिम जारी न करने के कारण ₹50,000 करोड़, राष्ट्रीय निवेश निधि/ केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में ₹27,473.27 करोड़ के कम हस्तांतरण आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ₹94,289 करोड़ की बचत योजनाओं एवं गतिविधियों के

क्रियान्वयन में अन्तराल और कमियों को दर्शाती हैं जबकि ₹58,097 करोड़ की बचत अवास्तविक बजट अनुमान के कारण थी। इसके अलावा, ₹21,300 करोड़ की बचत आरक्षित निधि में निधियों का अंतरण न करने के कारण थी।

(पैरा 3.2.2.3)

- 25 उपशीर्षों में, 14 अनुदानों/ विनियोगों के अंतर्गत ₹2,168.90 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान उच्चतर व्यय की प्रत्याशा में वित्त वर्ष 20 में प्राप्त किये गये थे लेकिन अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था।

(पैरा 3.3)

- अनुदान/ विनियोग जिसमें ₹100 करोड़ या उससे अधिक की राशि का अभ्यर्ण/ व्यपगत था, की संवीक्षा से पता चला कि 33 अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में ₹1,70,103.02 करोड़ या तो 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किये गये थे या इन्हें व्यपगत होने दिया गया।

(पैरा 3.6)

- पी एस बी उचंत शीर्ष के अंतर्गत सिविल पेंशन व्यय के संबंध में ₹9,745.49 करोड़ तथा रक्षा पेंशन व्यय के संबंध में ₹17,045.71 करोड़ के शेष संचित हो गये थे। यह संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखों में पेंशन स्क्रोल के गैर निपटान के कारण था जिसके परिणामस्वरूप व्यय में कमी एवं आगामी वर्षों में देयता का स्थगन हुआ।

(पैरा 3.9.1)

1 अध्याय

संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

अध्याय

1

संघीय वित्तों का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सम्मिलित होते हैं। संघ सरकार वित्त खाते (संघीय वित्त लेखे) भारत की समेकित निधि (सी एफ आई), आकस्मिक निधि तथा लोक खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे व्यय की तुलना संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों से करते हैं तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत दो निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के मध्य भिन्नता के लिए कार्यपालिका का स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 संघीय वित्तों का एक अवलोकन प्रदान करता है; अध्याय 2 में वित्त लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ¹ सम्मिलित हैं; तथा अध्याय 3 में लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ-साथ विनियोग लेखों का एक अवलोकन सम्मिलित है।

1.2 संघ सरकार के लेखों की संरचना

संघ सरकार के वित्तों को तीन भागों में रखा जाता है:

- अ. **भारत की समेकित निधि:** इसमें भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों, ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू एम ए) को जारी कर उस सरकार द्वारा एकत्र किए गए समस्त ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं जो भारत की समेकित निधि का हकदार होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं।
- ब. **भारत की आकस्मिकता निधि:** यह एक अग्रदाय की प्रकृति में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी जाती है जो उन्हें संसद द्वारा प्राधिकरण के लंबित रहने तक, तत्काल अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम देने हेतु सक्षम बनाती है।
- स. **लोक लेखे:** सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त, जो समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य लेनदेन भी सरकारी लेखों के अंतर्गत रखे जाते हैं,

¹ इस रिपोर्ट में राशियों को पूर्णांकित किया गया है।

जिसके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमा आदि से संबंधित लेनदेन इसके कुछ उदाहरण हैं।

1.3 संघीय वित्तों की आशुचित्र

यह खंड बजट प्राप्तियों और संवितरण (दोनों पर बजट अनुमानों, (बी ई स्तर) एवं संशोधित अनुमानों, (आर ई स्तर) के साथ वित्त वर्ष 20 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय को दर्शाता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए नियोजित और वास्तविक मूल्यों का भी वर्णन किया गया है। यह विवरण तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: संघीय वित्तों की आशुचित्र (वित्त वर्ष 20)

(₹ करोड़ में)

| क्रमांक | विवरण | बजट अनुमान (बी ई) ^अ | संशोधित अनुमान (आर ई) ^अ | वास्तविक | बी ई से वास्तविक की भिन्नता (प्रतिशत) ^आ | आर ई से वास्तविक की भिन्नता (प्रतिशत) ^आ |
|---------|---|-----------------------------------|--|-------------|---|---|
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | 22,48,038 | 21,53,427 | 19,48,083 | -2,99,955 (-13.34) | -2,05,344 (-9.54) |
| | कर राजस्व ^ब | 16,52,062 | 15,07,377 | 13,59,382 | -2,92,680 (-17.72) | -1,47,995 (-9.82) |
| | गैर-कर राजस्व ^ब | 5,95,976 | 6,46,050 | 5,88,701 | -7,275 (-1.22) | -57,349 (-8.88) |
| 2 | विविध पूंजीगत प्राप्तियां ^क | 1,05,000 | 65,045 | 50,349 | -54,651 (-52.05) | -14,696 (-22.59) |
| 3 | ऋण व अग्रिमों की वसूली | 66,203 | 54,279 | 18,647 | -47,556 (-71.83) | -35,632 (-65.65) |
| 4 | कुल गैर ऋण प्राप्तियां (1+2+3) | 24,19,241 | 22,72,751 | 20,17,079 | -4,02,162 (-16.62) | -2,55,672 (-11.25) |
| 5 | लोक ऋण की प्राप्ति | 66,70,617 | 71,91,850 | 73,01,387 | 6,30,770 (9.46) | 1,09,537 (1.52) |
| 6 | सी एफ आई में कुल प्राप्तियां (4+5) | 90,89,858 | 94,64,601 | 93,18,466 | 2,28,608 (2.51) | -1,46,135 (-1.54) |
| 7 | लोक लेखे प्राप्तियां ^क | 16,43,054 | 18,44,762 | 20,27,744 | 3,84,690 (23.41) | 1,82,982 (9.92) |
| 8 | कुल प्राप्तियां (6+7) | 1,07,32,912 | 1,13,09,363 | 1,13,46,210 | 6,13,298 (5.71) | 36,847 (0.33) |
| 9 | आकस्मिकता निधि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | राजस्व व्यय | 27,33,541 | 26,53,765 | 26,15,320 | -1,18,221 (-4.32) | -38,445 (-1.45) |
| 11 | पूंजीगत व्यय | 3,81,432 | 3,98,432 | 3,87,744 | 6,312 (1.65) | -10,688 (-2.68) |
| 12 | ऋण एवं अग्रिम | 91,424 | 82,679 | 45,141 | -46,283 (-50.62) | -37,538 (-45.40) |
| 13 | कुल व्यय (10+11+12) | 32,06,397 | 31,34,876 | 30,48,205 | -1,58,192 (-4.93) | -86,671 (-2.76) |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 14 | लोक ऋणों का पुनर्भुगतान | 59,83,187 | 63,46,389 | 63,26,549 | 3,43,362 (5.74) | -19,840 (-0.31) |
| 15 | सी एफ आई से कुल वितरण (13+14) | 91,89,584 | 94,81,265 | 93,74,754 | 1,85,170 (2.01) | -1,06,511 (-1.12) |
| 16 | लोक लेखे संवितरण ^३ | 15,94,386 | 18,28,099 | 20,05,420 | 4,11,034 (25.78) | 1,77,321 (9.70) |
| 17 | कुल संवितरण (15+16) | 1,07,83,970 | 1,13,09,364 | 1,13,80,174 | 5,96,204 (5.53) | 7,08,10 (0.63) |
| 18 | राजस्व घाटा (10-1) | 4,85,503 | 5,00,338 | 6,67,237 | 1,81,734 (37.43) | 1,66,899 (33.36) |
| 19 | राजकोषीय घाटा ^४ (13-4) | 7,87,156 | 8,62,125 | 10,31,126 | 2,43,970 (30.99) | 1,69,001 (19.60) |

अ. बी ई व संशोधित अनुमान आंकड़े वार्षिक वित्तीय विवरण (2020-21) से लिए गए हैं

आ. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत भिन्नता दर्शाते हैं।

इ. संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत राज्यों को सौंपी गयी आय ₹8,09,133.02 करोड़ (बजट अनुमान), ₹6,56,046.07 करोड़ (संशोधित अनुमान) एवं ₹6,50,677.05 करोड़ (वास्तविक) पर कर सम्मिलित नहीं हैं।

ई. सहायता अनुदान एवं योगदान सम्मिलित हैं।

उ. बोनस शेयर (नगद निरपेक्ष) का मूल्य: ₹44.96 करोड़; सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग्स का विनिवेश: ₹9009.81 करोड़; सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में इक्विटी होल्डिंग्स के विनिवेश पर प्राप्त प्रीमियम: ₹39224.65 करोड़; एवं अन्य प्राप्तियां: ₹2,069.86 करोड़ - एसयूटीआई आदि का विक्रय सम्मिलित है

ऊ. उचत एवं विविध शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि सम्मिलित नहीं है

ॠ. बजट (2021-22) के सार के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹9,33,651 करोड़ है। तथापि, वित्त लेखों के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹10,31,126 करोड़ है। ₹97,475 करोड़ का शुद्ध अंतर राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता की प्राप्तियों (₹20,607 करोड़), पूंजी डालने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹65,443 करोड़), एशियाई विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां (₹540 करोड़), सरकारी कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली (₹121 करोड़), आई आई एफ सी एल को इक्विटी समर्थन के लिए जारी किये गए बांड (₹5,298 करोड़), जारी किये गए बोनस शेयर (₹45 करोड़), एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम (₹ 550 करोड़), आई डी बी आई बैंक लिमिटेड को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹4,557 करोड़) तथा ₹314 करोड़ के अनसुलझे अंतर को सम्मिलित न करने के कारण है।

स्रोत: वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 21

राजस्व प्राप्तियां

यद्यपि केंद्र सरकार ने बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों के स्तर पर राजस्व प्राप्तियों में काफी कमी की परिकल्पना की थी, वास्तविक राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमान की तुलना में कम (₹2,05,344 करोड़) थीं।

कर राजस्व के प्रकरण में, यद्यपि बजट अनुमान संशोधित अनुमान से कम था (₹1,44,685 करोड़), वास्तविक संशोधित अनुमान से और कम रहे (₹1,47,995 करोड़)। यह मुख्य रूप से 'निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर' (₹66,652 करोड़); निगम कर (₹53,624

करोड़); केंद्रीय माल एवं सेवा कर (₹19,929 करोड़) के प्रकरण में संग्रह² संशोधित अनुमान से कम होने के कारण था।

गैर-कर राजस्व (एन टी आर) के लिए, ब्याज प्राप्तियों, लाभांशों और लाभों (₹58,874 करोड़) के अनुमानों में तेज वृद्धि के कारण संशोधित अनुमान, बजट अनुमान से अधिक था, यद्यपि "अन्य गैर-कर राजस्व" के अनुमान (₹9,046 करोड़) बजट अनुमान की तुलना में कम हो गए थे। तथापि, वास्तविक, बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान दोनों से कम थे। संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक में कमी, "लाभांश एवं लाभ" (₹13,760 करोड़), "भारतीय रेलवे - राजस्व प्राप्तियां - वाणिज्यिक लाइनें" (₹31,476 करोड़), "सड़कें व पुल" (₹11,194 करोड़) एवं डाक प्राप्तियों (₹5,645 करोड़) के प्रकरण में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि, वास्तविक कुछ शीर्षों जैसे "ब्याज प्राप्तियां" (₹12,861 करोड़) एवं "अन्य संचार सेवाएं" (₹10,856 करोड़) के अंतर्गत अनुमानों से अधिक थे, जो आंशिक रूप से अन्य शीर्षों के अंतर्गत कमी की भरपाई करते हैं। इस प्रकार एन टी आर के प्रकरण में कुल कमी ₹57,349 करोड़ थी।

पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां एवं ऋण प्राप्तियां दोनों सम्मिलित हैं। गैर-ऋण प्राप्तियां विविध पूंजीगत प्राप्तियां तथा "ऋण एवं अग्रिम की वसूली" को समाहित करती हैं।

विविध पूंजी प्राप्तियों में मुख्य रूप से विनिवेश से प्राप्त आय तथा "राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय" सम्मिलित हैं। संशोधित अनुमान स्तर पर अनुमानों में पर्याप्त कमी आयी थी (₹39,955 करोड़)। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियाँ और कम थीं (₹14,696 करोड़)। यह मुख्य रूप से बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान के ₹ 10,000 करोड़ के विरुद्ध "राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय" के अंतर्गत "शून्य" संग्रह के कारण था।

"ऋण और अग्रिम की वसूली" के प्रकरण में, अनुमानों को संशोधित अनुमान स्तर (₹11,924 करोड़) पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों, आदि से लघुतर प्रत्याशित वसूली के कारण कम किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा सांविधिक निकायों से ऋणों एवं अग्रिमों की कम वसूली के कारण वास्तविक वसूली अभी भी कम

² ये सकल संग्रह हैं क्योंकि बजट प्रपत्रों में प्रत्येक कर के लिए शुद्ध संग्रह हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(₹35,632 करोड़) थी। ये भिन्नताएँ मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को बजट अनुमान में प्रदान किए गए डब्ल्यू एम ए स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण थीं। चूंकि स्वयं अग्रिम का संवितरण नहीं किया गया था, इस कारण से वसूली भी नहीं हो सकी जिसके कारण कमी हुई।

कुल मिलाकर, सी एफ आई में वास्तविक गैर-ऋण प्राप्तियां संशोधित अनुमान से ₹2,55,672 करोड़ तथा बजट अनुमान से ₹4,02,162 करोड़ कम रही।

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का अनुमान संशोधित अनुमान स्तर (₹79,776 करोड़) पर घटाया गया था। जिन शीर्षों के अंतर्गत अनुमानों को पर्याप्त रूप से कम किया गया उनमें ब्याज भुगतान (₹12,851 करोड़), फसल पालन (₹21,594 करोड़), खाद्य सब्सिडी (₹77,012 करोड़)³ तथा भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइनें (₹5,551 करोड़), एवं राज्य सरकार को सहायता अनुदान (जी आई ए) (₹10,653 करोड़) सम्मिलित हैं। यह "पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ" (₹9,848 करोड़), प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (₹9,995 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹11,002 करोड़) तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जी आई ए (₹18,466 करोड़)⁴ के अंतर्गत संशोधित अनुमान स्तर पर अनुमानों में वृद्धि से आंशिक रूप से कम हो गया था। वास्तविक, यद्यपि, संशोधित अनुमान (₹38,445 करोड़) से और नीचे थे।

वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के मध्य अंतर के विश्लेषण ने दर्शाया कि 36 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक राजस्व व्यय संशोधित अनुमान से ₹65,920 करोड़ अधिक था। यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से जी आई ए के अंतर्गत राज्य सरकारों (₹48,017 करोड़) को अतिरिक्त धनराशि लेखांकित किये जाने के कारण था, जिसमें एकीकृत माल और सेवा कर (आई जी एस टी) के कम हस्तांतरण के समायोजन के माध्यम से जी एस टी मुआवजा उपकर कोष में सी एफ आई से ₹32,710 करोड़ का अतिरिक्त हस्तांतरण सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वास्तविक ब्याज भुगतान एवं "अन्य संचार सेवाओं" (₹5,037 करोड़) के प्रकरण में संशोधित अनुमान से अधिक हो गया। 68 प्रमुख शीर्षों⁵ के प्रकरण में, वास्तविक राजस्व व्यय संशोधित अनुमान से ₹60,243 करोड़ कम रहा।

³ इसके स्थान में एन एस एस एफ से ₹63,600 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया।

⁴ लद्दाख के नये संघ राज्य क्षेत्र के लिये।

⁵ ₹44,272 करोड़ के प्रावधान के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित एमएच 2552 को छोड़कर, जो केवल एक पास-थ्रू शीर्ष है, अथवा संबंधित कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत व्यय के साथ बजट प्रावधान है।

भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनों के संचालन व्यय (₹28,639 करोड़), ब्याज भुगतान (₹8,740 करोड़) तथा सामान्य शिक्षा (₹4,764 करोड़) में महत्वपूर्ण कमी देखी गयी।

पूँजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण

पूँजीगत व्यय के लिए संशोधित अनुमान, "रक्षा" (₹7,000 करोड़), "उद्योग व खनिज" (₹5,658 करोड़) तथा "सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश" (₹4,848 करोड़) के अनुमानों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹17,000 करोड़ के बजट अनुमान से अधिक था। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए शीर्ष के अंतर्गत बचत को छोड़कर, वास्तविक एवं संशोधित अनुमान (₹ 2,784 करोड़) के बीच अंतर मामूली था।

ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के प्रकरण में, अनुमानों को संशोधित अनुमान के स्तर पर ₹8,745 करोड़ कम किया गया था। अंततः, वास्तविक संवितरण संशोधित अनुमान से ₹37,538 करोड़ की राशि से कम था। इसका कारण यह था कि एफ सी आई को डब्ल्यू एम ए के प्रावधान हेतु पहले संशोधित अनुमान स्तर में ₹14,000 करोड़ से कम किया गया था लेकिन अंत में एफ सी आई को कोई डब्ल्यू एम ए प्रदान नहीं किया गया था। इसी तरह, ₹1,000 करोड़ के "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण" का प्रावधान भी पूरी तरह से अप्रयुक्त था।

राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा

वास्तविक राजस्व घाटा बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान से क्रमशः 37.43 प्रतिशत एवं 33.36 प्रतिशत से अधिक हो गया। यह बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में कर व गैर-कर राजस्व प्राप्तियों दोनों के वास्तविक में कमी के कारण था। यद्यपि बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय में कुछ कमी प्राप्त की गई थी लेकिन वह राजस्व प्राप्तियों में कमी के अनुरूप नहीं थी।

इसी प्रकार, वास्तविक राजकोषीय घाटा भी जो बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान दोनों स्तरों पर अनुमानित अनुमान से अधिक था, क्रमशः ₹2,43,970 करोड़ तथा ₹1,69,001 करोड़ से अधिक था। यह वास्तविक विविध पूँजी प्राप्तियों में कमी के कारण था जबकि पूँजीगत व्यय को कम करने की गुंजाइश सीमित थी।

अतिरिक्त लोक ऋण

बजट अनुमान के स्तर पर अनुमानित अतिरिक्त लोक ऋण ₹6,87,430 करोड़ था। संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बढ़ाकर ₹8,45,461 करोड़ करने का अनुमान लगाया गया था। अनुबंधित वास्तविक अतिरिक्त लोक ऋण यद्यपि बहुत अधिक ₹9,74,838 करोड़ था। यह, कुल मिलाकर, राजस्व घाटे एवं वास्तविक के अनुमानों में भिन्नता को दर्शाता है।


1.4 संसाधन: निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, संघ सरकार ने ₹1,21,07,987 करोड़ के कुल संसाधन जुटाए, जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों⁶ के लिए किया गया था।

1.4.1 निधियों के स्रोत

आकृति 1.1: निधियों के स्रोत

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

धन के स्रोतों का पुनः विवरण इस प्रकार है:

⁶ इस खंड में उपयोग किए गए आंकड़े सकल आंकड़े हैं, जो तालिका 1.1 के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, जो शुद्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

आकृति 1.2: निधियों के स्रोतों का विवरण



स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे


कर राजस्व (₹20,10,059 करोड़), गैर-कर राजस्व (₹5,88,328 करोड़) तथा बाह्य सहायता (₹373 करोड़) से युक्त सकल राजस्व प्राप्ति ने संसाधनों का 21 प्रतिशत योगदान दिया। कर राजस्व के अंतर्गत, प्रत्यक्ष कर ₹10,49,549 करोड़ (52 प्रतिशत) एवं अप्रत्यक्ष कर ₹9,60,510 करोड़ (48 प्रतिशत) था। गैर-कर राजस्व प्राप्ति में रेलवे राजस्व (₹1,74,695 करोड़), लाभांश (₹1,86,142 करोड़), संचार प्राप्ति (₹83,404 करोड़) तथा विविध सामान्य प्राप्ति (₹21,238 करोड़) सम्मिलित हैं।

पूंजीगत प्राप्ति के दो घटक होते हैं। प्रथम है ऋण प्राप्ति (₹73,01,387 करोड़) जो भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण करती है तथा वर्ष की कुल सकल प्राप्ति का 60 प्रतिशत योगदान करती है। द्वितीय गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति है जिसमें विविध पूंजी प्राप्ति (₹50,349 करोड़) एवं ऋण तथा अग्रिम की वसूली (₹18,647 करोड़) सम्मिलित हैं। पूर्व में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय सम्मिलित थी। दूसरे घटक से प्राप्त आय कुल सकल प्राप्ति के एक प्रतिशत (0.57 प्रतिशत) से कम थी तथा वास्तविक या संभावित परिसंपत्ति आधार में कमी का प्रतिनिधित्व करती थी।

सार्वजनिक लेखा प्राप्ति का कुल संसाधन जुटाने में 18 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

1.4.2 निधियों का अनुप्रयोग

आकृति 1.3: निधियों का अनुप्रयोग




स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

निधियों के अनुप्रयोग का पुनः विवरण इस प्रकार है:

आकृति 1.4: निधियों के अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल संसाधनों में से 83 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर लगाया गया, जिसमें ऋण की अदायगी (52 प्रतिशत), लोक लेखे देदारियों का निर्वहन (17 प्रतिशत), ब्याज भुगतान (पांच प्रतिशत) तथा राज्यों को सकल कर प्राप्तियों का अनिवार्य भाग (पांच प्रतिशत) है। शेष राशि से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान एवं नकद शेष (चार


प्रतिशत) के लिए लेखांकन करने के पश्चात्, सरकार के पास स्वयं की गतिविधियों पर व्यय करने के लिए अपने सकल संग्रहण का 17 प्रतिशत बचा था।

1.5 सी एफ आई की प्राप्तियां एवं संवितरण

वित्त वर्ष 20 के लिए भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) में प्राप्तियां एवं संवितरण तथा पिछले चार वर्षों में विकास दर आकृति 1.5 व 1.6 में दी गई है।

आकृति 1.5: प्राप्तियां तथा संवितरण - सी एफ आई (वित्त वर्ष 20)

(₹ करोड़ में)




* कर राजस्व से राज्यों को दी गई आय को छोड़कर निवल आंकड़े

स्रोत: वित्त वर्ष 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

आकृति 1.6: प्राप्तियों एवं संवितरण की वृद्धि दर - सी एफ आई

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त वर्षों 17 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 में वर्ष-दर-वर्ष कुल प्राप्तियों में 7.23 प्रतिशत (₹6,28,286 करोड़) की वृद्धि हुई। गैर-ऋण प्राप्तियों में 4.42 प्रतिशत (₹85,381 करोड़) की वृद्धि हुई तथा ऋण प्राप्तियों में 8.03 प्रतिशत (₹5,42,905 करोड़) की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि निम्नलिखित प्रकरणों में महत्वपूर्ण थी:

- i. सीजी एस टी से ₹39,860 करोड़ (14.79 प्रतिशत) तथा निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर करों में ₹40,061 करोड़ (15 प्रतिशत) से आई प्राप्तियों से प्रमुख वृद्धियों के साथ, कर राजस्व में मामूली वृद्धि ₹40,371 करोड़ (तीन प्रतिशत) हुई। यह निगम कर (₹ 63,707 करोड़) के अंतर्गत संग्रह में कमी से समायोजित हो गयी थी।
- ii. गैर-कर राजस्व में ₹1,01,940 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें से लाभांशों/लाभों से प्राप्तियां से ₹72,715 करोड़ (64 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियों से ₹29,798 करोड़ (110 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा 'अन्य संचार सेवाओं से ₹29,031 करोड़ (71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लाभांशों/लाभों के अंतर्गत उच्च प्राप्तियां मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष/लाभांश की उच्च प्राप्तियों के कारण थीं।
- iii. गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वित्त वर्ष 19 की तुलना में ₹56,240 करोड़ कम थीं। कमी के कारणों में विनिवेशित इक्विटी (₹28,946 करोड़) के अंकित मूल्य पर 42 प्रतिशत कम प्राप्त प्रीमियम सम्मिलित है। कुल विनिवेश पर प्रीमियम वित्त वर्ष 19 में 94 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 20 में 81 प्रतिशत हो गया। यह मुख्य रूप से वित्त वर्ष 20 में वित्त वर्ष 19 की तुलना में एसयूटीआई⁷ प्राप्तियों के ₹10,356 करोड़ (83 प्रतिशत) कम होने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से आय की प्राप्ति न होने के कारण था।

पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 20 में राजस्व व्यय में ₹3,53,749 करोड़ (15.64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का अधिकांश भाग "सहायता अनुदान व योगदान" (₹1,48,020 करोड़, 38.68 प्रतिशत) और "सामाजिक सेवाओं" (₹28,355 करोड़, 26.40 प्रतिशत) पर अधिक व्यय के कारण था। "सामान्य सेवाओं" तथा "आर्थिक सेवाओं" पर व्यय में वृद्धि

⁷ एसयूटीआई - स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

क्रमशः ₹1,10,483 करोड़ (10.03 प्रतिशत) एवं ₹66,891 करोड़ (9.99 प्रतिशत) थी। इसके अतिरिक्त, "सहायता अनुदान व योगदान" में वृद्धि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जी एस टी के कार्यान्वयन (₹47,699 करोड़; ₹3,524 करोड़) से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए भुगतान की गयी उच्च क्षतिपूर्ति तथा स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए अनुदानों (₹24,297 करोड़) के कारण थी।

सामान्य सेवाओं पर व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹54,350 करोड़ की सबसे बड़ी वृद्धि ब्याज भुगतानों पर थी। अन्य महत्वपूर्ण वृद्धियां पेंशन व विविध (₹26,968 करोड़), रक्षा सेवाओं (₹11,414 करोड़) तथा पुलिस (₹9,555 करोड़) पर थीं। आर्थिक सेवाओं में, सबसे बड़ी वृद्धि फसल पालन में - मुख्य रूप से पीएम किसान सम्मान निधि (₹48,714 करोड़) तथा पेट्रोलियम (₹14,086 करोड़) के अंतर्गत देखी गई।

दूसरी ओर, पूंजीगत खाते पर व्यय ₹11,779 करोड़ (2.95 प्रतिशत) घट गया, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण पर व्यय में कमी है।

1.6 संघ सरकार की संपत्तियां एवं देनदारियां

केंद्र सरकार की संपत्तियों एवं देनदारियों की स्थिति का अवलोकन तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की संपत्तियां एवं देनदारियां

(₹ करोड़ में)

| संपत्तियां | 31 मार्च 2019 तक | 31 मार्च 2020 तक | वृद्धि दर |
|--|------------------|------------------|-----------|
| सकलपूँजी परिव्यय - कंपनियों, सहकारी समितियों आदि के शेयरों में निवेश | 9,89,546 | 11,28,168 | 14.01% |
| अन्य पूंजीगत व्यय | 19,16,969 | 21,59,706 | 12.66% |
| सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों, स्थानीय निधियों, कृषक आदि को ऋण | 1,25,546 | 1,43,247 | 14.10% |
| राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को ऋण | 1,71,531 | 1,80,814 | 5.41% |
| विदेशी सरकारों को ऋण | 13,558 | 14,228 | 4.94% |
| सरकारी सेवकों को ऋण एवं अग्रिम | 159 | 183 | 15.09% |
| उच्चत एवं विविध शेष | 42,262 | 73,649 | 74.27% |
| प्रेषण शेष (निवल) | 14,058 | 16,810 | 19.58% |
| नकद शेष निवेश | 1,22,692 | 50,573 | -58.78% |

**संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन**

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| सामान्य नकद शेष | 2,729 | -2,241 | -182.12% |
| विभागीय कार्यालयों के पास नकद | 8,654 | 17,279 | 99.66% |
| स्थायी नकद अग्रदाय | 100 | 106 | 6.00% |
| समेकित घाटा (तुलन संख्या) | 48,17,592 | 54,09,166 | 12.28% |
| कुल | 82,25,396 | 91,91,688 | 11.75% |

| देनदारियां | 31 मार्च 2019 तक | 31 मार्च 2020 तक | वृद्धि दर |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| आंतरिक ऋण | 70,74,941 | 80,20,490 | 13.36% |
| बाह्य ऋण | 2,69,961 | 2,99,250 | 10.85% |
| लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 5,79,609 | 5,74,880 | -0.82% |
| आकस्मिकता निधि | 500 | 500 | 0.00% |
| आरक्षित निधि (ब्याज रहित) | 13,084 | 50,294 | 284.39% |
| आरक्षित निधि (ब्याज सहित) | 13,007 | 13,792 (ङे.) | -206.04% |
| जमा व अग्रिम | 2,74,294 | 2,60,066 | -5.19% |
| कुल | 82,25,396 | 91,91,688 | 11.75% |

स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

संपत्तियों के पक्ष में विगत दो वर्षों के दौरान यह द्रष्टिगत हुआ कि संचयी पूंजीगत व्यय के 34 प्रतिशत में संघ सरकार का सरकारी कंपनियों, संविधिक निगमों एवं अन्य संयुक्त पूँजी कंपनियों में निवेश निहित है। शेष 66 प्रतिशत ने परिवहन क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकनिर्माण कार्यों आदि के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए संचयी व्यय का गठन किया।

वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹1,38,622 करोड़ के “सकल पूंजीगत परिव्यय - निवेश” के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों के “पुनर्पूँजीकरण” (₹65,433 करोड़), एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (₹31,333 करोड़), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (₹8,900 करोड़) तथा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (₹5,798 करोड़) में निवेश के कारण था।

इसी प्रकार, रक्षा सेवाओं (₹1,11,092 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹81,116 करोड़), परिवहन (₹71,640 करोड़), रेलवे (₹67,842 करोड़) आदि पर पूंजीगत व्यय के कारण वित्त वर्ष 20 के दौरान 'अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत ₹2,42,737 करोड़⁸ की अभिवृद्धि हुई।

यद्यपि, संपत्ति पक्ष में संघ सरकार के नकद शेष निवेश में उल्लेखनीय कमी भी पायी गयी थी। यह मद अस्थायी निवेश से जुड़े लेनदेन का लेखाजोखा रखती है। यह गिरावट वित्त वर्ष 20 में ₹72,119 करोड़ की सीमा तक थी तथा निवेश हेतु आरबीआई के पास उपलब्ध संघ सरकार के नकद शेष में कमी का प्रतिनिधित्व करती थी।

इसके अतिरिक्त, देनदारियों के पक्ष में, आंतरिक ऋण वित्त वर्ष 20 में संघ सरकार की कुल देयता का लगभग 87 प्रतिशत का था। संघ सरकार का आंतरिक ऋण वित्त वर्ष 19 में ₹70,74,941 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में ₹80,20,490 करोड़ हो गया। आरक्षित निधि के प्रकरण में, शेष राशि वित्त वर्ष 19 में ₹26,091 से बढ़कर ₹36,502 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्य रूप से जी एस टी प्रतिपूर्ति निधि के अंतर्गत शेष राशि में ₹33,412 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि में ₹ 2,262 करोड़ तथा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष में ₹1,203 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। जी एस टी प्रतिपूर्ति निधि में वृद्धि वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के अल्प भुगतान के आंशिक समायोजन का परिणाम थी।

1.7 संसाधन निर्माण

प्राप्तियों की दो धाराएं राजस्व एवं पूँजी हैं जो संघ सरकार के संसाधनों का गठन करती हैं। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा वाह्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान राशि सम्मिलित है। पूँजी प्राप्तियों के दो घटक हैं - ऋण प्राप्तियाँ, जो भविष्य के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों का निर्माण करती हैं तथा गैर-ऋण प्राप्तियों, जो विनिवेश एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली से प्राप्त आय का गठन करती हैं जिससे वास्तविक या संभावित परिसंपत्ति आधार में कमी आती है।

⁸ अन्य पूंजीगत व्यय: कुल पूंजीगत व्यय- सीपीसीई में इक्विटी निवेश. अतः सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वृद्धि विनिवेश आकड़ों से समायोजित हो जाती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2015-20 के मध्य संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

| अवधि | सकल राजस्व प्राप्तियां* | गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां | सकल ऋण प्राप्तियां | लोक लेखों में सकल प्रोद्गवन | सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वित्त वर्ष 16 | 19,42,353 (26) | 84,010 (1) | 43,16,950 (58) | 11,16,692 (15) | 74,60,005 |
| वित्त वर्ष 17 | 22,23,988 (23) | 88,714 (1) | 61,34,137 (63) | 12,73,949 (13) | 97,20,788 |
| वित्त वर्ष 18 | 23,64,148 (22) | 1,70,687 (2) | 65,54,002 (62) | 14,34,393 (14) | 1,05,23,230 |
| वित्त वर्ष 19 | 25,67,917 (23) | 1,25,236 (1) | 67,58,482 (60) | 17,45,217 (16) | 1,11,96,852 |
| वित्त वर्ष 20 | 25,98,760 (21.47) | 68,996 (0.57) | 73,01,387 (60.32) | 21,36,115 (17.64) | 1,21,05,258 |

* राज्यों को सौंपे गए कर एवं शुल्कों (चालू वर्ष हेतु ₹6,50,677 करोड़) के आंकड़े सम्मिलित हैं। चालू वर्ष में केंद्र को शुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ ₹19,48,083 करोड़ थीं, जैसा कि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल प्राप्तियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.3 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के मध्य सकल प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी जिसमें वित्त वर्ष 17 में अधिकतम 30 प्रतिशत वृद्धि देखी गयी। सकल राजस्व प्राप्तियों ने वित्त वर्ष 16 में 17 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि तथा वित्त वर्ष 20 में एक प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि प्राप्त की। विगत दो वित्तीय वर्षों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में गिरावट देखी गयी।

वित्त वर्ष 16 (58 प्रतिशत) के अतिरिक्त सकल ऋण प्राप्तियों का सकल प्राप्तियों से अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक रहा, जो केंद्रीय बजट को वित्तपोषित करने के लिए ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

1.7.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, वित्तीय संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि यह भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण नहीं करती हैं। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की चर्चा अनुवर्ती अनुभागों में की गयी है:

1.7.1.1 राजस्व प्राप्तियाँ: सकल व निवल

तालिका 1.4 संघ सरकार के वित्त का सकल एवं निवल दोनों के सम्बन्ध में अवलोकन प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियां: सकल एवं निवल

(₹ करोड़ में)

| अवधि | सकल कर राजस्व | राज्यों का अंश* | निवल कर राजस्व | गैर-कर राजस्व# | निवल राजस्व प्राप्तियां | सकल राजस्व प्राप्तियां |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(2)+(5) |
| वित्त वर्ष 16 | 14,55,891 | 5,06,193 | 9,49,698 | 4,86,462 | 14,36,160 | 19,42,353 |
| वित्त वर्ष 17 | 17,15,968 | 6,08,000 | 11,07,968 | 5,08,020 | 16,15,988 | 22,23,988 |
| वित्त वर्ष 18 | 19,19,183 | 6,73,005 | 12,46,178 | 4,44,965 | 16,91,143 | 23,64,148 |
| वित्त वर्ष 19 | 20,80,465 | 7,61,454 | 13,19,011 | 4,87,451 | 18,06,462 | 25,67,916 |
| वित्त वर्ष 20 | 20,10,059 | 6,50,677 | 13,59,382 | 5,88,701 | 19,48,083 | 25,98,760 |
| विकास की वार्षिक दर (प्रतिशत) | | | | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 16.93 | 49.85 | 4.67 | 15.39 | 8.07 | 16.54 |
| वित्त वर्ष 17 | 17.86 | 20.11 | 16.67 | 4.43 | 12.52 | 14.50 |
| वित्त वर्ष 18 | 11.84 | 10.69 | 12.47 | -12.41 | 4.65 | 6.30 |
| वित्त वर्ष 19 | 8.40 | 13.14 | 5.84 | 9.55 | 6.82 | 8.62 |
| वित्त वर्ष 20 | -3.38 | -14.55 | 3.06 | 20.77 | 7.84 | 1.20 |

#सहायता अनुदान एवं वाह्य एजेंसियों से योगदान सम्मिलित है।

*केंद्रीय कर राजस्व में हिस्सेदारी के रूप में राज्यों को हस्तांतरण, जैसा की संघ सरकार के वित्त खातो में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 279 (1) के अंतर्गत अंतिम निर्धारण एवं प्रमाणीकरण के अधीन है।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.4 से दृष्टिगत है, सकल कर राजस्व में वृद्धि दर वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 19 तक घटती प्रवृत्ति दर्शा रही है, जबकि वित्त वर्ष 20 में वृद्धि नकारात्मक रही है। राज्यों की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा करों के विभाज्य पूल के अंतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किये जाने के कारण वित्त वर्ष 16 में अधिकतम वृद्धि देखी गयी।

वित्त वर्षों 16 से 20 के मध्य सरकार के गैर कर राजस्व में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी, जबकि प्रतिभूतियों की स्विचिंग, तथा दूरसंचार अनुज्ञप्ति शुल्क (₹27,463 करोड़) में, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिशेष लाभों (₹79,988) में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 20 में बाज़ार ऋणों पर उच्च प्रीमियम (वित्त वर्ष 20 में ₹29,609 तथा वित्त वर्ष 19 में ₹2,961 करोड़) की प्राप्ति का पर्याप्त उछाल देखा गया।


1.7.1.2 कर राजस्व के घटक

कर राजस्व के दो घटक हैं - प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। निगम कर, निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कराधान आदि प्रत्यक्ष कर का अंश है तथा वस्तु एवं सेवाकर (जी एस टी), सीमा एवं उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का अंश हैं। आकृति 1.7 प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष कर राजस्व के घटकों को उनके समग्र रूप में के साथ-साथ वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है।

आकृति 1.7: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे


वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में सकल कर राजस्व में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी जो कंपनियों तथा निगमों के लिए कर दरों में कमी के कारण निगम कर में पर्याप्त नकारात्मक वृद्धि से प्रेरित थी।

प्रमुख संघीय करों में उछाल

उछाल गुणांक सकल घरलू उत्पाद⁹ में एक प्रतिशत की वृद्धि के उपरांत राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। एक से अधिक की उछाल वांछनीय मानी जाती है। यदि उछाल एक से अधिक है तो इससे कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। एक से कम का उछाल यह इंगित करता है कि सम्बंधित कर प्रभावी तौर पर प्रतिगामी हो सकता है क्योंकि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वृद्धि का न्यून भाग कराच्छादित होता है। विगत दो वर्षों में प्रमुख कर राजस्व घटकों में कर उछाल आकृति 1.8 में दर्शाया गया है।

⁹ जीडीपी के आंकड़े सीएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 मई 2020 के अनुसार हैं (अनंतिम अनुमान)।

आकृति 1.8: कर उछाल



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे, एवं सीएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 मई 2020

अतः यह स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 20 में कर राजस्व के सभी प्रमुख घटकों की कर उछाल एक से कम थी। आयकर तथा वस्तु एवं सेवा कर के प्रकरण में यह वित्त वर्ष 19 की तुलना में काफी कम थी।

1.7.2 उपकर का संग्रहण

उपकर एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु धन जुटाने के लिए सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर है। उपकर संग्रह प्रारंभ में सी एफ आई में जमा किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर में कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेशकर, चुंगी आदि तथा उपकर जैसे कृषि कल्याण उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, चाय, चीनी एवं जूट आदि पर उपकर सम्मिलित हैं।

संघ सरकार ने हाल के वर्षों में नये उपकरणों यथा प्रत्यक्ष कर पर प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उपकर के स्थान पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, तथा वित्त वर्ष 18 से प्रभावी सीमाशुल्क पर शिक्षा उपकर के स्थान पर सामाजिक कल्याण उपकर आरोपित करते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न उपकरणों को समाप्त कर दिया है।


पुनः आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शिक्षा उपकर, आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर, मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर), हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर), मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर, तम्बाकू

एवं तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क एवं कच्चे पेट्रोलियम, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी तथा सामाजिक कल्याण अधिभार आदि को लगाया जाना जारी है।

वित्त वर्ष 20 में विभिन्न उपकारों का कुल संग्रहण¹⁰ ₹1,98,402 था (वित्त वर्ष 19 की तुलना में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि) एवं उनकी वृद्धि दर आकृति 1.9 में दर्शायी गयी है।

आकृति 1.9: उपकारों का संग्रहण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

सड़क उपकर में वृद्धि, सड़क मार्ग एवं आधारभूत संरचना उपकर की दर में वृद्धि के कारण हुई थी, जबकि यूएसओ लेवी में वृद्धि 'अन्य संचार सेवाओं' के अंतर्गत अधिक संग्रह को दर्शाती है। मुख्यतः 'निर्यात पर उपकर' (₹5,759 करोड़) के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण 'अन्य' में 179 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पुनः सामाजिक कल्याण अधिभार, कच्चे तेल पर उपकर एवं स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के अंतर्गत नकारात्मक वृद्धि, अंतर्निहित मूल करों में कम वृद्धि को परिलक्षित करती है।

1.7.3 गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, संप्रभुता सम्पन्न कार्यों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा तथा सिक्के एवं संपत्ति/निवेश या लाभांश या रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों द्वारा

¹⁰ स्वदेशी मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सड़क एवं अवसंरचना उपकर, अवसंरचना उपकर, हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं तेल पर उपकर। 'अन्य' में निर्यात पर उपकर, कोक एवं कोयले पर उपकर, जूट पर उपकर, चाय पर उपकर, बीडी पर उपकर, स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण उपकर, अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राप्तियाँ, चीनी पर उपकर, आदि।

एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क से उत्पन्न होने वाली आय सम्मिलित हैं। गैर-कर राजस्व की संरचना तालिका 1.5 में दी गयी है।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

| अवधि | सकल गैर राजस्व# | व्याज प्राप्तियां | लाभांश एवं लाभ | सामाजिक सेवाएं | आर्थिक सेवायें | संप्रभु एवं अन्य कार्य** |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| वित्त वर्ष 16 | 4,86,462 | 46,325 | 1,12,136 | 10,100 | 2,79,710 | 38,191 |
| वित्त वर्ष 17 | 5,08,020 | 43,496 | 1,23,021 | 11,998 | 2,86,597 | 42,908 |
| वित्त वर्ष 18 | 4,44,965 | 45,732 | 91,367 | 3,081 | 2,58,592 | 46,193 |
| वित्त वर्ष 19 | 4,87,451 | 27,166 | 1,13,427 | 3,167 | 2,94,445 | 49,246 |
| वित्त वर्ष 20 | 5,88,701 | 56,964 | 1,86,142 | 3,507 | 2,94,717 | 47,371 |
| वृद्धि की वार्षिक दर | | | | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 15.39 | (-)3.50 | 24.79 | 482.13 | 14.86 | (-)0.72 |
| वित्त वर्ष 17 | 4.43 | (-)6.11 | 9.71 | 18.79 | 2.46 | 12.35 |
| वित्त वर्ष 18 | (-)12.41 | 5.14 | (-)25.73 | (-)74.32 | (-)9.77 | 7.66 |
| वित्त वर्ष 19 | 9.55 | (-)40.60 | 24.14 | 2.79 | 13.86 | 6.61 |
| वित्त वर्ष 20 | 20.77 | 109.69 | 64.11 | 10.74 | 0.09 | (-)3.81 |

वाह्य स्रोतों से सहायता एवं अनुदान में योगदान

** वित्तीय एवं सामान्य सेवाएँ

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 में, गैर कर राजस्व प्राप्ति का सर्वाधिक भाग (50 प्रतिशत) आर्थिक सेवाओं से आया। ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का 9.67 प्रतिशत थी, जबकि लाभांश तथा लाभ 31.62 प्रतिशत थे। वित्त वर्ष 19 की तुलना में, वित्त वर्ष 20 में सकल गैर-कर राजस्व में एक लाख करोड़ से अधिक की पर्याप्त वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तिओं, और लाभांश और लाभ में वृद्धि से प्रेरित थी।

बाजार ऋण (₹26,648 करोड़) पर प्रीमियम की अधिक प्राप्तिओं के कारण विगत वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तिओं में 109.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 20 के दौरान लाभांश एवं लाभ में भी 64.11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई क्योंकि 'भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष लाभ के भाग' में ₹79,988 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां, जो गैर-कर राजस्व का आधा भाग थीं, में निम्नलिखित प्रमुख घटक थे जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

| अवधि | भारतीय रेल- वाणिज्यिक लाइन्स | डाक प्राप्तियां | अन्य संचार सेवाएं | अन्य | कुल आर्थिक सेवाएं |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------------------|
| वित्त वर्ष 16 | 1,63,497 | 12,940 | 56,477 | 46,796 | 2,79,710 |
| वित्त वर्ष 17 | 1,61,583 | 11,511 | 70,241 | 43,262 | 2,86,597 |
| वित्त वर्ष 18 | 1,76,779 | 12,833 | 32,066 | 36,914 | 2,58,592 |
| वित्त वर्ष 19 | 1,87,738 | 13,196 | 40,816 | 52,695 | 2,94,445 |
| वित्त वर्ष 20 | 1,72,021 | 13,558 | 69,846 | 39,292 | 2,94,717 |

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

यद्यपि वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों में ₹272 करोड़ (0.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथापि वे कुल गैर-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में 10.34 प्रतिशत घट गयी। इस गिरावट का प्रमुख कारण भारतीय रेल की वाणिज्यिक लाइनों से माल आय पर कम (₹14,993 करोड़ से कम) प्राप्ति थी।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 19 के दौरान 112 संस्थाओं से प्राप्त ₹1,13,427 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 20 के दौरान संघ सरकार को 103 संस्थाओं से ₹1,49,554 करोड़ के निवेश के साथ ₹1,86,142 करोड़ का लाभांश/अधिशेष¹¹ प्राप्त हुआ।

प्राप्त राशि में से, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त अधिशेष का भाग (₹1,47,988 करोड़) अकेले इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का लगभग 80 प्रतिशत था। इस सन्दर्भ में अन्य प्रमुख संस्थायें कोल इंडिया लिमिटेड (₹4,891 करोड़, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (₹4,394 करोड़), भारतीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (₹2,821 करोड़, जीवन बीमा निगम (₹2611 करोड़), भारतीय तेल निगम लिमिटेड (₹2,545 करोड़) तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (₹2,325 करोड़) थी।

¹¹ विगत वर्ष की तुलना में, आठ संस्थाओं के लाभांश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 56 संस्थाओं ने ₹85,101 करोड़ के उच्च लाभांश की घोषणा की, 06 संस्थाओं ने ₹1,579 करोड़ का लाभांश घोषित किया तथा 33 संस्थाओं ने विगत वर्ष की तुलना में कम लाभांश घोषित किया।

तालिका 1.7: लाभांश तथा लाभ के घटक

(₹ करोड़ में)

| अवधि | आरबीआई से अधिशेष लाभ का भाग | सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश | राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का भाग | अन्य से लाभांश | कुल लाभांश एवं लाभ |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| वित्त वर्ष 16 | 65,896 | 39,897 | 4,214 | 2,129 | 1,12,136 |
| वित्त वर्ष 17 | 65,876 | 53,195 | 1,445 | 2,505 | 1,23,021 |
| वित्त वर्ष 18 | 40,659 | 46,495 | 1,826 | 2,386 | 91,366 |
| वित्त वर्ष 19 | 68,000 | 43,049 | 108 | 2,270 | 1,13,427 |
| वित्त वर्ष 20 | 1,47,988 | 35,509 | 0 | 2,645 | 1,86,142 |

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश का हिस्सा वित्त वर्ष 19 में ₹43,049 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 8.83 प्रतिशत) से घटकर वित्त वर्ष 20 में ₹35,509 करोड़ (गैर-कर राजस्व का 6.03 प्रतिशत) हो गया, जिसका मुख्य कारण भारतीय तेल निगम (₹2,838 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (₹1,896 करोड़), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (₹1,356 करोड़), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (₹1,283 करोड़) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (₹949 करोड़) से कम लाभांश था। साथ ही, लगातार गिरावट की अवधि के पश्चात् वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ का हिस्सा शून्य हो गया।

1.7.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर ऋण प्राप्तियां (विनिवेश) तथा ऋण प्राप्तियां (आंतरिक एवं बाह्य) सम्मिलित हैं। ऋण प्राप्तियों की चर्चा अनुच्छेद 1.5 में की जा चुकी है।

गैर-ऋण प्राप्तियां मुख्य रूप से चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी पूंजी में संघ सरकार के आंशिक विनिवेश के कारण हैं। विनिवेश से आय गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक बड़ा भाग है। संघीय वित्त लेखे का विवरण 8 विनिवेश से प्राप्त कुल आय को दर्शाता है जबकि विवरण 11 इकाईवार स्थिति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 19 में ₹72,620 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 20 के दौरान सरकार को विनिवेश¹² से ₹48,234 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (₹7,500 करोड़) एवं नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹4,000 करोड़) का राष्ट्रीय ताप विद्युत कारपोरेशन (एनटीपीसी), एवं कामराजर पोर्ट लिमिटेड (₹2,383 करोड़) से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का रणनीतिक विनिवेश समाहित है।

¹² अंकित मूल्य (18.68 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹9,009 करोड़ और प्रीमियम के विरुद्ध ₹39,225 करोड़ (81.32 प्रतिशत)।

इसके अतिरिक्त, प्राप्तियां रेल विकास निगम लिमिटेड एवं आईआरसीटीसी लिमिटेड (₹1,114 करोड़) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों; राइट्स लिमिटेड (₹1,130 करोड़) की बिक्री के लिए प्रस्ताव; एमओआईएल लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (₹821 करोड़) द्वारा शेयरों की वापस खरीद; एवं एक्सचेंज ट्रेड फंड के माध्यम से आगे के फंड ऑफर - सीपीएसई ईटीएफ (₹26,500 करोड़) व भारत -22 ईटीएफ (₹4,369 करोड़) से प्राप्त हुई। ईटीएफ के माध्यम से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (₹6,165 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹5,673 करोड़), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (₹5,719 करोड़), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹3,850 करोड़), आदि की हिस्सेदारी की बिक्री थी।

1.8 व्यय विश्लेषण

वित्त वर्ष 20 में भारत की समेकित निधि तथा लोक खाते से कुल संवितरण ₹1,14,59,551 करोड़ था।

वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में कुल संवितरण में 9.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹1,14,59,551 करोड़ के कुल संवितरण में से सी एफ आई से संवितरण 81.80 प्रतिशत था (सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 55.20 प्रतिशत था तथा सी एफ आई से कुल व्यय 26.60 प्रतिशत था)। संवितरण का शेष 18.20 प्रतिशत लोक खाते से था जैसा कि तालिका 1.8 में वर्णित है।

तालिका 1.8: कुल संवितरण के विभिन्न घटक

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 16 | वित्त वर्ष 17 | वित्त वर्ष 18 | वित्त वर्ष 19 | वित्त वर्ष 20 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| संघ सरकार के कुल वितरण के घटक | | | | | |
| सी एफ आई से संवितरण | 58,43,324 (83.87) | 79,21,324 (87.01) | 84,19,941 (85.44) | 87,80,706 (84.15) | 93,74,754 (81.81) |
| लोक लेखों से संवितरण | 11,23,658 (16.13) | 11,82,568 (12.99) | 14,34,375 (14.56) | 16,53,371 (15.85) | 20,84,797 (18.19) |
| सी एफ आई से संवितरण के कुल घटक | | | | | |
| लोक ऋणों के पुनर्भुगतान | 37,37,657 (63.96) | 56,78,823 (71.69) | 58,72,604 (69.75) | 60,64,945 (69.07) | 63,26,549 (67.48) |
| राजस्व व्यय (आर ई) | 17,79,529 (30.45) | 19,33,018 (24.40) | 21,40,085 (25.42) | 22,61,571 (25.76) | 26,15,320 (27.90) |
| पूँजीगत व्यय (सीई) | 2,78,866 (4.77) | 2,49,472 (3.15) | 3,25,116 (3.86) | 3,99,523 (4.55) | 3,87,744 (4.14) |
| ऋण एवं अग्रिम (एलए) | 47,272 (0.81) | 60,011 (0.76) | 82,136 (0.98) | 54,667 (0.62) | 45,141 (0.48) |

कोष्ठक में दी गयी राशि कुल संवितरण का प्रतिशत दर्शाती है।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 का संघीय वित्त लेखे

विगत तीन वर्षों में, कुल संवितरण के अनुपात के रूप में, लोक खाते से संवितरण के लिए एक सहवर्ती बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, सी एफ आई से संवितरण का भाग कुछ कम होने की प्रवृत्ति पर था। विगत तीन वर्षों में सी एफ आई संवितरण के सन्दर्भ में, लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम के पुनर्भुगतान दोनों के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति थी, जबकि राजस्व व्यय का हिस्सा बढ़ रहा था।

1.8.1 क्षेत्रीय व्यय

संघ सरकार के लेखाओं में, व्यय को विभिन्न मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है जिन्हें बदले में चार क्षेत्रों नामतः 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान एवं योगदान' में वर्गीकृत किया जाता है।

तालिका 1.9 क्षेत्रीय व्यय (राजस्व व पूंजीगत व्यय दोनों) का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के क्षेत्रीय व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | सामान्य सेवायें | सामाजिक सेवायें | आर्थिक सेवायें |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| वित्त वर्ष 16 | 8,96,486 (50.56) | 1,00,682 (5.68) | 7,75,879 (43.76) |
| वित्त वर्ष 17 | 10,25,561 (53.07) | 1,16,023 (6.01) | 7,90,729 (40.92) |
| वित्त वर्ष 18 | 11,16,653 (53.59) | 1,11,108 (5.33) | 8,55,914 (41.08) |
| वित्त वर्ष 19 | 12,15,111 (53.33) | 1,17,237 (5.15) | 9,46,034 (41.52) |
| वित्त वर्ष 20 | 13,37,499 (54.10) | 1,45,668 (5.89) | 9,89,165 (40.01) |

नोट: क्षेत्रीय वर्गीकरण में विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं सहायता अनुदान के कारण राजस्व व्यय जो किसी विशिष्ट समूह के अंतर्गत नहीं आता है सम्मिलित नहीं हैं।

कोष्ठक में दी गयी संख्याएं कुल व्यय का अनुपात दर्शाती हैं।

स्रोत: वित्त वर्ष 16 से 20 हेतु संघीय वित्त लेखे

जैसाकि तालिका 1.9 से देखा गया है, विगत पांच वर्षों में क्षेत्रीय हिस्सेदारी स्थिर रही है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 20 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 24.25 प्रतिशत की उच्चतम वार्षिक वृद्धि देखी गई, जो राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण ₹8,985 करोड़ की राहत जारी करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य (₹6,519 करोड़) एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा (₹6,161 करोड़) पर बढ़े हुए व्यय के कारण थी। 10 प्रतिशत की दूसरी उच्चतम वृद्धि सामान्य क्षेत्र पर व्यय में देखी गई, जो कि ब्याज भुगतान पर ₹54,350 करोड़, रक्षा सेवाओं पर ₹15,862 करोड़ के पूंजीगत व्यय तथा 'ऋण में कमी या परिहार के लिए

विनियोग' - बाजार ऋणों की स्विचिंग पर प्रीमियम के अतिरिक्त भुगतान पर ₹5,469 करोड़ के व्यय में वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक क्षेत्र पर व्यय में वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में ₹43,131 करोड़ की वृद्धि देखी गई (4.56 प्रतिशत की वृद्धि, तीनों क्षेत्रों में सबसे कम)। यह मुख्य रूप से 'फसल पालन' (मुख्य रूप से पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत) तथा 'खाद्य, भंडारण एवं भंडारण' (खाद्य सब्सिडी) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी।

1.8.2 राजस्व व्यय में रुझान

सरकारी विभागों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए, विभिन्न सेवाओं के लिए, अपने लिए गए ऋण पर व्याज भुगतान के लिए, पेंशन, सब्सिडी आदि पर सरकार राजस्व व्यय करती है। राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय है जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। संघ सरकार के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य को दिए गए सभी अनुदान भी राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। राजस्व मदों में से ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन भुगतान प्रतिबद्ध व्यय का गठन करते हैं।

तालिका 1.10: राजस्व व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

| अवधि | राजस्व व्यय | वेतन [#] | व्याज भुगतान | पेंशन* | राज्यों को अनुदान | अन्य ^{##} |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| वित्त वर्ष 16 | 17,79,529 | 1,44,552 | 4,57,270 | 1,11,285 | 3,06,129 | 7,60,293 |
| वित्त वर्ष 17 | 19,33,018 | 1,77,153 | 5,04,512 | 1,49,237 | 2,80,836 | 8,21,280 |
| वित्त वर्ष 18 | 21,40,085 | 1,93,503 | 5,43,707 | 1,63,196 | 3,72,742 | 8,66,937 |
| वित्त वर्ष 19 | 22,61,571 | 2,18,022 | 5,95,552 | 1,76,910 | 3,68,172 | 9,02,915 |
| वित्त वर्ष 20 | 26,15,320 | 2,27,627 (8.70) | 6,55,371 (25.06) | 2,03,877 (7.80) | 4,94,975 (18.92) | 10,33,470 (39.52) |
| औसत वार्षिक वृद्धि दर | | | | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 4.98 | 7.89 | 7.57 | 3.13 | (-)7.16 | 8.86 |
| वित्त वर्ष 17 | 8.63 | 22.55 | 10.33 | 34.10 | (-)8.26 | 8.02 |
| वित्त वर्ष 18 | 10.71 | 9.23 | 7.77 | 9.35 | 32.73 | 5.56 |
| वित्त वर्ष 19 | 5.68 | 12.67 | 9.54 | 8.40 | (-)1.23 | 4.15 |
| वित्त वर्ष 20 | 15.64 | 4.41 | 10.04 | 15.24 | 34.44 | 14.46 |

स्रोत: व्यय प्रोफाइल *एम.एच.-2071 के अंतर्गत केवल सिविल व रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं, ## अन्य में रक्षा एवं रेलवे पर व्यय सम्मिलित हैं।

कोष्ठक में आंकड़े राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

तालिका 1.10 दर्शाती है कि ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का सबसे बड़ा एकल घटक था जो कुल का एक- चौथाई था। पुनः वित्त वर्ष 20 में राजस्व व्यय के प्रत्येक घटक में वर्ष-दर-वर्ष दो अंकों की वृद्धि हुई थी। जी एस टी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति पर ₹51,223 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी करने, पिछले बैकलाग को समाप्त करने हेतु जी एस टी अनुदान कोष में अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण तथा 31 अक्टूबर 2019 से नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख) को अतिरिक्त अनुदान देने के कारण से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान में उच्चतम वृद्धि दर थी।

1.8.2.1 ब्याज भुगतान

यह शीर्ष लोक ऋण (आंतरिक व बाह्य दोनों) एवं सरकार की अन्य ब्याज वहन देनदारियों जिसमें बीमा एवं पेंशन फंड, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा एवं विभिन्न कंपनियों तथा निगमों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज सम्मिलित है पर ब्याज के लिए भुगतान प्रदान करता है। इसमें ऋण पर कमी या परिहार पर व्यय भी सम्मिलित है। राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान लगभग 25 प्रतिशत था, तथा राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में यह लगभग 32 प्रतिशत था।

तालिका 1.11: राजस्व व्यय पर ब्याज भुगतान

| वर्ष | ब्याज भुगतान (आईपी) | राजस्व प्राप्तियां (आरआर) | राजस्व व्यय (आर ई) | आईपी की वृद्धि | आईपी से आरआर का हिस्सा | आईपी से आर ई का हिस्सा |
|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| (₹ करोड़ में) | | | (प्रतिशत में) | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 4,57,270 | 14,36,160 | 17,79,529 | 7.57 | 31.84 | 25.70 |
| वित्त वर्ष 17 | 5,04,512 | 16,15,988 | 19,33,018 | 10.33 | 31.22 | 26.10 |
| वित्त वर्ष 18 | 5,43,707 | 16,91,143 | 21,40,085 | 7.77 | 32.15 | 25.41 |
| वित्त वर्ष 19 | 5,95,552 | 18,06,463 | 22,61,571 | 9.54 | 32.97 | 26.33 |
| वित्त वर्ष 20 | 6,55,371 | 19,48,084 | 26,15,320 | 10.04 | 33.64 | 25.05 |

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 20 के दौरान ब्याज भुगतान में अन्य बातों के साथ-साथ आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹5,78,186 करोड़, 88 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि पर ब्याज (₹43,709 करोड़) एवं बाह्य ऋण पर ब्याज भुगतान (₹9,420 करोड़) सम्मिलित थे।

1.8.2.2 पेंशन भुगतान

तालिका 1.12 दर्शाती है कि वित्त वर्ष 20 में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 12.49 प्रतिशत बढ़कर ₹2,42,561 करोड़ हो गया।

तालिका 1.12: पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | रक्षा | सिविल | रेलवे | डाक | कुल |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| वित्त वर्ष 16 | 60,238 (45.33) | 36,533 (27.49) | 30,701 (23.10) | 5,408 (4.07) | 1,32,880 |
| वित्त वर्ष 17 | 87,826 (48.95) | 43,575 (24.29) | 40,463 (22.55) | 7,547 (4.21) | 1,79,411 |
| वित्त वर्ष 18 | 92,000 (46.11) | 53,745 (26.94) | 45,275 (22.69) | 8,511 (4.27) | 1,99,531 |
| वित्त वर्ष 19 | 1,01,775 (47.20) | 58,437 (27.10) | 46,718 (21.66) | 8,706 (4.04) | 2,15,636 |
| वित्त वर्ष 20 | 1,17,810 (48.57) | 66,144 (27.27) | 49,188 (20.28) | 9,419 (3.88) | 2,42,561 |
| वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में) | | | | | |
| वित्त वर्ष 16 | -0.35 | 10.17 | 7.19 | 7.43 | 4.39 |
| वित्त वर्ष 17 | 45.80 | 19.28 | 31.80 | 39.55 | 35.02 |
| वित्त वर्ष 18 | 4.75 | 23.34 | 11.89 | 12.77 | 11.21 |
| वित्त वर्ष 19 | 10.63 | 8.73 | 3.19 | 2.29 | 8.07 |
| वित्त वर्ष 20 | 15.76 | 13.19 | 5.29 | 8.19 | 12.49 |

स्रोत: सिविल व रक्षा पेंशन के लिए आंकड़े वित्त लेखों (मुख्य शीर्ष 2071) से हैं, रेलवे एवं डाक के लिए आंकड़े उनके विनियोग लेखों से हैं।

कोष्ठक के आंकड़े पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों पर कुल व्यय का अनुपात दर्शाते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, रक्षा पेंशन एवं नागरिक पेंशन की हिस्सेदारी में विगत तीन वर्षों में रेलवे तथा डाक दोनों में इसी कमी के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। वित्त वर्ष 20 में, वित्त वर्ष 20 में रक्षा पेंशन भुगतान में वार्षिक वृद्धि, जो कुल पेंशन भुगतान के आधे से थोड़ा कम थी, 15.76 प्रतिशत के साथ उच्चतम थी।

इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय की बही में पेंशन के लेनदेनों की गैर-मंजूरी के कारण वित्त वर्ष 20 के अंत में पीएसबी सस्पेंस डिफेंस के खाते में ₹17,913 करोड़ का क्लोजिंग नेकस्ट सस्पेंस बैलेंस था। इस राशि को शामिल करने से रक्षा पेंशन के तहत व्यय में वृद्धि हो जाएगी।

1.8.2.3 सब्सिडी

सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से अर्थात् बजट के माध्यम से, बल्कि लोगों को सब्सिडी वाले सामान एवं सेवाएं प्रदान करके भी वितरित की जाती है, जिसे निहित सब्सिडी कहा जाता है।

तालिका 1.13 बजट के माध्यम से सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.13: संघ सरकार के बजट में स्पष्ट सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

| अवधि | खाद्य | उर्वरक* (यूरिया) | उर्वरक# (विनियंत्रित) | पेट्रोलियम सब्सिडी | अन्य** | कुल सब्सिडी | राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी |
|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|
| वित्त वर्ष 16 | 1,39,419 (18.48) | 50,478 (0.11) | 21,938 (6.15) | 29,999 (-50.22) | 16,637 (79.49) | 2,58,471 (0.07) | 14.52 |
| वित्त वर्ष 17 | 1,10,173 (-20.98) | 51,257 (1.54) | 15,056* (-31.37) | 27,539 (-8.20) | 28,777 (72.98) | 2,32,802 (-9.93) | 12.04 |
| वित्त वर्ष 18 | 1,00,282 (-8.98) | 64,756 (26.34) | 22,244 (47.74) | 24,460 (-11.18) | 34,334 (19.31) | 2,46,076 (5.70) | 11.50 |
| वित्त वर्ष 19 | 1,01,327 (1.04) | 46,514 (-28.17) | 24,090 (8.30) | 24,837 (1.54) | 28,210 (-17.84) | 2,24,978 (-8.57) | 9.95 |
| वित्त वर्ष 20 | 1,08,688 (7.26) | 54,755 (17.72) | 26,369 (9.46) | 38,529 (55.13) | 33,963 (20.39) | 2,62,304 (16.59) | 10.03 |

कोष्ठक के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं।

*स्वदेशी व आयतित उर्वरक (यूरिया) पर प्रदान की गई सब्सिडी को दर्शाते हैं।

#विनियंत्रित उर्वरक पर दिए गए सब्सिडी को दर्शाते हैं। 2011-12 से यह पोषण आधारित सब्सिडी है।

**अन्य में ब्याज सब्सिडी, उपभोक्ता मामलों के विभाग में मूल्य स्थिरीकरण कोष, खाद्यान्न की आवाजाही एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन आदि सम्मिलित हैं। इस मद के अंतर्गत अधिकांश व्यय खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी हैं जो प्रमुख सब्सिडी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस मद के अंतर्गत अधिकांश व्यय खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी की ओर था जो प्रमुख सब्सिडी की श्रेणी में हैं। वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में विभिन्न स्पष्ट सब्सिडी पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिससे सब्सिडी पर कुल व्यय में 16.59 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसी आई) को सब्सिडी भुगतान का राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋण द्वारा प्रतिस्थापन

करने के कारण पूर्व वर्षों की तरह खाद्य सब्सिडी पर व्यय कम बताया गया¹³, जिससे संघ सरकार के लिए भविष्य की देनदारियां बनी हुयी हैं। पुनः, पूर्व वर्षों में नकारात्मक या न्यूनतम वृद्धि दृष्टिगत होने के पश्चात् एलपीजी सब्सिडी (₹13,692 करोड़) में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 20 में पेट्रोलियम सब्सिडी में 55.13 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। पेट्रोलियम एवं उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत लेखों में दर्ज किये गए व्यय को भी मंत्रालयों द्वारा रोके गए सब्सिडी दावों के भुगतान की सीमा तक कम बताया गया।

कुल मिलाकर, वित्त वर्षों 16 से 19 के दौरान राजस्व व्यय में सब्सिडी पर होने वाले व्यय के हिस्से में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी। यद्यपि, वित्त वर्ष 20 के दौरान, उर्वरक सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी एवं “अन्य श्रेणी” के अंतर्गत सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी की भागीदारी वित्त वर्ष 19 में 9.95 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 10.03 प्रतिशत हो गयी।

1.9 लोक लेखे देनदारियां

संघ सरकार की लोक लेखे देनदारियां एक उधारकर्ता के बजाय एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में उत्पन्न होती हैं। इनमें लघु बचत (भविष्य निधि, बीमा निधि) आरक्षित निधि एवं जमा सम्मिलित हैं। इन देनदारियां को सी एफ आई द्वारा सुरक्षित नहीं किया जाता है तथा लोक लेखे के भाग के रूप में दिखायी जाती हैं। यद्यपि, ये सभी देनदारियां या तो उनके पुनर्भुगतान के सन्दर्भ में अथवा विनिर्दिष्ट व्यय करने के लिए सरकार की दायित्व हैं। इन लेनदेनों का सार यू जी एफ ए के विवरण 13 में दिया गया है।


31 मार्च 2020 तक, कुल बकाया लोक लेखे देनदारियां ₹8,79,325 करोड़ थीं, जिसमें लघुबचत एवं भविष्य निधि के ₹5,74,881 करोड़ तथा अन्य दायित्वों¹⁴ पर ₹3,04,444 करोड़ सम्मिलित थे। **आकृति 1.10** संघ सरकार की कुल लोक लेखे देनदारियां प्रस्तुत करता है।

¹³ भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के बदले एनएसएसएफ ऋण की स्वीकृति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण ‘एनएसएसए के अंतर्गत खाद्यान्न लेनदेनों पर एफसीआई एवं अन्य को देय सब्सिडी’ के अंतर्गत ₹ 76,000 करोड़ की बचत थी।

¹⁴ लोक लेखे में समस्त आरक्षित निधियां एवं जमा

आकृति 1.10: लोक लेखे देनदारी (संघीय वित्त लेखे में रिपोर्ट की गयी)

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2000 से, राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों एवं अन्य साधनों में निवेश की गयी सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) संचालन में हुयी हानियों के कारण लघु बचत तथा बीमा निधियों की देनदारियों को लोक लेखे देनदारियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लोक लेखा की देनदारियों में, ₹9,99,409 करोड़ की देनदारियाँ, जिनमें राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों (₹4,40,438 करोड़) एवं सरकारी उपक्रमों (₹3,66,546 करोड़) में एनएसएसएफ का निवेश, डाकघर बीमा कोष¹⁵ से सम्बंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश तथा एनएसएसएफ में संचयी घाटा (₹1,09,462 करोड़), सम्मिलित नहीं हैं।

1.9.1 आरक्षित निधि एवं जमा राशि

संघ सरकार के लोक लेखे में आरक्षित निधि एवं जमा राशि को ब्याज-सहित एवं ब्याज-रहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखे में 58 आरक्षित निधियों में से 21 ब्याज-सहित एवं 37 ब्याज-रहित हैं। वर्ष के दौरान ब्याज वाली आरक्षित निधियों एवं जमा

¹⁵ निधि से निवेशों से सम्बंधित डाकघर बीमा कोष से सम्बंधित लेनदेनों को मुख्य शीर्ष 8015 के अंतर्गत लोक लेखे में लेखांकित किया जाता है। पीएलआई निधि की राशि ₹60,106 करोड़ एवं आरपीएलआई निधि की राशि ₹22,857 करोड़ को निधि प्रबंधकों जैसे एसबीआई फण्ड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल), एवं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (यूटीआईएएमसीएल) के माध्यम से निवेश किया गया है। ₹82,963 करोड़ का यह निवेश संघीय वित्त लेखे के विवरण 13 में दर्शाये गए लोक लेखे देनदारियों के शेष में सम्मिलित नहीं है।

पर क्रमशः ₹2,192 करोड़ व ₹988 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान 58 आरक्षित निधियों में से 13 का संचालन नहीं किया गया। संघीय वित्त लेखे में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गए उपकरणों, लेवी एवं शुल्कों के संग्रहण तथा उपयोग के लेखांकन के लिए लघु शीर्ष स्तर पर मात्र सात आरक्षित निधियां निर्मित की गयीं। वित्त वर्ष 20 के दौरान एक निधि - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष संचालित की गयी थी। वित्त वर्ष 20 के अंत में सात आरक्षित निधियों में प्रतिकूल शेष राशि थी, जिन्हें जांच के अंतर्गत बताया गया।

1.9.1.1 आरक्षित निधि में आगत व उससे निर्गत राशियों का विश्लेषण

संविधान के अनुच्छेद 266 लोक लेखों को उन निधियों के रूप में परिभाषित करता है जो भारत सरकार की ओर से प्राप्त की जाती हैं। सरकार द्वारा ट्रस्ट में रखा गया धन, जैसा कि भविष्य निधियां, लघु बचत संग्रहणों, विशिष्ट वस्तुओं जैसे सड़क विकास, प्राथमिक शिक्षा, आरक्षित/ विशेष कोष पर व्यय के लिए अलग रखी गयी सरकार की आय इत्यादि के प्रकरण में है, लोक लेखों में रखा जाता है। ये निधियां सरकार की नहीं होती हैं तथा इन्हें जमा करने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों को अंततः वापस देना पड़ता है। ऐसे भुगतानों के लिए संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यद्यपि, जब संसद के अनुमोदन से समेकित निधि से धन निकाला जाता है तथा एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय के लिए लोक लेखे में रखा जाता है तब इसे संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

लोक लेखे के अंतर्गत सात आरक्षित निधियां¹⁶ थी, जिनमें भारत सरकार ने आरक्षित निधियों के अंतरण एवं आरक्षित निधि से उपयोग की गई राशि के लिए बजट में प्रावधान किए थे। संघीय वित्त लेखे के विवरण 13 एवं बजट दस्तावेजों की जांच में ज्ञात हुआ कि बजटीय प्रावधानों के विरुद्ध छः आरक्षित निधियों¹⁷ ₹54,723 करोड़ की राशि में कम अंतरित की गई थी।

¹⁶ सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ), माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण, राष्ट्रीय निवेश निधि, निर्भया निधि, प्रारंभिक शिक्षा कोष, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशंस फंड

¹⁷ निर्भया निधि के हस्तांतरण में कोई कमी नहीं।

आरक्षित निधियों से निधि के उपयोग के प्रकरण में, यह पाया गया कि बजटीय आंकड़ों के विरुद्ध सात आरक्षित निधियों में ₹57,219 करोड़ की राशि का कम उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष के संबंध में, बजट अनुमानों में ₹14,460 करोड़ की राशि आरक्षित निधियों से अंतरित एवं उपयोग की जानी थी, लेकिन लोक लेखे में ऐसी कोई निधि निर्मित नहीं की गयी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्दीकरण के प्रकरण में, बजट प्रावधानों के विरुद्ध आरक्षित निधि से मात्र 50 प्रतिशत निधियों को हस्तांतरित एवं उपयोग किया गया था। यद्यपि, यह पाया गया था कि निधि को राष्ट्रीय राजमार्ग के मुद्दीकरण से प्राप्त आय के साथ जमा किया जाना था तथापि वित्त वर्ष 20 के दौरान इस खाते पर कोई प्राप्ति नहीं होने के बावजूद निधि जमा की गयी थी। इसका विवरण अनुच्छेद 2.7.1 में दिया गया है।

1.10 लोक ऋण प्रबन्धन

संघीय वित्त लेखे का विवरण 14 आंतरिक एवं बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति बताता है जो साथ मिलकर संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करते हैं तथा ये भारत की समेकित निधि से सुरक्षित होते हैं। आंतरिक ऋण में मुख्यतः बाजार ऋण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल तथा एनएसएसएफ, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी संघ सरकार की विशिष्ट प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों एवं बहुपक्षीय निकाय से प्राप्त ऋणों को दर्शाता है।

31 मार्च 2018 को संघ सरकार का कुल ऋण ₹66,51,365 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹73,44,902 करोड़ हो गया एवम् पुनः 31 मार्च 2020 को बढ़कर ₹83,19,740 करोड़ हो गया। यद्यपि, लोक ऋण विगत तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 39-41 प्रतिशत के अंदर ही रहा।

तालिका 1.14 सम्बंधित वित्तीय वर्षों के अंत में आंतरिक ऋण के घटकों यथा बाजार ऋणों, ट्रेजरी बिलों, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.14: आंतरिक ऋण की संरचना

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बाजार ऋण | ट्रेज़री बिल | प्रतिभूतियां जारी | | | प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड | अन्य | कुल आंतरिक ऋण |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान | राष्ट्रीय लघु बचत निधि | डाक जीवन बीमा | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 43,00,102 (81.06) | 4,85,822 (9.16) | 1,06,726 (2.01) | 3,13,856 (5.92) | 20,894 (0.39) | 11,114 (0.21) | 66,321 (1.25) | 53,04,835 (100) |
| वित्त वर्ष 17 | 46,49,487 (80.98) | 4,91,372 (8.56) | 1,08,740 (1.89) | 3,81,291 (6.64) | 20,894 (0.36) | 20,325 (0.36) | 69,600 (1.21) | 57,41,709 (100) |
| वित्त वर्ष 18 | 50,70,744 (79.21) | 5,36,321 (8.38) | 1,04,370 (1.63) | 4,83,919 (7.56) | 20,894 (0.33) | 44,531 (0.70) | 1,40,496 (2.19) | 64,01,275 (100) |
| वित्त वर्ष 19 | 55,00,141 (77.74) | 5,43,218 (7.68) | 1,06,523 (1.51) | 6,08,919 (8.61) | 20,894 (0.30) | 46,854 (0.66) | 2,48,392 (3.51) | 70,74,941 (100) |
| वित्त वर्ष 20 | 59,86,127 (74.64) | 6,13,321 (7.65) | 1,01,909 (1.27) | 8,48,919 (10.58) | 20,894 (0.26) | 53,212 (0.66) | 3,96,108 (4.94) | 80,20,490 (100) |

कोष्ठक में आंकड़े कुल आंतरिक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। अन्य के अंतर्गत विशेष प्रतिभूतियों के रुपान्तरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियां, स्वर्ण मुद्राकरण योजना, संप्रभु गोल्ड बांड, बैंको को जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां आदि सम्मिलित हैं।


स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.14 से दृष्टिगत हुआ कि बाजार ऋण प्राथमिक घटक थे, जो वित्त वर्ष 20 में आंतरिक ऋण का 74.64 प्रतिशत थे। यद्यपि, इसका अनुपात वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 तक लगातार 81 से घटकर 75 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर एनएसएसएफ एवं अन्य दो घटक थे जिनमें आंतरिक ऋण के अनुपात के रूप में लगातार वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के कुल आंतरिक ऋण में वित्त वर्ष 19 की तुलना में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो विगत पांच वर्षों में वर्ष-दर-वर्ष उच्चतम वृद्धि थी।

सात वर्षों के भीतर (31 दिसम्बर 2026 तक) विमोचन हेतु देय बाजार ऋण ₹23,54,267 करोड़ (लगभग बाजार ऋण का 37 प्रतिशत) थे, जैसा कि आकृति 1.11 में दर्शाया गया है।

आकृति 1.11: बाज़ार ऋणों का परिपक्वता प्रालेख

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्ष 2020 के लिए संघीय वित्त लेखे


नोट: दिखाए गए आंकड़े उपर दर्शाए गए कैलेंडर वर्ष के अंत तक परिपक्वता के लिए हैं।

वर्ष 2020 में, सबसे लंबी परिपक्वता अवधि के साथ अनुबंधित दिनांकित सुरक्षा प्रतिभूतियां 39 वर्ष की थीं।

इसके अतिरिक्त, आकृति 1.12 ऐतिहासिक विनिमय दरों एवं वर्तमान विनिमय दरों पर विगत पांच वर्षों हेतु संघ सरकार के बाह्य ऋण को प्रस्तुत करता है।

आकृति 1.12: बाह्य ऋण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त वर्षों हेतु 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

आंतरिक ऋण की तरह, ऐतिहासिक दर एवं वर्तमान दर पर बाह्य ऋण की वृद्धि दर भी वित्त वर्ष 20 में उच्चतम थी। पुनः, 2016-20 के दौरान ऐतिहासिक दर पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर लगभग 9-10 प्रतिशत के आस पास रही।

तालिका 1.15 विगत पांच वर्षों के लिए लोक ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.15: लोक ऋण की प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | आंतरिक ऋण का पुनर्भुगतान | | बाह्य ऋण का पुनर्भुगतान | | लोक ऋण का पुनर्भुगतान | लोकऋण की कुल प्राप्ति | कुल गैर-ऋण प्राप्ति |
|---------------|--------------------------|----------|-------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | मूल | व्याज | मूल | ब्याज | 5 = 1+2+3+4 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| वित्त वर्ष 16 | 37,14,352 | 4,05,242 | 23,305 | 3,925 | 41,46,824 | 43,16,950 | 15,20,170 |
| वित्त वर्ष 17 | 56,52,628 | 4,48,928 | 26,195 | 5,144 | 61,32,895 | 61,34,137 | 17,04,702 |
| वित्त वर्ष 18 | 58,45,919 | 4,87,527 | 26,685 | 5,951 | 63,66,082 | 65,54,002 | 18,61,830 |
| वित्त वर्ष 19 | 60,34,206 | 5,33,265 | 30,739 | 8,150 | 66,06,360 | 67,58,482 | 19,31,699 |
| वित्त वर्ष 20 | 62,92,658 | 5,78,186 | 33,891 | 9,420 | 69,14,155 | 73,01,387 | 20,17,080 |

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

तालिका 1.15 से यह देखा गया कि वित्त वर्ष 20 में लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान गैर-ऋण प्राप्तियों का 3.4 गुणा एवं राजस्व प्राप्ति का 3.54 गुणा था। पुनः, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान लोक ऋण की कुल प्राप्ति का 95 से लगभग 100 प्रतिशत तक था।

1.10.1 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता है। यह सरकार की आवश्यक उधारी एवं उसकी बकाया ऋण में वृद्धि को भी दर्शाता है। यह साधारणतया सरकार की शुद्ध वृद्धिशील देनदारियों अथवा राजस्व एवं व्यय के मध्य बजटीय अंतर को पाटने के लिए किए गए अतिरिक्त उधार का प्रतिनिधित्व करता है। कमी की भरपाई या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाह्य) से अथवा लोक खाते की अधिशेष निधि का उपयोग करके की जाती है जैसा कि तालिका 1.16 में वर्णित है, जो संघ सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोतों को दर्शाती है।

तालिका 1.16: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | आंतरिक ऋण (निवल) | | बाह्य ऋण (निवल) | | लोक लेखे (निवल) | | कैश ड्रा डाउन | | राजकोषीय घाटा* |
|---------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------|---------|-------------------|
| | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत | राशि | प्रतिशत | |
| वित्त वर्ष 16 | 5,66,544 | 96.76 | 12,748 | 2.18 | -6,965 | -1.19 | 13,170 | 2.25 | 5,85,497 |
| वित्त वर्ष 17 | 4,37,317 | 81.32 | 17,997 | 3.35 | 91,381 | 16.99 | -8,896 | -1.65 | 5,37,799 |
| वित्त वर्ष 18 | 6,59,566 | 96.22 | 21,832 | 3.18 | 18 | 0.00 | 4,091 | 0.60 | 6,85,507 |
| वित्त वर्ष 19 | 6,73,666 | 85.92 | 19,871 | 2.53 | 91,846 | 11.71 | -1,321 | -0.16 | 7,84,062 |
| वित्त वर्ष 20 | 9,45,549 | 91.70 | 29,290 | 2.84 | 51,317 | 4.98 | 4,970 | 0.48 | 10,31,126 |


* कुछ व्ययों का निवलीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर व्यय का वर्णन आदि के कारण ये आंकड़े इन वर्षों हेतु बजट एक दृष्टि में दिए गए आंकड़ों से भिन्न हैं।

स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, राजकोषीय घाटा मुख्यतः शुद्ध आंतरिक ऋण द्वारा वित्त पोषित था। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए उपयोग की जाने वाली बाह्य ऋण की राशि में भी वित्त वर्षों 16 से 20 के दौरान लगातार वृद्धि देखी गयी। यद्यपि, वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में लोक लेखे से अधिशेष निधि का उपयोग 44.18 प्रतिशत कम हो गया।

यदि राजकोषीय घाटे का वृहद भाग पूंजीगत व्यय को बनाये रखने के लिए है निर्माण के लिए संस्थाओं को वित्तीय सामंजस्य प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए है या पूंजी निर्माण के लिए संस्थाओं को वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक निश्चित बिंदु तक वांछनीय माना जा सकता है। राजकोषीय घाटे के घटक आकृति 1.13 में दर्शाए गए हैं।

आकृति 1.13: राजकोषीय घाटे के घटक



स्रोत: वित्त वर्षों 16 से 20 के लिए संघीय वित्त लेखे

इस प्रकार, राजकोषीय घाटे का वृहद भाग राजस्व घाटे के वित्तपोषण की ओर था। ₹10,31,126 करोड़ के राजकोषीय घाटे में से, ₹6,67,237 करोड़ वित्त वर्ष 20 में वर्ष-दर-वर्ष 6.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजस्व खाते पर था। वित्त वर्षों 16 से 20 के दौरान, वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में गिरावटों के साथ शुद्ध पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों की भागीदारी में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी।

2 अध्याय

वित्त लेखों पर टिप्पणियां

अध्याय

2

वित्त लेखों पर टिप्पणियां

2.1 प्रस्तावना

संघ सरकार के वित्त लेखे (सं. स. वि. ले.) में 16 विवरणी होती हैं जो पूरे वर्ष के लिए संघ की प्राप्तियों और संवितरणों, राजस्व और पूंजी खातों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों और सार्वजनिक ऋण, देनदारियों और परिसंपत्तियों की लेखा प्रस्तुत करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के लेखा का प्रारूप भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की सलाह पर निर्धारित किया जाता है। यह कार्य लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) द्वारा किया जाता है, जो सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और लेखा के रूप को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। सी जी ए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेखा अधिकारियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सं. स. वि. ले. तैयार करता है। मंत्रालयों/विभागों के सचिव अपने संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सी ए ए) होते हैं। वे संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकारों (एफ ए) और मुख्य लेखा नियंत्रकों (सी सी ए) की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल किया गया है जो सटीकता, पूर्णता और पारदर्शिता के संदर्भ में सं. स. वि. ले. में वित्तीय जानकारी की प्रस्तुति में मुद्दों और कमियों को उजागर करती हैं। जैसा कि 2018-19 के लिए संघ लेखे पर प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इनमें से कई कमियां पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उजागर होने के बावजूद बनी हुई हैं। यह लेखा अधिकारियों की ओर से प्रभावी उपचारात्मक उपायों की कमी का संकेत है।

2.2 पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मामले

2.2.1 लघु शीर्ष 800 का अविवेकी उपयोग

'अन्य प्राप्तियों'/'अन्य व्यय' नाम के साथ लघु शीर्ष 800 का उपयोग मुख्य शीर्ष प्राप्ति और व्यय के तहत किया जाता है जो लेन-देन के लिए नियमित नहीं हैं और/या जो किसी विशिष्ट लघु शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध नहीं किया जा सकता है। लघु शीर्ष

800 के बार-बार उपयोग से खातों में अपारदर्शिता होती है और इसलिए इसे कम करने की आवश्यकता है।

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा लघु शीर्ष 800 के निरंतर उपयोग की ओर इशारा किया गया है। इन प्रतिवेदनों ने वित्तीय रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकारी खातों की संरचना की व्यापक समीक्षा का भी सुझाव दिया है। फिर भी संघ सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय और प्राप्तियों का निरंतर लेखा-जोखा करना पड़ा।

2.2.1.1 लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज

वित्त वर्ष 20 के दौरान कुल ₹39,838 करोड़ का व्यय 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' कई मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज किया गया था। छह मंत्रालयों/विभागों के 11 मुख्य शीर्षों के मामले में ₹19,153 करोड़ का व्यय, जो इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत लेखांकित किया गया था। इनमें मुख्य शीर्ष 5275-अन्य संचार सेवाओं के तहत रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क पर व्यय (₹9,410 करोड़) और मुख्य शीर्ष 2701-मध्यम सिंचाई के तहत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹1,999.30 करोड़) शामिल था।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, महत्वपूर्ण व्यय (यद्यपि संबंधित मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था। इनमें मुख्य शीर्ष 2210 के तहत चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय (₹3,226 करोड़), मुख्य शीर्ष 2401 के तहत फसल खेती पर व्यय ₹2,608 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 2076 के तहत रक्षा सेवा-सेना पर व्यय (₹2,530 करोड़) शामिल था।

कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय की महत्वपूर्ण दर्ज लघु शीर्ष 800 के तहत, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत कई वर्षों से जारी है: मुख्य शीर्ष 5275 के तहत अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय; मुख्य शीर्ष 2711 के तहत बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी; मुख्य शीर्ष 4853 के तहत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और मुख्य शीर्ष 4402 के तहत मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।

2.2.1.2 लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत बुकिंग

वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹16,892 करोड़ की प्राप्ति लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज की गई थी। 13 मंत्रालयों/ विभागों में, 18 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियां जो कि ₹2,921 करोड़ थी और इन शीर्षों के तहत दर्ज कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक थी, इस लघु शीर्ष के तहत दर्ज की गई थी। इन शीर्षों में 'रक्षा सेवाएं-नौसेना', 'खाद्य संग्रहण व भंडारण', 'श्रम और रोजगार', 'रक्षा सेवा अनुसंधान और विकास', 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित मामलों में महत्वपूर्ण प्राप्तियां (यद्यपि कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम) को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

- कर प्राप्तियों/गैर-कर प्राप्तियों जिसमें ब्याज प्राप्तियां (₹2,045 करोड़), सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹1,245 करोड़), पुलिस प्राप्तियां (₹1,145 करोड़) और रक्षा सेवा प्राप्तियां-सेना (₹897 करोड़) शामिल हैं।
- विविध पूंजीगत प्राप्तियों के तहत, एस यू यू टी आई आदि की प्राप्ति (₹2,070 करोड़)।

इसके अलावा, कर प्राप्तियों के तहत ₹1,720 करोड़ को लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया था, जबकि संबंधित लघु शीर्ष उपलब्ध थे। साथ ही, ₹1,442 करोड़ की गैर-कर राजस्व की राशि को लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के तहत कर राजस्व के रूप में दर्ज किया गया था।

सही लघु शीर्षों की उपलब्धता के बावजूद लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत इस प्रकार की गलत बुकिंग ने शुद्ध आय की गणना और राज्यों के आवंटन को प्रभावित किया।

जैसा कि व्यय के मामले में पाया गया है, 12 मुख्य शीर्षों/कार्यों¹⁸ के मामले में भी कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक की बुकिंग 800 - अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से जारी है।

¹⁸ 0030-मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, 0077-रक्षा सेवाएँ-नौसेना, 0080-रक्षा सेवाएँ-अनुसंधान और विकास, 0230-श्रम और रोजगार, 0235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 0408-खाद्य संग्रहण व भंडारण, 0425-सहकारिता, 0701-मध्यम सिंचाई, 0702-लघु सिंचाई, 1055-सड़क परिवहन, 1056-अंतर्देशीय जल परिवहन और 1456-नागरिक आपूर्ति।

लेखाओं में पारदर्शिता के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय के लगातार दर्ज के मामलों की समीक्षा करें और सी ए जी की सलाह पर, नए लघु शीर्षों के संचालन को निर्धारित और सुनिश्चित करें। सी जी ए को सभी लेखा प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत वर्गीकृत करने के बजाय सही लघु शीर्षों में दर्ज किया जाए।

2.2.2 सं. स. वि. ले में फुटनोट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी का आकृतिण

2.2.2.1 सार्वजनिक देयताएं

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 2 "ऋण स्थिति का सारांश" के अनुसार 31 मार्च 2020 को "लघु बचत और भविष्य निधि" के तहत कुल ₹5,74,880 करोड़ की देनदारियां थी। केंद्र सरकार की अन्य देनदारियों में एन एस एस एफ का ₹8,06,984 करोड़ का निवेश सहित एन एस एस एफ का ₹1,09,462 करोड़ का संचित घाटा और डाकघर बीमा कोष से संबंधित ₹82,963 करोड़ का निवेश फुटनोट के माध्यम से प्रदान किया गया था। इस प्रकार ₹9,99,409 करोड़ के लोक लेखा देयताओं को एक फुटनोट के माध्यम से दर्शाने से और वह भी विवरणी के मुख्य भाग के हिस्से के रूप में या किसी भी स्थान पर समेकित तस्वीर के आकृतिण के रूप में नहीं, केंद्र सरकार की लोक लेखा देयताओं की उपयुक्त तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है।

2.2.2.2 बाह्य ऋण

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 2 और 14 के अनुसार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर केंद्र सरकार का बाह्य ऋण (₹2,99,250 करोड़) था, जो वर्तमान विनिमय दर (31 मार्च 2020 की दर) पर परिवर्तित रूप में (₹5,44,394 करोड़) था, जिसे फुटनोट के माध्यम से दर्शाया गया था।

यह देखा गया कि वर्तमान दर की राशि ऐतिहासिक दर की राशि से ₹2,45,144 करोड़ अधिक था। केवल फुटनोट के माध्यम से बाह्य ऋण के प्रकटीकरण ने लेखाओं की पारदर्शिता को प्रभावित किया और इसे एफ आर बी एम अधिनियम 2003 के आलोक में भी देखा जा सकता है जिसमें संघ सरकार के ऋण की परिभाषा में वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित बाह्य ऋण शामिल है।


2.2.2.3 मूल राजकोषीय संख्या

विवरणी 1 सं. स. वि. ले. के लेन-देन का सारांश स्पष्ट रूप से राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय आंकड़े नहीं देता है। इसके बजाय, राजस्व घाटे का आंकड़ा स्पष्ट रूप से एक फुटनोट के माध्यम से व्यक्त किया गया था जिसमें राजस्व खाते पर व्यय की राशि को राजस्व खाते पर प्राप्तियों से अधिक दर्शाया गया था। इसके निहितार्थ इस प्रतिवेदन की तालिका 1.1 में वित्त वर्ष 20 के लिए लाए गए सं. स. वि. ले. से प्राप्त एक नज़र में बजट में राजकोषीय संकेतकों और वित्तीय संकेतकों के आकृतिण में भिन्नता के संदर्भ में है।

2.2.2.4 अन्य फुटनोट

सं. स. वि. ले. के 16 विवरणों में लेन-देन के आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करने और प्रारम्भिक शेष व अंतिम शेष और उसमें किए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कुल 254 फुटनोट शामिल किए गए थे।

आकृति 2.1: सं. स. वि. ले. में सम्मिलित फुटनोटों का वर्गीकरण



ये फुटनोट, हालांकि महत्वपूर्ण लेन-देन से संबंधित थे, संक्षिप्त और छिपे हुए थे और कुछ मामलों में इन्हें बिना समाधान के साल-दर-साल दोहराया जा रहा था। वैसे फुटनोट - जांच के तहत प्रतिकूल शेष, मिलान के तहत शेष, सूचना प्रतीक्षित की जांच तहत ऋणात्मक दर्ज, पूर्व अवधि समायोजन, वित्तीय समायोजन के बिना स्थानान्तरण,

ऋणात्मक प्रविष्टियों के लिए स्पष्टीकरण, अन्य व्यय और प्राप्तियों के लिए स्पष्टीकरण तथा विनिवेश और निवेश पर जानकारी - से संबंधित थे। जांच के तहत लगातार प्रतिकूल/ऋणात्मक शेष के उदाहरण 8445.00.800 रेलवे जमा-अन्य जमा (₹3,273 करोड़ डेबिट) जिसका अर्थ है कि धन की अनुपलब्धता के बावजूद निकासी, और 8551.00.101 रक्षा अग्रिम (₹2,279 करोड़ क्रेडिट) जिसका अर्थ है कि स्वीकृत अग्रिमों के बजाय अग्रिमों की अधिक प्राप्ति फुटनोट के रूप में दिखाए गए थे। अन्य उदाहरणों में शामिल हैं - रेलवे पेंशन निधि में प्रतिकूल शेष की व्याख्या-वाणिज्यिक लाइनें (₹33,289 करोड़ डेबिट), पूंजी पुनर्गठन को अंतिम रूप देने के कारण समावेशन का विवरण (₹1,182 करोड़), और सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में किए गए निवेश में से शेयरों की वापस खरीद के कारण बहिष्करण (₹195 करोड़)।

इसके अलावा, इन फुटनोट्स में विसंगतियों को दूर करने के लिए किये गये समायोजन और कार्रवाई की पूर्ण प्रकृति और निहितार्थ का खुलासा नहीं किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि सी जी ए सं. वि. ले. के हिस्से के रूप में "लेखा के लिए नोट्स" अनुभाग या समकक्ष समेकित प्रकटीकरण प्रारूप की शुरुआत पर विचार करें जो अतिरिक्त जानकारी (व्यक्तिगत विवरणों में दर्शाए गए से परे) को सक्षम करेगा जिसे पठनीयता और पारदर्शिता में सहायता के लिए एक समेकित रूप प्रदान किया जाना है।

2.2.3 पावर सिस्टम डेवलपमेंट निधि (पी एस डी एफ) के लेन-देन में नेटिंग

मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुच्छेद 3.4 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि आरक्षित निधि/जमा खातों से वित्तपोषित राशि को लघु शीर्ष 'कटौती-से प्राप्त राशि (अलग कोड '902' आदि के साथ आरक्षित निधि/जमा खाते का नाम) को राजस्व, पूंजी या ऋण अनुभाग में कार्यात्मक मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के तहत दर्शाया जाएगा, जहां वास्तविक व्यय के तहत डेबिट किया जाता है।

ऊर्जा मंत्रालय के समेकित/वर्गीकृत सार से पता चलता है कि ₹555.32 करोड़ की राशि लेखा शीर्ष 2801.05.797 से पी एस डी एफ को हस्तांतरित की गई थी। इसके अलावा, शीर्ष 2801.05.106 के तहत ₹555.32 करोड़ की राशि के व्यय का प्रावधान किया गया था और उसी शीर्ष का उपयोग कटौती प्रविष्टि करने के लिए किया गया था।

नतीजतन, कार्यात्मक शीर्ष 2801.05.106 के तहत लेन-देन का शुद्ध प्रभाव शून्य था। इसलिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 9 में शीर्ष 2801.05.106 के तहत ₹555.32 करोड़ और (-) ₹555.32 करोड़ के नेटिंग की वजह से कोई लेन-देन शामिल नहीं था।

सी जी ए ने अपने उत्तर (दिसंबर 2020) में कहा कि लेखांकन लेन-देन 2801.05.106 के तहत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। हालांकि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लघु शीर्ष 2801.05.106 के तहत विवरणी 9 में कोई लेन-देन दर्शाया नहीं जा सका। यह पारदर्शिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

2.3 लेखों की यथार्थता से सम्बंधित मामले

अंतिम वर्गीकरण और निकासी की प्रतीक्षा में उंचत और विविध शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण शेष राशि, और ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष राशि से वार्षिक केंद्रीय वित्त लेखों की सटीकता प्रभावित होती है।

2.3.1 लेखों के उंचत व विविध शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

सरकारी खातों में उंचत शीर्षों का संचालन उन लेन-देनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें उनकी प्रकृति के बारे में जानकारी की कमी के कारण खाते के अंतिम शीर्ष पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋण डेबिट या ऋण क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशि उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों में दर्ज की जाती है। यदि इन राशियों का समायोजन नहीं किया जाता है, तो उंचत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाते हैं और लेखे सरकारी प्राप्तियों और व्यय की गलत तस्वीर पेश करते हैं।

उंचत शेष के लिए लघु शीर्ष वार लेखों का रख रखाव प्रधान लेखा कार्यालय (प्रि ए ओ) द्वारा किया जाता है और उप/विस्तृत शीर्ष वार लेखों का वेतन और लेखा कार्यालय (पी ए ओ) द्वारा किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक को उंचत शेष राशि की समीक्षा करने और निगरानी उद्देश्यों के लिए महालेखा नियंत्रक (सी जी ए) को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, सी जी ए उंचत लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार विवरण नहीं रखता है, जिससे ऐसे शेषों की निकासी की निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है।

उंचत और विविध शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि की लेखापरीक्षा संवीक्षा पाँच प्रधान लेखा कार्यालयों अर्थात् केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(सी बी डी टी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी), नियंत्रक, 'सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा' (सी ए ए ए) और उच्च शिक्षा, और रक्षा मंत्रालय में की गई थी। संवीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों पर निम्नलिखित उपखंडों में चर्चा की गयी है।

2.3.1.1 उचंत शेषों की नेटिंग

सं. स. वि. ले. की विवरणी 13, सिविल मंत्रालयों, डाक, दूरसंचार, रक्षा और रेलवे से संबंधित उचंत शीर्षों के तहत शेष राशि देती है। 31 मार्च 2020 तक उचंत शीर्षों के तहत कुल शुद्ध शेष ₹71,745 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के अंतर्गत ₹28,758 करोड़ (डेबिट), रक्षा मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत ₹24,372 करोड़ (डेबिट), रेलवे के अंतर्गत ₹14,474 करोड़ (डेबिट) और डाक विभाग के लिए ₹4,141 करोड़ शामिल हैं।

जैसा कि अनुच्छेद 2.3.1 में उल्लेख किया गया है, प्राप्तियां और भुगतान जिन्हें आवश्यक जानकारी/विवरणों के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है, उन्हें उचंत शीर्षों के तहत क्रमशः क्रेडिट और डेबिट के रूप में हिसाब में लिया जाता है। वांछित विवरण उपलब्ध होने के बाद क्रेडिट और डेबिट माइनस क्रेडिट या माइनस डेबिट द्वारा समाशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि की एक सटीक तस्वीर देने के लिए क्रेडिट और डेबिट मदों का हिसाब रखना और खातों में अलग-अलग दिखाना आवश्यक है। सं. स. वि. ले. की विवरणी 13 हालांकि, क्रेडिट और डेबिट शेषों के नेटिंग के बाद उचंत शीर्षों के तहत शेष राशि को दर्शाता है जिसके कारण मुख्य और लघु शीर्ष दोनों स्तरों पर उचंत शेष को कम बताया गया।

सिविल मंत्रालयों के उचंत शेषों के विश्लेषण से पता चला कि नेटिंग के कारण, शेष राशि को पी ए ओ उचंत के तहत 8.3 प्रतिशत, उचंत खाता (सिविल) के तहत 70.2 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पी एस बी) उचंत के तहत 35.5 प्रतिशत कम बताया गया था।

तालिका 2.1: सिविल मंत्रालयों के उचंत शेष

(₹ करोड़ में)

| वित्त वर्ष | पी ए ओ उचंत खाता | | उचंत खाता (सिविल) | | पी एस बी उचंत खाता | |
|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | शुद्ध उचंत | वास्तविक उचंत | शुद्ध उचंत | वास्तविक उचंत | शुद्ध उचंत | वास्तविक उचंत |
| वित्त वर्ष 18 | 313.35 डे. | 2,144.03 डे. 1,830.68 क्रे. | 1,952.44 क्रे. | 1,155.37 डे. 3,107.81 क्रे. | 12,592.92 डे. | 13,801.89 डे. 1,208.97 क्रे. |
| वित्त वर्ष 19 | 1,937.51 डे. | 2,650.67 डे. 713.16 क्रे. | 737.71 डे. | 1,140.57 डे. 402.86 क्रे. | 13,692.04 डे. | 15,978.79 डे. 2,286.75 क्रे. |
| वित्त वर्ष 20 | 10,620.42 डे. | 11,098.27 डे. 477.85 क्रे. | 541.41 डे. | 1,179.60 डे. 638.19 क्रे. | 13,268.43 डे. | 16,914.60 डे. 3,646.17 क्रे. |

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि व्यय विभाग में वित्त वर्ष 19 के अंत में उचंत खाता (सिविल) के अंतर्गत ₹0.49 लाख, पी एस बी उचंत ₹40.90 लाख और अन्य नामांकित बैंक उचंत ₹9.36 लाख के तहत ऋणात्मक जमा शेष को वित्त वर्ष 20 की शुरुआत में डेबिट शेष के रूप में दर्शाया गया था। ऋणात्मक क्रेडिट को डेबिट बैलेंस के रूप में मानना, उचंत बैलेंस का समाशोधन नहीं बल्कि उचंत के संचय का प्रतिनिधित्व करता है। क्रेडिट और डेबिट उचंत का अलग-अलग हिसाब रखा जाना था, लेकिन माइनस क्रेडिट को डेबिट बैलेंस के रूप में मानते हुए इन बैलेंस को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

सी जी ए ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2020) में कहा कि खातों के विभागीकरण से पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार वित्त लेखा की विवरणी 13 में उचंत शेष परिलक्षित होते हैं। दूसरे, इस स्तर पर विभिन्न उचंत शीर्षों के तहत वर्षों पुराने निवल शेष को डेबिट और क्रेडिट शेष में अलग-अलग करना संभव नहीं है।

हालांकि, जैसा कि अनुच्छेद 2.1 में उल्लेख किया गया है, सी जी ए खातों का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि खातों का विभागीकरण कुछ दशक पहले हुआ था, सी जी ए को लेखा प्रस्तुतिकरण में अभी तक आवश्यक परिवर्तन/सुधार करना चाहिए था।

यह अनुशंसा की जाती है कि सी जी ए पिछले दस वर्षों में शुद्ध उचंत शेष में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में किए गए जोड़ को अलग-अलग करके प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

2.3.1.2 पी एस बी उचंत में शेष राशि का संचय

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी एस बी) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जब सरकारी विभागों को पी एस बी को दिए गए निर्देशों के खिलाफ किए गए भुगतान का विवरण प्राप्त होता है, तो लेन-देन को शुरू में पी एस बी उचंत के खिलाफ क्रेडिट एंट्री के रूप में दर्ज किया जाता है। जब आर बी आई सरकारी खाते से राशि डेबिट करता है, पी एस बी उचंत का यह क्रेडिट रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स (आर बी डी) हेड में कॉन्ट्रा क्रेडिट द्वारा क्लियर किया जाता है। इसी प्रकार संबंधित सरकारी विभाग पी एस बी द्वारा प्राप्तियों की सूचना प्राप्त करने के बाद, पी एस बी उचंत को डेबिट कर देता है। जब आर बी आई सरकारी खाते में राशि जमा करता है तो पी एस बी उचंत के इस डेबिट को आर बी डी हेड में कॉन्ट्रा डेबिट द्वारा क्लियर किया जाता है। पी एस बी उचंत को समय पर समाप्त करने में विफलता का परिणाम सरकारी खातों में आर बी आई के पास अपने नकद शेष का गलत आकृतिण होता है।

अ) पी एस बी उचंत-सिविल

संवीक्षा से पता चला कि पी एस बी उचंत शेष का प्रमुख संचय केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ) और उच्च शिक्षा विभाग में था।

तालिका 2.2: पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) का संचय

(अंत शेष ₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 18 | वित्त वर्ष 19 | वित्त वर्ष 20 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय | 7,083.04 | 9,745.49 | 10,452.33 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 1,588.70 | 913.39 | 1,144.45 |

इसके अलावा, वित्त वर्ष 20 में पी एस बी उचंत शेष के जोड़ और निकासी के विश्लेषण से सी पी ए ओ और उच्च शिक्षा विभाग दोनों द्वारा पी एस बी उचंत शेष को समाशोधन के लिए अपर्याप्त प्रयासों का पता चला, जैसा कि तालिका 2.3 में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) का जोड़ और निकासी - वित्त वर्ष 20


(₹ करोड़ में)

| | प्रारंभिक | जोड़ | निकासी | समापन |
|------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय | 9,745.49 | 746.19 | 39.35 | 10,452.33 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 913.38 | 255.53 | 24.45 | 1,144.45 |

इसके अलावा, सी पी ए ओ के मामले में, पी एस बी उचंत के तहत शेष ऋणात्मक थे, जो मुख्य शीर्ष 2071 के तहत पेंशन व्यय के रूप में अंतिम दर्ज द्वारा मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 के दौरान पी एस बी उचंत के तहत शेष राशि का विवरण आकृति 2.2 में दिखाया गया था।

आकृति 2.2: सीपीएओ में पी एस बी उचंत शेष (डेबिट) की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



जैसा कि आकृति 2.2 में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 तक पी एस बी उचंत शेष लगभग तीन गुना बढ़ गया। उचंत के तहत इस बकाया राशि पर पेंशन व्यय, राजस्व घाटा और केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को उचंत के तहत रखी गई राशि से कम करने का प्रभाव था।

सी पी ए ओ ने अपने उत्तर (नवंबर 2020) में कहा कि इन बकाया राशियों का कारण आर बी आई के बयानों से प्राप्त विवरण और बैंकों से प्राप्त ई-स्कॉल की दर्ज में समय का अंतराल है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों की शेष राशि की निकासी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

ब) पी एस बी उचंत-रक्षा

रक्षा मंत्रालय (र मं) से संबंधित पी एस बी उचंत ने 2019-20 के लिए ₹17,913.17 करोड़ (डेबिट) का अंतिम शेष दिखाया, जो प्रारंभिक शेष से ₹3,453.23 करोड़ कम है। रक्षा लेखा महानियंत्रक (सी जी डी ए) द्वारा सी जी ए को प्रस्तुत किए गए खाते केवल शुद्ध स्थिति दर्शाते हैं और डेबिट और क्रेडिट शेष के बीच ब्रेक-अप नहीं देते, जिससे खाते अपारदर्शी हो जाते हैं। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि शुद्ध उचंत वित्त

वर्ष 16 के अंत में ₹125.47 (क्रेडिट/क्रे.) करोड़ से बढ़कर ₹17,913.17 (डेबिट/डे.) करोड़ के वर्तमान आंकड़े तक पहुंच गया था, जैसा कि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: पी एस बी उचंत-रक्षा के अंतर्गत बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | वर्ष के दौरान संवितरण | अंतिम शेष |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| वित्त वर्ष 16 | 125.47 क्रे. | - | 1,979.77 | 1,854.30 डे. |
| वित्त वर्ष 17 | 1,854.30 डे. | - | 7,130.47 | 8,984.78 डे. |
| वित्त वर्ष 18 | 8,984.78 डे. | - | 5,861.64 | 14,846.43 डे. |
| वित्त वर्ष 19 | 14,846.43 डे. | - | 6,519.97 | 21,366.40 डे. |
| वित्त वर्ष 20 | 21,366.40 डे. | 3,453.22 | - | 17,913.17 डे. |

रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा पेंशन के लेखांकन की लेखापरीक्षा से पता चला कि पी एस बी उचंत शेष के संचय का एक प्रमुख कारण रक्षा मंत्रालय की पुस्तकों में पेंशन लेन-देन की गैर निकासी थी। वित्त वर्ष 16 से शुरू होने वाले पेंशन स्कॉल को समाशोधन न करने की प्रथा वित्त वर्ष 20 तक जारी रही और सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 [अनुच्छेद 2.3.2.1 (बी)] में इसकी सूचना दी गई थी।

मंत्रालय ने (सितंबर 2020) में कहा कि वित्त वर्ष 20 के दौरान शेष राशि का भुगतान रक्षा पेंशन के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण नहीं किया गया था। बाद में वित्त वर्ष 21 के दौरान इन स्कॉल के दर्ज किए जाने की भी सूचना मिली थी।

इस प्रकार, बुनियादी लेखा प्रक्रिया के उल्लंघन में, और राजस्व व्यय को कम करने के व्यक्त उद्देश्य के लिए, रक्षा पेंशन व्यय राशि ₹17,913.17 करोड़ को पी एस बी उचंत में रखा गया था।

2.3.1.3 विदेश में क्रयों के लिए उचंत खाते

नियंत्रक, 'सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा' (सी ए ए ए), वित्त मंत्रालय की पुस्तकों में लघु शीर्ष 'विदेश में खरीद के लिए उचंत खाते' संचालित होता है। सरकार दाताओं को सलाह देती है कि वे भारत में परियोजना प्राधिकरणों/आयातकों¹⁹ को की गई आपूर्तियों के विरुद्ध विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करें। संबंधित मंत्रालयों/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक समान राशि को उचंत शीर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। इस

¹⁹ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, जैसे सीपीएसयू, राज्य पीएसयू, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आदि।

शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष, आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से बकाया वसूली को इंगित करता है, भले ही सरकार ने इन आयातों के लिए पहले ही भुगतान कर दिया हो।

31 मार्च 2020 तक, ₹3,812.05 करोड़ (डेबिट) की राशि उचंत में पड़ी थी, जिसमें से ₹75.82 करोड़ पांच साल से अधिक पुरानी वस्तुओं से संबंधित थे। इस मुद्दे को वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय लेखा पर सी ए जी के प्रतिवेदन में भी उजागर किया गया था, लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया है। उचंत मदों का निरंतर अस्तित्व सं. स. वि. ले. की विवरणी 14 में बाह्य ऋण की प्रस्तुति को प्रभावित करता है।

2.3.1.4 'चेक और बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

शीर्ष 'चेक और बिल' सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा पी एस बी को जारी किए गए भुगतान निर्देशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किस हद तक किए गए हैं और सही तरीके से दर्ज किए गए हैं, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमायोजित शेषों का निरंतर अस्तित्व सरकार के खातों में दर्शाए अनुसार नकद शेषों को विकृत कर सकता है।

वित्त वर्ष 20 में ₹67,007 करोड़ की राशि के चेक और बिल बकाया थे, जो ₹24,903 करोड़ (59.15 प्रतिशत) की सालाना वृद्धि दर्शाते हैं, जैसा कि तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: 'चेक और बिल' के अंतर्गत प्रमुख बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

| शब्दावली | वित्त वर्ष 2020 | वित्त वर्ष 2019 | वित्त वर्ष 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| कुल चेक और बिल | 67,006.70 | 42,103.97 | 34,947.68 |
| पोस्टल चेक | 37,481.94 के. | 27,272.54 के. | 21,078.94 के. |
| रेलवे चेक | 17,964.12 के. | 1,524.7 के. | 2,661.56 के. |
| वेतन और लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह | 3,465.13 के. | 4,208.28 के. | 4,316.27 के. |
| इलेक्ट्रॉनिक सलाह | 2,652.99 के. | 1,010.84 के. | 670.82 के. |
| वेतन और लेखा कार्यालय चेक | 2,332.52 के. | 3,477.53 के. | 2,083.06 के. |
| विभागीय चेक | 1,709.71 के. | 3254 के. | 3,153.96 के. |
| दूरसंचार लेखा कार्यालय चेक | 852.41 के. | 862.37 के. | 868.65 के. |
| अन्य चेक | 547.88 के./डे. | 493.71 के./डे. | 114.42 के. |

इस प्रकार, डाक चेक (₹10,209.4 करोड़ के., 37.43 प्रतिशत) और रेलवे चेक (₹16,439.42 करोड़ के.) के मामले में 'चेक और बिल' के तहत बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर, पी ए ओ इलेक्ट्रॉनिक सलाह, पी ए ओ चेक और विभागीय चेक के तहत शेष राशि में गिरावट का रुझान दिखा है।

शीर्ष 'चेक और बिल' के तहत स्थायी शेष के अस्तित्व ने केंद्र सरकार के खाता (प्राप्तियां और भुगतान) नियम, 1983 का उल्लंघन किया, जो यह निर्धारित करता है कि अगर चेक और बिल जारी होने के छह महीने से अधिक बकाया हैं, और नवीनीकृत नहीं किया गया है तो रद्द किए जाने हैं और उनकी राशि खातों में वापस की जानी है। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना-जांच ने दर्शाया कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जारी किए गए चेकों की एक बड़ी संख्या भुगतान के लिए समयबद्ध थी और खातों में वापस लिखी जा सकती थी।

मुख्य शीर्ष की प्रकृति और नामकरण के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि जमा रहनी चाहिए। हालांकि, तीन छोटे शीर्षों - विभागीय (चेक आहरण डी डी ओ) इलेक्ट्रॉनिक सलाह, रक्षा चेक और ट्रेजरी चेक के तहत ₹340 करोड़ के डेबिट/प्रतिकूल शेष थे। यह वित्त वर्ष 17 की तुलना में गिरावट है जब प्रतिकूल संतुलन का एक भी उदाहरण नहीं था।

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2020) कि मुख्य शीर्ष 8670-चेक और बिल के विभिन्न लघु शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष के मामले हर साल संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रकों को इंगित किए जाते हैं। हालांकि, कुछ शीर्षों के अंतर्गत लगातार बकाया शेष और वृद्धि के कारण उत्तर मान्य नहीं था।

यह अनुशंसा की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएं कि सभी लेखा प्राधिकरण इस शीर्ष के तहत शेष राशि का मिलान और निकासी करें और छह महीने से अधिक समय से बकाया सभी सरकारी चेकों के संबंध में ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया शुरू करें ताकि सरकारी नकद शेष को सही ढंग से दर्शाया जा सके।

2.3.2 जर्नल प्रविष्टि के माध्यम से संशोधन

सिविल लेखा नियमावली के प्रावधान 5.9.1 में कहा गया है कि प्रत्येक प्रधान लेखा कार्यालय प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में एक 'केंद्रीय लेन-देन का विवरण' (एस सी टी) तैयार करेगा, जो मार्च के पूरक सहित वर्ष के दौरान सभी लेन-देन के प्रगतिशील प्रभाव

का प्रतिनिधित्व करेगा। एस सी टी केवल अलग-अलग मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष-वार विवरण के लिए तैयार किए जाएंगे, जिसमें प्रभारित, मतदान, योजना और गैर-योजना व्यय स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे। बंद होने के बाद किसी भी महीने के वर्गीकृत या समेकित सार में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। हालांकि, एस सी टी तैयार होने और जमा करने के बाद त्रुटियों के मामलों का पता लगाया जा सकता है। यदि एक ही वर्ष में एक त्रुटि का पता चलता है और एक ही मुख्य शीर्ष के तहत एक लघु शीर्ष से दूसरे में या एक मुख्य शीर्ष से दूसरे में राशि के हस्तांतरण द्वारा सुधार शामिल है, तो जर्नल प्रविष्टियों (जे ई) के रूप में आवश्यक सुधार प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जर्नल प्रविष्टि (जे ई) का उपयोग नई पेंशन योजना (एन पी एस) से संबंधित ₹1,705 करोड़ और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी एस डी) से संबंधित कुल ₹3,580 करोड़ (प्राप्तियों के रूप में ₹1,897 करोड़ और व्यय के रूप में ₹1,683 करोड़) के व्यय को उचंत शीर्ष (8659.00.140) में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। यह जे ई के उपयोग से संबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इसके परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों को ₹1,897 करोड़ और राजस्व व्यय को ₹1,683 करोड़ से कम बताया गया।

रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में एन पी एस अंशदान को उचंत शीर्ष में स्थानांतरित करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि बाद के वर्ष में ट्रस्टी बैंक को निधि हस्तांतरित करके उचंत शीर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने सी एस डी प्राप्तियों और व्यय की दर्ज के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि सी एस डी डिपो कोविड-19 परिदृश्य के कारण अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दे सके।

2.3.3 वित्त वर्ष 18 से संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एकीकृत वास्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी) के अल्प हस्तांतरण का लेखा-जोखा

वित्त वर्ष 18 में वर्ष के अंत में आई जी एस टी में ₹1,76,688 करोड़ की शेष राशि थी। इसमें से, भारत सरकार ने केंद्रीय करों के हस्तांतरण के लिए वित्त आयोग के फार्मूले को अपनाने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के तहत ₹67,998 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से हस्तांतरित किए थे और शेष राशि को भारत

की संचित निधि में विभाजित नहीं किया गया था। सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 2 (फरवरी 2019 में संसद में रखी गई) में बताया गया था कि आई जी एस टी का हस्तांतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 269अ के प्रावधान के उल्लंघन में था। इसके बजाय आई जी एस टी को पहले केंद्र और राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के बीच आई जी एस टी अधिनियम के संदर्भ में विभाजित किया जाना चाहिए था, और आई जी एस टी के केंद्र के हिस्से से राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को हस्तांतरण किया जाना था। परिणामस्वरूप, राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को आई जी एस टी के बंटवारे के कारण कुल मिलाकर कम धनराशि प्राप्त हुई। सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 11 (जुलाई 2019 में संसद में रखी गई) में इस मुद्दे को और विस्तार से बताया गया। इससे पहले, लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2019 में मसौदा अनुच्छेद के माध्यम से इस मामले को वित्त मंत्रालय को इंगित किया था। मसौदा अनुच्छेद के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया था कि वित्त वर्ष 19 के दौरान, आई जी एस टी शेष को हस्तांतरित नहीं किया गया था और उपलब्ध शेष राशि को अनंतिम रूप से विभाजित किया जा रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 18 में किए गए हस्तांतरण को सही करने के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर चुप्पी साधी थी।

वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष को विभाजित करने का प्रस्ताव

राजस्व विभाग (डी ओ आर) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष के विभाजन/निपटान के मुद्दे पर लगातार विचार-विमर्श किया गया था, वित्त वर्ष 20 के अंत तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। वित्त वर्ष 18 के लिए आई जी एस टी निपटान के मुद्दे की जांच के लिए दिसंबर 2019 में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। इसके बाद, इस मुद्दे पर सी ए जी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए मई 2020 में, वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 18 में हस्तांतरित आई जी एस टी को उलटने और ₹1,76,688 करोड़ के शेष आई जी एस टी को विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि क्या मंत्रियों के समूह से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुई था।

प्रस्ताव में आई जी एस टी में बचे ₹1,76,688 करोड़ के उपर्युक्त शेष का विभाजन 50:50 के आधार पर सी जी एस टी और एस जी एस टी के बीच शामिल था। इस

प्रकार, सभी राज्यों को एक साथ एस जी एस टी के रूप में ₹88,344 करोड़ मिलना था। इसके अतिरिक्त, ₹88,344 करोड़ रुपये के सी जी एस टी का 42 प्रतिशत, जो कि ₹37,104 करोड़ रुपये था, वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों को हस्तांतरित किया जाना था। दूसरी ओर, वित्त वर्ष 18 में राज्यों को आई जी एस टी की हस्तांतरित ₹67,998 करोड़ की राशि राज्यों से वसूल की जानी थी। कुल राजकोषीय प्रभाव की गणना राज्यों को ₹57,450 करोड़ के शुद्ध व्यय के रूप में की गई थी, जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष को विभाजित करने का प्रस्ताव

| क्रमांक | विवरण | धनराशि |
|---------|--|-----------------|
| 1 | वित्त वर्ष 18 में अविभाजित आई जी एस टी | ₹1,76,688 करोड़ |
| 2 | वित्त वर्ष 18 में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हस्तांतरित आई जी एस टी की राशि | ₹67,998 करोड़ |
| 3 | सी जी एस टी के प्रभाजनीय | ₹88,344 करोड़ |
| 4 | एस जी एस टी/ यू टी जी एस टी के प्रभाजनीय | ₹88,344 करोड़ |
| 5 | संघ के हिस्से से राज्यों को हस्तांतरण | ₹37,104 करोड़ |
| 6 | राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को देय कुल राशि | ₹1,25,448 करोड़ |
| 7 | कम - वित्त वर्ष 18 में बांटी गयी आई जी एस टी का प्रत्यावर्तन | ₹67,998 करोड़ |
| 8 | राज्यों को शुद्ध निर्गम राशि | ₹57,450 करोड़ |

वित्त वर्ष 18 में भुगतान किए गए जी एस टी मुआवजे के निहितार्थ

केंद्र सरकार के उपर्युक्त प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि शेष आई जी एस टी (प्रत्यावर्तन के बाद) सी जी एस टी और एस जी एस टी के बीच विभाजित किया गया तो, वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों के कुल एस जी एस टी में वृद्धि होगी और इसलिए, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पहले से भुगतान किए गए मुआवजे की वापसी की आवश्यकता के कारण देय मुआवजे में कमी होगी। इस प्रकार, वित्त वर्ष 18 में भुगतान किए गए जी एस टी मुआवजे में से ₹46,169 करोड़ की राशि को अतिरिक्त माना गया।

शामिल लेन-देन का लेखांकन

लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित लेन-देन शामिल थे:

- क) आई जी एस टी शेष का एस जी एस टी और सी जी एस टी में अंतरण/विभाजन

- ख) आई जी एस टी से सी जी एस टी में हस्तांतरित अतिरिक्त राशि से राज्यों को हस्तांतरण
- ग) वित्त वर्ष 18 में राज्यों को हस्तांतरित आई जी एस टी का प्रत्यावर्तन
- घ) वित्त वर्ष 18 में राज्यों को भुगतान किए गए अतिरिक्त जी एस टी मुआवजे का समायोजन

उपरोक्त लेन-देन के बदले, हस्तांतरित आई जी एस टी के प्रत्यावर्तन और शेष आई जी एस टी के विभाजन, आई जी एस टी के आंशिक पुस्तक समायोजन²⁰ और केंद्र और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुआवजे के लिए के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिससे जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में ₹33,412 करोड़ जमा किए गए। मुख्य शीर्ष 8235.00.143 के तहत निधि में प्राप्त के समान राशि जमा करते समय, जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में स्थानांतरण के कारण व्यय के रूप में, वित्त वर्ष 20 के भीतर उपरोक्त समायोजन को प्रभावी करने के लिए 16 जून 2020 को एक जर्नल प्रविष्टि (जे ई) जारी की गई, जिसमें शीर्ष 3601.08.797 (₹31,697 करोड़) और 3602.08.797 (₹1,715 करोड़) के तहत ₹33,412 करोड़ डेबिट किया गया था।

कुछ राज्यों को आई जी एस टी अधिनियम के आधार पर विभाजन के बजाय वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर न्यायगत आई जी एस टी के वितरण के कारण देय राशि से अधिक प्राप्त हुआ था। इसलिए वित्त वर्ष 20 के दौरान वित्त वर्ष 18 के आई जी एस टी शेष का समायोजन ऐसे राज्यों से नकद वसूली से बचने के लिए केवल ₹33,412 करोड़ रुपये तक सीमित था।

समायोजन की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- क) हालांकि वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी शेष के निपटान का यह मुद्दा लंबे समय से जारी था, समायोजन करने का प्रस्ताव मई 2020 में ही लिया गया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त समायोजन वित्त वर्ष 21 में स्वीकृत किए जाने के बावजूद, एक जर्नल प्रविष्टि (जे ई) के माध्यम से वित्त वर्ष 20 के खाते में शामिल किए गए थे। चूंकि यह वित्त वर्ष 21 में किया गया एक नया खर्च था, इसे वित्त वर्ष 20 के खातों में नहीं रखा जाना चाहिए था

²⁰ वित्त वर्ष 20 के लिए यू जी एफ ए में नकद बहिर्वाह / अंतर्वाह से बचने के लिए राज्यों से वसूली के लिए समायोजन ₹33,412 करोड़ तक सीमित था ।

और इसके बजाय मौजूदा लेखांकन मानदंडों के अनुसार वित्त वर्ष 21 के खातों में इसका हिसाब लगाया जाना चाहिए था।

- ख) सिविल लेखा नियमावली का प्रावधान 16.3.4 केंद्रीय लेन-देन के विवरण (एस सी टी) में केवल सुधार करने के लिए जे ई के उपयोग की परिकल्पना करता है। तत्काल मामले में वित्त वर्ष 20 के दौरान अनुमोदित नहीं किए गए अतिरिक्त लेन-देन के लिए जे ई का उपयोग किया गया था, जो निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है।
- ग) जे ई या सं. स. वि. ले. के संबंधित विवरणों में इन लेन-देनों द्वारा कवर किए गए विभिन्न खातों के शीर्षों को सकल रूप से दर्शाने के बजाये, समायोजन शुद्ध प्रभाव में किया गया था।
- घ) इसके अलावा, जी एस टी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के अनुसार, किसी वित्त वर्ष में किसी राज्य को जारी की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को बाद के वित्त वर्ष में ऐसे राज्य को देय मुआवजे की राशि के बदले समायोजित किया जाएगा। हालांकि, इस मामले में वित्त वर्ष 18 के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अधिक भुगतान के रूप में गणना की गई राशि को वित्त वर्ष 21 या बाद में देय मुआवजे के बजाय उस वर्ष से संबंधित आई जी एस टी की बकाया राशि के खिलाफ समायोजित किया गया था।

राजस्व विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि ₹33,412 करोड़ की राशि जून 2020 वित्त वर्ष 18 से संबंधित आई जी एस टी शेष के विभाजन के हिस्से के रूप में भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) से जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित कर दी गई थी। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और सी जी ए के परामर्श से किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेन-देन वित्त वर्ष 21 में स्वीकृत एक नया व्यय था; इसलिए, वित्त वर्ष 20 के खातों में ₹33,412 करोड़ का लेखांकन निर्धारित लेखांकन मानदंडों के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, विभिन्न शीर्षों के लिए शुद्ध लेन-देन/समायोजन के लिए निहितार्थ/स्पष्टीकरण और भविष्य के वर्षों में समायोजन कैसे पूरा किया जाएगा, लेखांकन रिकॉर्ड और सं. स. वि. ले. में बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया था।

2.3.4 31 मार्च 2020 तक जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर में कम अंतरण

जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम, 2017 निर्दिष्ट अवधि के लिए जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उपकर लगाने का प्रावधान करता है। सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 के अनुसार वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह के कुल ₹47,272 करोड़ कम जमा करने की ओर इशारा किया था।

वित्त वर्ष 20 में, सं. स. वि. ले. के अनुसार ₹95,553 करोड़ के उपकर के संग्रह के जवाब में, धन अंतरण की राशि ₹1,53,910 करोड़ थी, यानी इस वर्ष के दौरान संग्रह से ₹58,357 करोड़ अधिक राशि का अंतरण किया गया। जैसा कि अनुच्छेद 2.3.3 में इंगित किया गया है, इस अधिक राशि में ₹33,412 करोड़ जर्नल प्रविष्टि (जे ई) के द्वारा जून 2020 में (वित्त वर्ष 2020 के समाप्ति के बाद) अंतरित किये गये। यह अंतरण वित्त वर्ष 18 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम अंतरित किये गये आई जी एस टी का आंशिक समायोजन है। इस प्रकार 31 मार्च 2020 तक वर्ष 2020 के दौरान सी एफ आई में वास्तविक संग्रहण की तुलना में ₹24,945 करोड़ अधिक अंतरण किये गये जबकि सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 में ₹47,272 करोड़ की राशि के कम अंतरण की जानकारी दी गई थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2020 तक पिछले वर्षों में एकत्र किए गए क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण ₹22,327 करोड़²¹ जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में किया जाना बाकी था।

2.3.5 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होती है जैसे (अ) जब लेन-देन को डेबिट किए जाने के बजाय गलती से क्रेडिट किया जाता है और इसके विपरीत, (ब) जब डेबिट को एक शीर्ष के तहत और संबंधित क्रेडिट को किसी अन्य शीर्ष के तहत या इसके विपरीत, और (स) जब आरक्षित निधि से बहिर्वाह/संवितरण प्राप्तियों/शेषों से

²¹ वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 में ₹47,272 करोड़ का कम जमा - वित्त वर्ष 20 में ₹24,945 करोड़ का अधिक अंतरण = ₹22,327 करोड़

अधिक हो। इस प्रकार ये शेष, त्रुटियों और वित्तीय नियंत्रणों की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं और खातों की गुणवत्ता और सटीकता को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. ने ₹ 51,618 करोड़²² (₹9,882 करोड़ क्रेडिट और ₹41,736 करोड़ डेबिट) की राशि के प्रतिकूल शेष के 72 मामले दिखाए। इनमें से 36 मामले ₹9,217 करोड़ के (₹2,352 करोड़ क्रेडिट और ₹6,865 करोड़ डेबिट) पांच साल से अधिक समय से अनसुलझे थे, जिनमें सबसे पुराने 45 साल के थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष तालिका 2.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | रकम | इकाई/निधि | टिप्पणी |
|----------|------------------|---|--|
| 1 | 35,721 (डे.) | रेल मंत्रालय | ये इंगित करते हैं कि आरक्षित निधियों -रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइनों और मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाइनों) से संवितरण शेष राशि से अधिक थे। मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाइन) के तहत शेष राशि वित्त वर्ष 10 में प्रतिकूल हो गई थी। इसके अलावा, ₹35,721 करोड़ में से ₹33,289 करोड़ रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाइनों से संबंधित थे। निधि से पेंशन पर व्यय की तुलना में निधि में कम विनियोग के कारण यह शेष राशि वित्त वर्ष 17 में प्रतिकूल हो गई थी। कम विनियोग रेलवे की कम राजस्व आय के कारण था। |
| 2 | 4,814.04 (क्रे.) | रक्षा अग्रिम, और बैंकों/ कोषागारों में प्रेषण-रक्षा | ये शेष क्रमशः वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 20 में प्रतिकूल हो गए। |
| 3 | 3,272.99 (डे.) | रेलवे जमा | वित्त वर्ष 06 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई। |
| 4 | 937.30 (डे.) | भोपाल गैस रिसाव आपदा कोष-प्राप्तियां | ये वित्त वर्ष 08 से खातों में दिखाई दे रहे हैं। |
| 5 | 928.20 (क्रे.) | भोपाल गैस रिसाव आपदा कोष-भुगतान | |

²² ₹50,588 करोड़ के कुल 36 मामले ऋण, जमा और प्रेषण शीर्षों और शेष ऋणों और अग्रिमों से संबंधित हैं।

| | | | |
|---|-----------|--|---|
| 6 | 211 (डे.) | श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष | वित्त वर्ष 08 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई। |
| 7 | 159 (डे.) | शहरी विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष | वित्त वर्ष 16 में ये शेष राशि प्रतिकूल हो गई। |

यह अनुशंसा की जाती है कि सभी लेखा प्राधिकारी प्रतिकूल शेष राशि के कारणों की पहचान करें और उन्हें समयबद्ध तरीके से ठीक करें।

2.3.6 निष्क्रिय आरक्षित निधियां और जमाराशियां

आरक्षित निधियां और जमाराशियां लोक लेखा का एक हिस्सा है। वो लेन-देन जिसके संबंध में सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए दायित्व वहन करती है, उनके पुनर्भुगतान को लोक लेखा में दर्ज किया जाता है। आरक्षित निधि के सृजन में आम तौर पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले लोक लेखा में सी एफ आई से धन का अंतरण शामिल होता है। दूसरी ओर, सरकार की जमा राशि जमाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में और/या जमाकर्ता की ओर से सरकार द्वारा कुछ कार्य निष्पादित करने के लिए की जाती है।

निष्क्रिय निधि/जमा उन निधियों या जमाओं का सृजन करती है जो लंबे समय से परिचालन में नहीं हैं और हो सकता है कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो। लोक लेखा में ऐसी निष्क्रिय निधियों/जमाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है और शेष को लोक खाते से समाशोधित किया जा सकता है।

वित्त लेखों की संवीक्षा से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के अंत में ₹5,416.33 करोड़ के कुल शेष वाले 8 आरक्षित निधि और 16 जमा निधि 3 से 25 वर्षों की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे। 4 आरक्षित निधि और 14 जमा निधि 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े थे और शेष इस अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहे। इसी तरह, अन्य चार आरक्षित निधि और दो जमा निधि 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थे। ज्यादातर मामलों में, शेष राशि छोटी थी, और उनकी निरंतरता किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतीत नहीं होती थी। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस मुद्दे को इंगित किया गया है, लेकिन कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई है।

इन निधियों/जमाओं की निरंतरता की समीक्षा की जानी चाहिए और लागू नियमों के अनुसार बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए।

2.3.7 बाह्य ऋण को बड़े खाते में डालने के संबंध में अनुचित लेखांकन

शासकीय लेखा नियमावली (जी ए आर) के नियम 38 में प्रावधान है कि सरकार को देय सभी राशियाँ, जो वसूली न जा सके, को बड़े खाते में डाल दिया जायेगा। इस राशि को सम्बन्धित ऋण मद के व्यय शीर्ष में सरकार की हानि के रूप में मुख्य शीर्ष “8680-विविध शासकीय खाता- खाते के बंद शेष के बड़े खाते में डालना” में डाला जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 20 के दौरान बाहरी ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण ₹3,108 करोड़ की राशि बड़े खाते में डाल दी गई थी। हालांकि, उसी राशि को क्रेडिट के रूप में दर्शाया गया था, जिसका अर्थ है कि वर्ष के दौरान विभिन्न लघु शीर्षों के तहत मुख्य शीर्ष 6002 के तहत बाहरी ऋण की प्राप्ति - ऋणात्मक डेबिट के बजाय बाहरी ऋण, जो जी एफ आर के नियम 38 में उल्लिखित प्रावधान के विपरीत था।

सी जी ए ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि विदेशी ऋण की विनिमय दर में भिन्नता के कारण बड़े खाते में डालना सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) के नियम 273 और जी ए आर के नियम 38 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। हालांकि, इन राशियों को बाह्य ऋण की प्राप्तियों के रूप में दर्शाने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया था।

2.4 डेटा अखंडता और पूर्णता के मामले

2.4.1 गारंटी की विवरणी की अपूर्णता

विवरणी 4 केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की स्थिति बताता है। 31 मार्च 2020 तक, 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई बकाया गारंटियां ₹4,66,881 करोड़ रुपये थीं। इसके अलावा, उक्त वर्ष के लिए गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्य ₹3,075 करोड़ में से, केंद्र सरकार को केवल ₹1,071 करोड़ प्राप्त हुए। तीन मंत्रालयों/विभागों (फार्मास्युटिकल विभाग, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग-के वी आई सी) ने वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹2,027 करोड़ की गारंटी शुल्क की वसूली नहीं की। वाणिज्य विभाग से संबंधित वित्त

वर्ष 20 का ₹11 करोड़ का गारंटी शुल्क वित्त वर्ष 19 में अग्रिम रूप से भुगतान किया गया था। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 21 का ₹32.14 करोड़ का गारंटी शुल्क {वाणिज्य विभाग (₹2.34 करोड़) और एम टी एन एल (₹29.80 करोड़)} वित्त वर्ष 20 में प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, तीन मंत्रालयों/विभागों कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय ने उनके द्वारा प्राप्य गारंटी शुल्क में माफी/छूट दी।

2.4.1.1 गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) निर्धारित करते हैं कि गारंटी शुल्क की दरें बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होंगी।

हालांकि, विवरणी 4 की समीक्षा से पता चला कि तीन मंत्रालयों/विभागों के लेखा अधिकारी वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹4,873 करोड़ के गारंटी शुल्क की वसूली करने में विफल रहे। इस राशि में से ₹2,027 करोड़ की वसूली वित्त वर्ष 20 के दौरान नहीं हुई, जैसा कि तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: गारंटी शुल्क की कम प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

| मंत्रालय/ विभाग | प्राप्य शुल्क | शुल्क प्राप्त | शुल्क की कम प्राप्ति | टिप्पणियाँ |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--|
| नागरिक उड्डयन | 1,912.76 | 54.92 | 1,857.84 | एयर इंडिया लिमिटेड ने गंभीर तरलता संकट के कारण गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया है |
| रसायन और उर्वरक - फार्मास्यूटिकल्स | 88.51 | 0 | 88.51 | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक बीमार कंपनी है। |
| उद्योग | 88.22 | 7.89 | 80.33 | फुटनोट के अनुसार, के वी आई सी लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है। |
| कुल | 2,089.49 | 62.81 | 2,026.68 | |

तालिका 2.8 में तीन संस्थाओं में से, दो संस्थाओं (रासायनिक और उर्वरक-फार्मास्यूटिकल एवं नागरिक उड्डयन) के मामले में कम प्राप्ति वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 के लिए संघ खातों पर सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इंगित की गई थी।

2.4.1.2 बकाया गारंटियों पर जानकारी का मेल न होना

सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) संबंधित मंत्रालयों के वित्त प्रभाग/वित्तीय सलाहकारों को गारंटियों पर जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं जो अंततः संघ सरकार के वित्त लेखों में वित्त मंत्रालय द्वारा शामिल की जाती हैं।

बजट अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग को प्राप्त वार्षिक समीक्षा रिपोर्टों की लेखापरीक्षा से पता चला कि संघ सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 4 में जिन 19 मंत्रालयों/विभागों की गारंटियां प्रतिवेदित की गई थीं, उनमें से केवल 17 मंत्रालयों²³ ने वित्त वर्ष 20 के दौरान गारंटियों पर समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी। साथ ही, उक्त 17 मंत्रालय/विभाग में से 9 के प्रतिवेदन या तो अपूर्ण थे या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

शेष 8 मंत्रालयों के प्रतिवेदनों की जांच से पता चला कि कृषि मंत्रालय के मामले में संघ सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 4 के अनुसार बकाया राशि समीक्षा ,प्रतिवेदन के अनुसार बकाया राशि से ₹13,101.91 करोड़ अधिक थी। आर्थिक कार्य विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2021) कि मामला प्रतिक्रिया के लिए संबंधित मंत्रालय को भेज दिया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय गारंटी प्रदान करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा सटीक और पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। साथ ही, यह दोहराया जाता है कि आर्थिक कार्य विभाग को एफ आर बी एम के सीमाओं और चूक के जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए गारंटियों का एक विश्वसनीय और पूर्ण डेटाबेस बनाना चाहिए और उसे अनुरक्षित रखना चाहिए।

²³ वित्त वर्ष 20 में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले दो मंत्रालयों के नाम: 1. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एचयूपीए) 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2.4.2 विवरणी 9, 10 और 13 में विसंगतियां

2.4.2.1 आरक्षित निधियों से वितरित और पूर्ति की गई राशियों में विसंगतियां

सं. स. वि. ले. की विवरणी 13 में दर्शाई गई किसी आरक्षित निधि से संवितरित राशि और सं. स. वि. ले. की विवरणी 9 में दी गई निधि से किए गए व्यय के आंकड़े बिल्कुल मेल खाने चाहिए। निम्नलिखित मामलों में विवरणी 9 और 10, और विवरणी 13 में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों के बीच विसंगतियां देखी गईं।

तालिका 2.9: आरक्षित निधि से संवितरित और प्राप्त राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरणी 9 और 10 के अनुसार शीर्ष | रकम | विवरणी 13 के अनुसार आरक्षित निधि से संवितरित राशि | अंतर | टिप्पणियाँ |
|------|--|-----------|---|-----------|---|
| 1 | कटौती-निर्भया निधि से किया गया व्यय | 1,084.69 | 1,034.76 | 49.93 | सी जी ए ने जवाब दिया कि रक्षा (सेवाएँ) द्वारा 3601.06.902 के तहत निर्भया निधि से कटौती की गई राशि के रूप में ₹50 करोड़ दर्ज किए गए हैं, लेकिन राशि को उनके एस सी टी में निर्भया निधि से वितरित नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा, रक्षा लेखा महानियंत्रक ने इस संबंध में केवल एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया। |
| 2 | कटौती-रेलवे पेंशन निधि से किया गया व्यय | 48,726.01 | 49,187.89 | 461.88 | ये विसंगतियां प्रक्रियाओं के असंगत तरीके को अपनाने का परिणाम हैं। |
| 3 | कटौती-रेलवे सुरक्षा निधि से किया गया व्यय | 6,885.74 | 16,885.74 | 10,000.00 | |
| 4 | राष्ट्रीय वनीकरण प्रतिपूरक निधि से किया गया व्यय | 40.80 | 0.00 | 40.80 | सी जी ए ने कहा कि मुद्दा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाया गया था, लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)। |

2.4.2.2 मुख्य शीर्ष 8450 - केंद्र शासित प्रदेशों के शेष खाते के अंतर्गत राज्यों के शेष

विवरणी 13 में, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य शीर्ष 8450 शेष खातों के तहत विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत शेष थे। ये 8450.101 के अंतर्गत पुडुचेरी (₹40.12 करोड़ के.), 8450.102 के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव (₹16.30 करोड़ के.), 8450.104 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश (₹56.82 करोड़ के.), 8450.105 के अंतर्गत मिजोरम (₹124.41 करोड़ के.) से संबंधित थे। प्रासंगिक रूप से, ये केंद्र शासित प्रदेश बहुत पहले या तो राज्य बन गए थे या अलग लोक लेखा के साथ विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। यह राशियाँ पुडुचेरी के संबंध में 2007-08 से और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और मिजोरम के संबंध में 2002-03 से शेष पड़ी हुई हैं। सी जी ए ने कहा कि शीर्ष 8450 - केंद्र शासित प्रदेशों के शेष खाते में जो क्रेडिट/डेबिट शेष हैं, वे देय/प्राप्य हैं। पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के शेष पुराने शेष हैं और खातों में जारी हैं।

सी जी ए के उत्तर ने लेखापरीक्षा तर्क को संबोधित नहीं किया और अनियमित शेषों के समाशोधन के लिए कोई रोडमैप प्रदान नहीं किया।

2.4.3 सरकारी निवेशों से संबंधित मामले

सं. स. वि. ले. की विवरणी 11 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में केंद्र सरकार के निवेश का विवरण प्रदान करता है। सी जी ए और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सी जी ए उक्त विवरणी में प्रस्तुत आंकड़ों के सटीकता और पूर्णता के लिए जिम्मेदार हैं। सं. स. वि. ले. में निहित सरकारी कंपनियों/ निगमों/ बैंकों और समितियों आदि की जानकारियों को संबंधित संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ मिलान करने पर देखी गयी विसंगतियां तालिका 2.10 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.10: सरकारी निवेश में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

| इकाई | सरकार द्वारा इक्विटी निवेश | | | |
|---|---------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | सं. स. वि. ले. के विवरणी 11 के अनुसार | | इकाई के वार्षिक लेखा के अनुसार | |
| | इक्विटी | प्रतिशत | इक्विटी | प्रतिशत |
| कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड | 4.43 | -- | 7.98 | -- |
| आवास और शहरी विकास निगम | -- | 100 | -- | 89.81 |

स्रोत: वित्त वर्ष 20 का सं. स. वि. ले. और संबंधित संस्थाओं के वार्षिक खाते

इसके अलावा, 67 संस्थाओं के संबंध में, विवरणी 11 में प्रकृति, निवेश, अंकित मूल्य, शेयरों की संख्या, पूंजी और 45 संस्थाओं में केंद्र सरकार के निवेश के प्रतिशत के संबंध में अधूरी जानकारी थी। इसके अलावा, 22 संस्थाओं में, वित्त वर्ष 20 में निवेश/विनिवेश होने के बावजूद पिछले वर्ष से इक्विटी शेयर का प्रतिशत अपरिवर्तित रहा। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में वित्त वर्ष 19 तक का निवेश ₹9,842.63 करोड़ था, जिसे वित्त वर्ष 20 के दौरान बढ़ाकर ₹10,587.93 करोड़ कर दिया गया था। लेकिन इक्विटी का प्रतिशत 50 पर ही रहा। इसी तरह टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (टी एच डी सी) के मामले में वित्त वर्ष 19 तक निवेश ₹2,723.94 करोड़ था, जबकि विनिवेश के बाद वित्त वर्ष 20 के दौरान टी एच डी सी की इक्विटी में 14 करोड़ की कमी आई थी। लेकिन दोनों वर्षों में इक्विटी का 74.45 प्रतिशत पर ही रहा।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार सं. स. वि. ले. में दर्शाए गए निवेश के आंकड़ों का मिलान (न केवल एक बार बल्कि निरंतर आधार पर) सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे, जो सरकारी कंपनियों/ निगमों/ बैंकों और सोसायटी आदि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है।

2.4.4 विनिवेश के आंकड़ों में भिन्नता

निम्नलिखित मामलों में, सं. स. वि. ले. की विवरणी 11 में दर्शाया गया विनिवेश, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी ए एम), वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए विनिवेश विवरणी से भिन्न थे।

तालिका 2.11: विनिवेश के आंकड़ों में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

| सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम | विनिवेश की गई राशि डी आई पी ए एम के अनुसार (बराबर मूल्य) | विनिवेश की गई राशि विवरणी 11 के अनुसार | उत्तर/टिप्पणियां |
|---|--|--|--|
| उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन | 3,609 | 0 | सी जी ए ने कहा कि कंपनी में कुल निवेश ₹3,387 करोड़ है जो कि विनिवेश की गई राशि से कम है और इसलिए, ऊर्जा मंत्रालय से अंतर को सुलझाने का अनुरोध किया गया है। |
| रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) | 25 | 0 | -- |
| भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड | 160 | 0 | विवरणी 11 के अनुसार कंपनी में कुल निवेश ₹20 करोड़ था। |

इस प्रकार, तालिका 2.11 में दर्शाई गई सीमा तक विवरणी 11 अधूरा था और निवेश/विनिवेश की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता था क्योंकि ऊपर सूचीबद्ध दो मामलों में विनिवेश की गई राशि इन कंपनियों में निवेश से अधिक है।

2.4.5 इक्विटी शेयर और प्रतिशत होल्डिंग की जानकारी में भिन्नता

10 मामलों में, विवरणी 11 और इकाई के वार्षिक खातों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच अंतर था।

तालिका 2.12: इक्विटी शेयर और प्रतिशत होल्डिंग का विवरण

| मंत्रालय (विवरणी 11 के अनुसार क्रमांक) | इकाई | विवरणी 11 के अनुसार | | इकाई के वार्षिक खाते के अनुसार | |
|---|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| | | इक्विटी शेयरों की संख्या | % होल्डिंग | इक्विटी शेयरों की संख्या | % होल्डिंग |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 6) | तेल और प्राकृतिक गैस निगम | 4,65,08,54,437 | 62.98 | 7,59,96,08,458 | 60.41 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 160) | भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 35,47,83,293 | 54.93 | 1,14,91,83,592 | 52.98 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 162) | इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड | 12,70,47,788 | 59.37 | 3,25,4,04,724 | 51.50 |
| रेल मंत्रालय (क्रमांक 170) | कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | 10,68,49,205 | 61.80 | 33,38,84,975 | 54.79 |
| रेल मंत्रालय (क्रमांक 179) | भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड | 2,00,00,000 | 100 | 13,98,40,000 | 87.40 |
| आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (क्रमांक 231) | आवास और शहरी विकास निगम | 1,79,78,412 | 100 | 1,79,78,41,253 | 89.81 |
| ऊर्जा मंत्रालय (क्रमांक 87) | पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | 2,68,58,72,408 | 57.37 | 2,68,58,72,408 | 51.34 |
| रक्षा मंत्रालय (क्रमांक 70) | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 1,14,16,42,457 | - | 1,24,59,73,978 | - |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क्रमांक 218) | नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड | 20,00,000 | 100 | 10,30,00,000 | 100 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क्रमांक 163) | गेल (इंडिया) लिमिटेड | 62,31,92,787 | 51.76 | 2,33,44,49,987 | 51.76 |

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा कि सं. स. वि. ले. मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित किया गया है। इसलिए, भिन्नताओं को स्पष्ट करने के लिए मामले को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।

सी जी ए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी लाया गया है, लेकिन कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2.4.6 विवरणी 11 में अन्य विसंगतियां

विवरणी 11 में प्रदर्शित जानकारियों की नमूना-जांच से पता चला कि इसमें डेटा/सूचना को एक संगठित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था। सांविधिक निगम और संयुक्त स्टॉक

कंपनियों को आपस में जोड़ा गया था और एक मंत्रालय/विभाग के तहत सभी संस्थाओं को क्रमबद्ध रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। कई मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय के नामकरण और संस्था के नाम और प्रकृति को अद्यतन नहीं किया गया था। ऐसे कुछ मामले नीचे सूचीबद्ध हैं:

- (i) भारी उद्योग मंत्रालय के बजाय उद्योग मंत्रालय;
- (ii) ओ एन जी सी एक वैधानिक निगम के रूप में, जबकि यह अब एक कंपनी है;
- (iii) सिडबी एक कंपनी के रूप में, जबकि अब यह एक वैधानिक निगम है;
- (iv) एन एस डी सी को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत दर्शाया गया, जबकि यह कौशल विकास मंत्रालय के अधीन है;
- (v) सिडबी को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के बजाय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत दर्शाया गया।

2.4.7 यू टी आई के निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) के परिसंपत्तियों का लेखांकन

यू टी आई का निर्दिष्ट उपक्रम (एस यू यू टी आई) संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था और इसमें यू टी आई की सभी व्यावसायिक परिसंपत्तियां, देनदारियां और संपत्तियां शामिल हैं जो कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में दर्शाए गए योजनाओं और विकास आरक्षित निधि से संबंधित हैं। इस उपक्रम को संघ सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक को स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, न तो एस यू यू टी आई और न ही इसकी परिसंपत्तियाँ/देनदारियां को सं. स. वि. ले. में दर्शाया गया है।

वित्त वर्ष 19 के संघ लेखाओं पर सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 (अनुच्छेद 2.4.2.8) में उपरोक्त के मद्देनजर यह बताया गया था कि एस यू यू टी आई द्वारा धारित शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय केंद्र सरकार को हस्तांतरित की गई राशि ₹12,426 करोड़ को विविध पूंजी प्राप्तियों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है और इस तरह की आय (वर्ष के दौरान एस यू यू टी आई द्वारा उत्पन्न अधिशेष का हिस्सा होने के नाते) को केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता है। वित्त वर्ष 20 के दौरान, यह देखा गया कि एस यू यू टी आई ने इसी तरह केंद्र सरकार को ₹2,069.86 करोड़ प्रेषित किए थे, जिन्हें फिर से सं. स. वि. ले. में मुख्य शीर्ष 4000-विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत उप-मुख्य शीर्ष-01 के अंतर्गत 'अन्य प्राप्तियों' (लघु शीर्ष 800) के तहत शामिल किया गया था। विविध पूंजी प्राप्तियों के तहत यह

वर्गीकरण गलत था क्योंकि एस यू यू टी आई से प्रेषण वर्ष के दौरान एस यू यू टी आई द्वारा अर्जित अधिशेष (एस यू यू टी आई द्वारा धारित शेयरों की बिक्री से आय सहित) के हस्तांतरण की प्रकृति में था जिसे केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों को अधिक बताया गया और राजस्व प्राप्तियों को कम बताया गया।

वित्त मंत्रालय ने कहा (मार्च 2021) कि वित्त वर्ष 20 के दौरान, एस यू यू टी आई ने अपने पास रखे शेयरों के एक हिस्से का निपटान किया और ₹1,469.86 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जो कि एक्सिस बैंक लिमिटेड (₹465.85 करोड़) और एल एंड टी (₹1,004.01 करोड़) में एस यू यू टी आई की हिस्सेदारी को बेचकर प्राप्त हुआ थी। ये विनिवेश प्राप्तियां हैं और वित्त वर्ष 21 के बाद से, इन्हें विनिवेश आय - मुख्य शीर्ष 4000.03.190 और मुख्य शीर्ष 4000.04.190 में रिकॉर्ड करने के लिए शीर्षों के अंतर्गत रखा जाएगा। एस यू यू टी आई ने अपने निवेश आदि से अर्जित अतिरिक्त आय ₹600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित की। इसके अलावा, सी ए जी की 2019 की प्रतिवेदन संख्या 18 (वित्त वर्ष 18 से संबंधित) के अनुच्छेद 8.3 में किए गए अवलोकन के अनुसार, निवेश से आय को मुख्य शीर्ष 4000.01.800 (अन्य प्राप्तियां) के तहत दर्ज किया गया था।

वित्त मंत्रालय के उत्तर में इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि संघ लेखों की लेखापरीक्षा के भाग के रूप में लेन-देन की प्रकृति की अनुवर्ती लेखापरीक्षा समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 19 के लिए यह कहा गया था (सी ए जी की 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4: अनुच्छेद 2.4.2.8) कि एस यू यू टी आई से प्राप्त आय को केवल गैर-कर राजस्व के रूप में माना जा सकता है न कि पूंजीगत प्राप्तियां।

यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय यहाँ निहित सी ए जी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए लेखा अधिकारियों के परामर्श से एस यू यू टी आई द्वारा केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष (शेयरों से आय सहित) के लेखांकन उपचार की समीक्षा करे।

2.4.8 निवेश के आकृतिण में विसंगति

वित्त लेखे की विवरणी 11 का विनियोग खातों के अनुलग्नक-सी के मिलान से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निवेश के आकृतिण में विसंगति है, जैसा कि तालिका 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका 2.13: सरकारी निवेश के आकृतिण में विसंगति

(₹ करोड़ में)

| मंत्रालय/विभाग | कंपनी | निवेश | |
|-------------------|---|------------|--------------------------|
| | | वित्त लेखा | विनियोग खाते (अनुबंध सी) |
| जहाजरानी मंत्रालय | सागरमाला विकास कंपनी सी आर आई ऍफ़ से वित्तपोषित | शून्य | 200.00 |

इसके अलावा, वित्त लेखे और विनियोग खातों के अनुलग्नक-सी की कुछ संस्थाओं के नामों में भिन्नता थी जैसा कि तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: संस्थाओं के नामों में विसंगति

| मंत्रालय/विभाग | इकाई का नाम | |
|----------------------------------|---|---|
| | वित्त लेखे | विनियोग लेखे |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल निधि | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वेंचर कैपिटल निधि |

उत्तर में, सी जी ए ने केवल एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया (फरवरी 2021) जिसमें कहा गया था कि मामला संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया था।

2.5 ऋणों और अग्रिमों के विवरण के संबंध में मामले

सं. स. वि. ले. की विवरणी 15, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिमों की जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

2.5.1 बकाया ऋण और अग्रिमों की गैर वसूली

31 मार्च 2020 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य संस्थाओं को दिए गए ₹3,24,061 करोड़ के कुल ऋण (ब्याज सहित) के सापेक्ष, वसूली में बकाया राशि ₹58,707 करोड़ (19 प्रतिशत) थी, जैसा कि तालिका 2.15 में विस्तृत है।

तालिका 2.15: कुल बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च तक बकाया राशि 2020 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ऋणी की श्रेणी | | मूल | ब्याज | योग | |
| राज्य सरकार | | 3,90 | 1,715 | 2,105 | |
| केंद्र शासित प्रदेश | | 2,206 | 1,867 | 4,073 | |
| अन्य ऋणी ²⁴ | | 17,456 | 35,073 | 52,529 | |
| योग | | 20,052 | 38,655 | 58,707 | |
| आयु-वार विश्लेषण | | | | | |
| ऋणी की श्रेणी | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संस्थाओं की संख्या | बकाया की अवधि (वर्ष में) | मूल | ब्याज | धनराशि |
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार | 22 | >25 | 5,83 | 1,687 | 2,270 |
| | 05 | 15-25 | 2,013 | 1,895 | 3,908 |
| अन्य संस्थाएं | 79 | >25 | 6,301 | 24,761 | 31,062 |
| | 28 | 15-25 | 3,113 | 4,991 | 8,104 |
| | 41 | 5-15 | 6,050 | 5,288 | 11,338 |
| | 7 | <5 | 1,992 | 33 | 2,025 |
| योग | 155 | | 20,052 | 38,655 | 58,707 |

इन अग्रिमों को देने में शामिल मंत्रालयों/विभागों ने कहा कि ऐसे अग्रिमों पर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इन परिस्थितियों में, किसी भी वसूली की संभावना कम है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद बकाया ऋणों और अग्रिमों की शेष राशि की समीक्षा करने के लिए समयबद्ध तरीके से बड़े खाते में डालने सहित उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दे।

2.5.2 बकाया ऋणों के संबंध में ब्याज नहीं दर्शाया जाना

केंद्र सरकार के वित्त लेखों की विवरणी 15 की धारा 3 में 'अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया के पुनर्भुगतान' को दर्शाया गया है। इस विवरणी की जांच में पता चला कि 'श्री सीताराम शुगर कंपनी बैथलपुर, यू पी', 'देवरिया शुगर मिल्स, देवरिया, यू पी', 'राजा बुलान शुगर लिमिटेड, रामपुर, यू पी' जैसे मामलों में, यद्यपि ऋण अग्रिम की मूल राशि बकाया थी, बकाया ऋणों के विरुद्ध ब्याज नहीं दर्शाया गया था।

²⁴ 155 अन्य ऋणी संस्थाओं में निगम, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, सोसायटी, चीनी मिल, कैंटीन और निजी संस्थाएं आदि शामिल हैं।

यही आपत्ति पिछले वर्ष भी उठाई गई थी और सी जी ए कार्यालय ने सूचित किया था कि इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया गया था। यह पाया गया है कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

2.5.3 खाता शीर्ष 6801.800 - अन्य ऋण के अंतर्गत बकाया ऋण

वित्त वर्ष 20 के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 15 में देखा गया कि बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण से संबंधित मुख्य शीर्ष 6801 के तहत लघु शीर्ष 800-अन्य ऋणों के प्रति ₹101.20 करोड़ का ऋण बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2018 में ऊर्जा मंत्रालय ने वेतन और लेखा कार्यालय को सूचित किया था कि ये बकाया ऋण 1980 के दशक में "उत्पादन संपत्ति" के लिए राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए ऋणों से संबंधित था और चूंकि बिजली बोर्ड (एस ई बी) अब अलग हो चुके थे, यह स्पष्ट नहीं था कि उस स्तर पर देनदारियों को उत्तराधिकारी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया या नहीं। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं था कि इन देनदारियों/ऋणों को एस ई बी के अलग होने के बाद कहाँ दर्शाया गया था। यह भी पाया गया कि ऐसे ऋणों की वसूली के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, चूंकि सहायता थर्मल परिसंपत्तियों के लिए थी, डिस्कॉम से वसूली उचित नहीं होगी। लेकिन, इस संबंध में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है।

मामला ऊर्जा मंत्रालय (जनवरी 2021) के साथ उठाया गया था, लेकिन जवाब प्रतीक्षित (मार्च 2021) था।

2.5.4 आर ई सी लिमिटेड पर बकाया ऋण

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर ई सी लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) के विरुद्ध ₹8.11 करोड़ का ऋण 2004-05 से बकाया था। हालांकि, जैसा कि आर ई सी लिमिटेड द्वारा सितंबर 2018 में सी सी ए कार्यालय को सूचित किया गया था, 2003-04 और 2004-05 के दौरान कंपनी द्वारा ब्याज सहित पूरी देय राशि चुका दी गई थी और आगे कोई बकाया ऋण नहीं था। इस प्रकार, ₹8.11 करोड़ के ऋण के लम्बित होने के संबंध में सी सी ए कार्यालय और आर ई सी लिमिटेड के अभिलेखों के बीच एक विरोधाभास था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यद्यपि सी सी ए कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार, आर ई सी लिमिटेड के खिलाफ 2004-05 से उपरोक्त ऋण बकाया था, परन्तु संबंधित

का नाम भाग 3: वित्त वर्ष 20 के लिए केंद्र सरकार के वित्त खातों की विवरणी 15 के अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकाया का पुनर्भुगतान, में नहीं पाया गया। आर ई सी लिमिटेड पर बकाया ऋण को सुनिश्चित करने एवं लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्रालय से (जनवरी 2021) अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

2.6 उपकर/ उगाही के लेखांकन से संबंधित मुद्दे

सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाने के लिए उपकर/उगाही और अन्य शुल्क लगाती है। अधिकांशतः ऐसी प्राप्तियों के संग्रहण का लेखांकन, कानून और नियमों द्वारा विनियमित होता है, जिसमें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन उगाही/लागत/उपकरों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाये, आरक्षित निधियों के सृजन का प्रावधान होता है। ऐसी प्राप्तियों की निगरानी के लिए लेखा प्रक्रिया तैयार करने की जिम्मेदारी महालेखा नियंत्रक (सी जी ए) की है, जिसमें लोक लेखा में उपयुक्त आरक्षित निधियों का संचालन शुरू करना शामिल है। वित्त वर्ष 20 में ₹1,98,402 करोड़ की राशि का उपकर²⁵ एकत्रित किया गया था और इसमें से ₹1,20,026 करोड़ को आरक्षित निधि²⁶ में अंतरित कर दिया गया था।

2.6.1 सार्वभौमिक अभिगम उगाही

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) निधि की स्थापना अप्रैल 2002 में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ पहुँचाने और मोबाइल सेवा एवं ब्राडबैंड सेवा के लिए अवसंरचना द्वारा सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए 'सार्वभौमिक अभिगम लेवी' (यू ए एल) के माध्यम से संसाधनों को जुटाया जाना था। इस तरह एकत्रित की गई लेवी को पहले सी एफ आई और उसके बाद संसद द्वारा अनुमोदित विनियोग के आधार पर गैर-व्यपगत यू एस ओ निधि में अंतरित किया जाता है, जिसका निर्माण लोक लेखा में विशेष रूप से एकत्रित उगाही के उपयोग किए जाने के लिए किया जाता है।

²⁵ जी एस टी क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर, जिसका विवरण अनुच्छेद 2.3.4 में अलग से किया गया है।

²⁶ केंद्रीय सड़क निधि (₹90,252 करोड़), प्रारम्भिक शिक्षा कोष (₹26,848 करोड़) और यू एस ओ निधि (₹2,926 करोड़)

वित्त वर्ष 20 के दौरान संसद ने बजट प्राक्कलन में ₹8,350 करोड़ के यू एस ओ निधि में अंतरण को मंजूरी दी थी। विवरणी 8, 9 एवं 13 की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के दौरान यूएएल का कुल संग्रह ₹7,961.53 करोड़ था, जिसमें से केवल ₹2,926 करोड़ यू एस ओ निधि में हस्तांतरण किए गए थे। इस प्रकार यू एस ओ निधि में ₹5,035.53 करोड़ का कम अंतरण हुआ था।

यू एस ओ निधि के लिए उगाही के कम हस्तांतरण का मुद्दा सी ऐ जी की संघीय लेखों पर जारी वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 15 तक के तथा वित्त वर्ष 19 के प्रतिवेदनों में लाया गया था, परन्तु मामले का निबटारा अभी तक नहीं हुआ है।

2.6.2 राष्ट्रीय खनिज न्यास उगाही

संघ सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एन एम डी आर) अधिनियम के अनुसार 2015-16 में राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट को खनन पट्टों के धारकों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसके बाद संघ सरकार को भुगतान किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित धनराशि को लोक लेखा में राष्ट्रीय खनिज न्यास निधि अंतरित किया जाता है।

विवरणी 8, 9 और 13 की जाँच से पता चला कि इस लेखा में कुल संग्रह ₹664.85 करोड़ था और निधि अंतरण ₹100 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹564.85 करोड़ का कम अंतरण हुआ।

2.6.3 तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर का अंतरण न करना

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत तेल उद्योग के विकास के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ आई डी बी) की स्थापना का प्रावधान है और इस उद्देश्य के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर के रूप में उत्पाद शुल्क वसूल करता है। अधिनियम में उपकर को पहले सी एफ आई में जमा करने और उसके बाद संसद द्वारा तेल उद्योग विकास कोष (ओ आई डी एफ) के लिए पारित निधि से बोर्ड को भुगतान करने का प्रावधान है। यह निधि अन्य उद्देश्य के साथ-साथ तेल उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग की जानी थी।

वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 20 की अवधि के लिए सं. स. वि. ले. की विवरणी 8 की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कच्चे तेल पर एकत्रित कुल उपकर ₹1,28,461

करोड़ था। विवरणी 9 की तदनुसूची संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि उपकर की कुल आय में से कोई भी राशि ओ आई डी बी को हस्तांतरित नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओ आई डी बी की स्थापना के बाद से केवल ₹902.40 करोड़ ओ आई डी बी को हस्तांतरित किए गए थे और 1991-92 से, सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर में से कोई भी राशि ओ आई डी बी को अंतरित नहीं की गई।

उपरोक्त विवरण के संदर्भ में यह इंगित किया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी संसदीय समिति (15वीं लोकसभा) ने भी यह नोट किया था कि इस वार्षिक उपकर से एकत्रित राशि वित्त मंत्रालय द्वारा ओ आई डी बी अधिनियम के उल्लंघन में आवंटित किया जा रहा था। जब मामले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो वित्त मंत्रालय ने (जनवरी 2015) कहा कि सरकार बजट से विभिन्न गतिविधियों को वित्तपोषित कर रही थी जिसमें उपकर से आय शामिल थी, और यह ओ आई डी बी अधिनियम के संदर्भ में तेल उद्योग के विकास के अंतर्गत लाने योग्य था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उपकर को सामान्य पूल कर के रूप में लगाना उपकर लगाने के उद्देश्य के विपरीत है जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट उपयोग के लिए राशि का एक गैर-व्यपगत पूल बनाना था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय द्वारा तेल उद्योग के विकास से संबंधित गतिविधियों पर केवल ₹15,506 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि इस अवधि के दौरान उपकर के रूप में ₹72,384 करोड़ का संग्रह किया गया था।

पिछले 10 वर्षों में ओ आई डी बी को उपकर का हस्तांतरण न होने के कारण, इसे सी एफ आई में बरकरार रखा गया था। परिणामस्वरूप, यह आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि उपकर का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये एकत्र किए गए थे।

2.6.4 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

वित्त वर्ष 19 में आयकर और निगम कर पर प्राथमिक शिक्षा उपकर (सभी करों पर दो प्रतिशत) और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (सभी करों पर एक प्रतिशत) बंद कर दिया गया था, और उनके स्थान पर, चार प्रतिशत की दर से एक नया उपकर, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, पेश किया गया था। आयातित वस्तुओं पर प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को भी हटा दिया गया और सरकार

की सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रदान करने के लिए इसे सीमा शुल्क पर एक सामाजिक कल्याण अधिभार कर दिया गया था।

उपर्युक्त उपकरणों के संग्रहण तथा समर्पित आरक्षित निधियों में उनके अंतरण के संबंध में सं. स. वि. ले. की विवरणी 8, 9 और 10 के लेखापरीक्षा से पता चला कि वित्त वर्ष 20 में इन उपकरणों के अंतर्गत कुल संग्रहण ₹39,241 करोड़ था। चूंकि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण हेतु कोई नई आरक्षित निधि नहीं थी, वित्त वर्ष 20 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के अंतर्गत इस उपकरण की आय को प्रारंभिक शिक्षा कोष (पी एस के), और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एम यू एस के) में अंतरित करना जारी रखा गया, जो कि क्रमशः प्राथमिक शिक्षा उपकरण, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकरण के लिए बनाया गया था।

वित्त वर्ष 20 के लिए संशोधित अनुमान में पी एस के को अंतरण के लिए ₹28,920 करोड़ तथा एम यू एस के को अंतरण के लिए ₹14,460 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। पी एस के के मामले में, वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹26,848 करोड़ की राशि कोष में अंतरित की गई थी, जबकि एम यू एस के के मामले में कोई अंतरण नहीं किया गया क्योंकि आरक्षित कोष का संचालन अभी बाकी था। हालांकि, लेखापरीक्षा छानबीन से पता चला कि ₹974 करोड़ सीधे शीर्ष/योजनाओं के लिए उपयोग किया गया था जो कि एम यू एस के के माध्यम से वित्तपोषित करने के लिए प्रस्तावित थे, जिसमें ₹13,486 करोड़ की कमी थी। उपकरण से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई व्यय परिकल्पित नहीं किया गया था और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई समर्पित कोष बनाया गया था।

2.6.5 सड़क और अवसंरचना उपकरण

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत एकत्रित पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में सड़क और अवसंरचना उपकरण कानून द्वारा विनियोग के माध्यम से संसद द्वारा तय की गई सीमा तक केंद्रीय सड़क कोष (सी आर एफ) में जमा किया जाना है। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा कोष को 01 अप्रैल 2018 से

केंद्रीय सड़क तथा अवसंरचना कोष (सी आर आई एफ) के रूप में फिर से नामित किया गया जो कि इसके परिनियोजन के दायरे²⁷ तथा उपकर की मात्रा को बढ़ाता है। सं. स. वि. ले. की विवरणी 8 और 13 की लेखापरीक्षा जांच और बजट विवरणों में छानबीन से पता चला कि विवरणी 13 में निधि को सी आर आई एफ के बजाय सी आर एफ के रूप में चित्रित करना जारी रखा। इसके अलावा, सी आर आई एफ अधिनियम के तहत कुल ₹1,22,440 करोड़ उपकर के संग्रह के बजाय, संसद ने विनियोग के लिए ₹1,22,369 करोड़ को मंजूरी दी। हालांकि निधि में वास्तविक अंतरण केवल ₹90,252 करोड़ था। लघु हस्तांतरण का एक हिस्सा, रेल मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से रेलवे सुरक्षा कोष तथा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 'अन्य निधियों' में क्रमशः ₹17,250 करोड़ तथा ₹4,380 करोड़ का अंतरण हुआ। हालांकि, इन निधियों का उपयोग पूर्ण रूप से उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिस हेतु सी आर आई एफ बनाया गया था। इसी तरह, ₹6,853 करोड़ इस आधार पर सी आर आई एफ को अंतरित नहीं किया गया कि सी आर आई एफ के लिए लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था; हालांकि, राशि को सामान्य बजटीय सहायता के रूप में भावी उद्देश्यों के लिए खर्च किया गया था। इसमें से ₹3,705 करोड़ शेष रह गए, जो कि उस प्रयोजन के लिए अंतरित/उपयोग नहीं किए गए थे जिसके लिए उपकर एकत्र किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सी आर एफ । सी आर आई एफ अधिनियम के तहत एकत्रित उपकरों की शेष राशि की समीक्षा करे ताकि भावी उद्देश्यों के लिए जमा की गई राशि की गणना की जा सके और सी आर आई एफ को अंतरित की जा सके।

2.7 मिलान और अनुचित लेखांकन से संबंधित मुद्दे

2.7.1 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण

स्वीकृत लेखा प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की प्राप्तियों को शीर्ष 4000.01.106-‘राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय’ के तहत दर्ज किया जाना है।

²⁷ राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव, ग्रामीण सड़कों का विकास, अन्य राज्य की सड़कों का विकास और रखरखाव, रेलवे के नीचे या ऊपर सड़कों का निर्माण, मौजूदा मानक लाइनों को गेज लाइनों में बदलना और रेल लाइनों का विद्युतीकरण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करना आदि।

इस प्रकार प्राप्त राशि को लोक लेखा में राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण खाते के शीर्ष 8225.03.101-‘राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रिकरण’ में राजस्व मद 3054.80.797- आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण के माध्यम से अंतरित किया जाना है। निधि से किए गए व्यय को 5054.01.337-‘सड़क कार्य’ के तहत किए गए बजट प्रावधान के तहत दर्ज किया जाना है और इस प्रकार खर्च की गयी राशि को खाते के शीर्ष 5054.01.905- राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण से प्राप्त कटौती राशि के माध्यम से पुनर्भरण किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एच) के समेकित/वर्गीकृत सार से पाया कि ₹5,000 करोड़ की राशि स्वीकृत राजस्व शीर्ष 3054.80.797 के बजाय पूंजी शीर्ष 5054.80.797 के माध्यम से लोक लेखा में निधि में अंतरित की गई थी। इसके अलावा, निधि से किए गए ₹5,000 करोड़ के व्यय को स्वीकृत शीर्ष 5054.01.337 के बजाय शीर्ष 5054.01.190-‘सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों’ में निवेश के तहत दर्ज किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि वित्त वर्ष 20 में राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रिकरण से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी, "राष्ट्रीय राजमार्ग मुद्रिकरण निधि" में आय मुद्रिकरण से प्राप्त आय की जगह सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) के माध्यम से अंतरित की गयी थी। जी बी एस के माध्यम से प्रदान की गयी इन निधियों का उपयोग सड़क कार्य के बजाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश के रूप में पूंजीगत व्यय करने के लिए किया गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2021) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को संबोधित नहीं किया।

2.7.2 आइ जी एस टी का बंटवारा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269 अ(1) के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा तथा ऐसा कर उस रीति में संघ और राज्यों में प्रभाजित किया जाएगा, जो संसद द्वारा विधि द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर उपबन्धित किया जाएगा। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 17 में संशोधन के अनुसार "उपधारा (1) तथा उप धारा (2) के तहत प्रभाजित नहीं

की गयी राशि कुछ समय के लिए परिषद की सिफारिश पर, केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत की दर से तथा राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत की दर से तदर्थ आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और उक्त उपधाराओं के तहत प्रभाजित राशि के तहत समायोजित की जाएगी।

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी 8 की जाँच से पता चला कि अधिनियम में शेष राशि के तदर्थ विभाजन के प्रावधान होने के उपरान्त भी मुख्य शीर्ष 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के तहत ₹9,125.21 करोड़ की राशि अप्रभाजित (ईनपुट टैक्स क्रेडिट, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाजन और अग्रिम एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाजन के परस्पर उपयोग के उपरान्त) रही। इस राशि का 50 प्रतिशत राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को देय था, परन्तु इस राशि को सी एफ आई में रखा गया और इसलिए यह राशि केन्द्र सरकार की देयता है।

2.7.3 शत्रु संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त को गलत दर्ज किया जाना

अगस्त 2019 में, सी जी ए ने वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से संबन्धित वित्त वर्ष 20 से प्रभावी एक उप शीर्ष 4000.05.101/102 खोला था। शत्रु संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त ₹1,882.40 करोड़ की राशि को नए खोले गए खाता शीर्ष 4000.05.101-‘वित्तीय आस्तियों की बिक्री’ के स्थान पर खाता शीर्ष 4000.04.190.22.01.00-‘भारत की संरक्षक संपत्ति (सी ई पी आई)’ में दर्ज किया गया।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी 2021) को 4006.04.190 के तहत शत्रु संपत्ति की बिक्री से प्राप्त को गलत दर्ज किया गया।

2.7.4 राष्ट्रीय निवेश कोष से राजस्व व्यय का वित्तीयन

सरकार ने नवम्बर (2005) में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया, जिसमें चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी में निवेश से प्राप्त आय को प्रयुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 21 के प्राप्त बजट के अनुसार, राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा की गई धनराशि को निकाला जायेगा तथा उसका उपयोग वित्त वर्ष 20 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर वित्तपोषण व्यय, स्वास्थ्य क्षेत्र और पूंजी व्यय के रूप में भारतीय रेलवे में निवेश के लिए किया जायेगा।

वित्त वर्ष 20 के वित्त लेखे की जांच के दौरान यह पाया गया की प्राप्ति बजट मे जो कहा गया था, उसके विपरीत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय निवेश कोष की निधियों का उपयोग कर राजस्व व्यय किया गया था। राष्ट्रीय निवेश कोष से कार्यात्मक शीर्ष 2210 के तहत चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित ₹43 करोड़ का व्यय किया गया।

प्रकरण आर्थिक कार्य विभाग को भेजा गया (जनवरी 2021) और उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।


2.7.5 संघ सरकार के वित्त लेखे में ऋणात्मक नकद शेष

वित्त वर्ष 16 के दौरान जब केन्द्र सरकार का अंतिम नकद शेष (-)₹3397 करोड़ था तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा 31 मार्च को न्यूनतम नकद रखने की सीमा ₹100 करोड़ रखी गई थी। इस ऋणात्मक अंतिम नकद शेष के फलस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा न्यूनतम नकद धारण की सीमा 31 मार्च 2018 को ₹100 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ कर दी गई थी।

संघ सरकार के वित्त लेखे के पिछले 5 वर्षों का अंतिम नकद शेष निम्नांकित आकृति 2.3 में दर्शाया गया है।

आकृति 2.3: संघ सरकार के वित्त लेखे मे अंतिम नकद शेष

(₹ करोड़ में)



वित्त वर्ष 20 के दौरान, हालांकि, अंतिम नकद शेष फिर से ऋणात्मक (-)₹2241 करोड़ हो गया। इस प्रकार 31 मार्च के लिए आर बी आई द्वारा न्यूनतम नकदी धारण सीमा में वृद्धि के बावजूद, संघ सरकार सं. स. वि. ले. में सकारात्मक नकदी शेष को बनाये रखने मे विफल रही, क्योंकि वित्त वर्ष 20 से सम्बन्धित शेष लेन-देन 31 मार्च 2020

को आर बी आई द्वारा निर्धारित नकदी धारण से अधिक थे। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में शेष लेन-देन वित्त वर्ष 19 के लिये ₹2,272 करोड़ से तीन गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 20 के लिये ₹7,594.51 करोड़ हो गया।

सी जी ए ने अपने उत्तर में कहा कि ऋणात्मक नकद शेष, लेखा शेष था और आर बी आई द्वारा 01 अप्रैल से 10 अप्रैल 2020 के दौरान वित्त वर्ष 20 के लिये शेष लेन-देन के कारण उत्पन्न हुआ। हालांकि संस्थागत बैंको द्वारा शेष लेन-देन के रूप में ₹7,594.51 करोड़ के कुल भुगतान के रिपोर्टिंग के कारण, 31 मार्च 2020 को नकद शेष राशि ऋणात्मक थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 अप्रैल के दौरान शेष लेन-देन संघ सरकार के वित्त लेखों के नकद शेष में शामिल हो जाते हैं और इसलिये न्यूनतम नकद धारण की गणना में अन्तर्निहित होते हैं।

3 अध्याय

विनियोग लेखों पर टिप्पणियां

अध्याय

3

विनियोग लेखों पर टिप्पणियां

3.1 विनियोग लेखों का विहंगावलोकन

संसद द्वारा अधिनियमित विनियोग अधिनियम सरकार को संविधान के अनुच्छेद 114 एवं 115 के संदर्भ में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत अभिज्ञात गतिविधियों तथा कार्यों के लिए तथा सी एफ आई पर प्रभारित संवितरण के लिए भारत की संचित निधि (सी एफ आई) से निर्दिष्ट राशि निकालने के लिए अधिकृत करता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदानों को अनुमोदित करती है।

संसद द्वारा प्राधिकृत सामान्य वित्तीय नियमों (जी एफ आर) एवं बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा तैयार किये गए बजट अनुमान (बी ई) पर आधारित होते हैं। इन निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि बजट अनुमान सभी व्यय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वास्तविक रूप से तैयार हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि अव्ययित शेष से बचा जाए। बजट प्रपत्रों में समाहित करने से पूर्व बजट अनुमानों की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है।

महालेखानियंत्रक (सी जी ए) सिविल मंत्रालयों के विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा, रेलवे एवं डाक विभाग²⁸ के मंत्रालय अपने सम्बंधित अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। यह लेखे संसद द्वारा प्राधिकृत व्यय के प्रावधानों के सारांश की इनके विरुद्ध सी एफ आई से किये गए वास्तविक व्यय की अनुदान/विनियोग-वार²⁹ तुलना करते हैं। निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के लघु/उप-शीर्ष स्तर पर प्रावधानों एवं व्यय के मध्य के लिए स्पष्टीकरण प्रदान किये गए हैं। इस प्रकार, ये लेखे दर्शाते हैं कि किस सीमा तक मंत्रालय/विभाग संसदीय प्राधिकरण का अनुपालन करते हैं।


²⁸ रक्षा लेखा महानियंत्रक, सदस्य वित्त (रेलवे बोर्ड)/ अध्यक्ष एवं सी ई ओ रेलवे बोर्ड तथा सदस्य (वित्त) डाक क्रमशः।

²⁹ विनियोग उन मांगों के विरुद्ध किया जाता है जो पूर्णरूपेण सी एफ आई पर 'प्रभारित' होती हैं; 'अनुदान' उन मांगों के विरुद्ध दिए जाते हैं जो या तो पूर्णतया 'दत्तमत' अथवा आंशिक रूप से 'दत्तमत' एवं आंशिक रूप से 'प्रभारित' होती हैं। वित्त वर्ष 20 में छह 'विनियोग' एवं 94 'अनुदान' थे।

3.1.1 प्रावधानों एवं व्यय का विवरण

वित्त वर्ष 20 हेतु विनियोग लेखों में कुल ₹103,20,827.16 करोड़ के स्वीकृत प्रावधान सम्मिलित हैं तथा कुल व्यय ₹99,43,306.57 करोड़ है।

आकृति 3.1: खंडवार सकल व्यय



आकृति 3.1 वित्त वर्ष 20 के दौरान मंत्रालयों/विभागों-सिविल, रेलवे, रक्षा एवं डाक में व्यय का विवरण दर्शाती है, जबकि खंडवार विवरण³⁰ अनुलग्नक 3.1 में दिया गया है। कुल सकल व्यय का वृहद् भाग, अर्थात् 91.82 प्रतिशत, सिविल मंत्रालयों द्वारा वहन किया गया था।

तालिका 3.1: प्रावधान, संवितरण एवं बचत³¹

(₹ करोड़ में)

| विनियोग खाते (अनुदानों की संख्या) | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | कुल प्रावधान | संवितरण | बचत (-) (प्रतिशत में) |
|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| सिविल (96) | 89,61,652.15 | 4,89,006.43 | 94,50,658.58 | 91,34,889.48 | -3,15,769.10(3.34) |
| रेलवे (1) | 5,00,140.23 | 817.51 | 5,00,957.74 | 4,44,213.53 | -56,744.21(11.33) |
| रक्षा (2) | 3,25,751.70 | 11,000.01 | 3,36,751.71 | 3,34,333.26 | -2,418.45(0.72) |
| डाक (1) | 31,359.74 | 1099.39 | 32,459.13 | 29,870.30 | -2,588.83(7.98) |
| योग | 98,18,903.82 | 5,01,923.34 | 1,03,20,827.16 | 99,43,306.57 | -3,77,520.59(3.66) |

इस प्रकार, ₹103,20,827.16 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, ₹99,43,306.57 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 में ₹3,77,520.59 करोड़ (3.7 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान हुआ।

पुनः, डाक विभाग एवं रेल मंत्रालय ने अनुदान स्तर पर अधिक व्यय की प्रत्याशा में क्रमशः ₹1,099.39 करोड़ व ₹817.51 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे। तथापि, अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। यह अनुदान स्तर पर अद्यतन व्यय

³⁰ प्रत्येक अनुदान/विनियोग के चार खंड हो सकते हैं - राजस्व (भारित), राजस्व (दत्तमत), पूंजी (प्रभारित), एवं पूंजी (दत्तमत)

³¹ विनियोग लेखों में, भिन्नताओं को संसद द्वारा स्वीकृत राशियों के संदर्भ में समझाया गया है, जिसमें अनुपूरक अनुदान या विनियोग एवं उसके विरुद्ध व्यय समाहित हैं। नकारात्मक विविधताओं को 'बचत' तथा सकारात्मक विविधताओं को 'अतिरिक्त' कहा जाता है।

एवं आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् पूरक आवश्यकताओं के अधिक यथार्थवादी अनुमान की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया गया है। प्रभारित व्ययों को संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) एवं 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार संसद के मत के अधीन नहीं हैं, लेकिन संसद में चर्चा की जा सकती है।


कुल मिलाकर, प्रभारित व्यय वित्त वर्ष 20 में सी एफ आई से कुल संवितरण का 71.80 प्रतिशत थे, जिसका विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

| विनियोग | प्रभारित | दत्तमत | योग |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| सिविल | 71,37,860.91 | 19,97,028.57 | 91,34,889.48 |
| रेलवे | 1,210.86 | 4,43,002.67 | 4,44,213.53 |
| रक्षा | 136.06 | 3,34,197.20 | 3,34,333.26 |
| डाक | 0.09 | 29,870.21 | 29,870.30 |
| योग | 71,39,207.92 | 28,04,098.65 | 99,43,306.57 |

वित्त वर्ष 20 में, सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रमुख प्रभारित संवितरण में दो विनियोग सम्मिलित थे यथा- ऋण एवं ब्याज भुगतान का पुनर्भुगतान, तथा एक अनुदान-राज्यों को अंतरण।

आकृति 3.2: सिविल मंत्रालयों/विभागों में प्रभारित एवं दत्तमत व्यय



जैसा कि आकृति 3.2 से देखा गया है, वित्त वर्ष 17 के पश्चात् से दत्तमत एवं प्रभारित व्यय दोनों लगातार बढ़ रहे थे। यद्यपि, वित्त वर्ष 20 में विकास दर वित्त वर्ष 19 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिशत के सन्दर्भ में सिविल मंत्रालयों/विभागों का प्रभारित संवितरण, वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 20 में 82.42 प्रतिशत से 78.14 प्रतिशत तक मामूली लेकिन लगातार गिरावट आई थी।

इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में विनियोग लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणियां संसद द्वारा नियमितीकरण की आवश्यकता वाले अधिक व्यय; महत्वपूर्ण बचतें; अनावश्यक पुनर्विनियोग; आवश्यकता के बिना प्राप्त अनुपूरक प्रावधान; विलंबित अभ्यर्पण तथा निधियों का गैर-अभ्यर्पण; निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय; तथा व्यय के गलत वर्गीकरण से सम्बंधित हैं।

3.2 प्राधिकार से भिन्नता

संविधान के अनुच्छेद 114(3) में प्रावधान है कि विधि द्वारा किए गए विनियोगों के अतिरिक्त सी एफ आई से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा। पुनः, सामान्य वित्तीय नियम (जी एफ आर) 2017, यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या आकस्मिक निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त, किसी अनुदान/विनियोग में ऐसा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता जिसके कारण कुल व्यय प्राधिकरण से अधिक हो रहा है। यदि कोई अधिकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 115(1)(बी) के अंतर्गत संसद द्वारा नियमित किया जाना अपेक्षित है।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) (10वीं लोकसभा 1993-94) ने अपने 60वीं प्रतिवेदन में अवलोकन किया था कि ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान या विनियोग में बजट की दक्षता में कमी का संकेत है। अपने 16वीं प्रतिवेदन में, पीएसी (13वीं लोकसभा 2000-2001) ने फिर से देखा कि इस तरह की बचत बजट के अविवेकपूर्ण निर्माण का परिणाम है तथा यह माना गया कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान लगाकर इन्हें पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों को परियोजनाओं/योजनाओं का अधिक सावधानीपूर्वक निरूपण करने तथा निधि आवश्यकता का वास्तविक मूल्यांकन करने का परामर्श दिया³²।

³² एम ओ एफ ने 20 जुलाई 2001 को एडवाइजरी जारी की तथा 22 जुलाई 2015 को इसे दोहराया।

उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक वर्ष बजटीय प्रावधानों में पर्याप्त बचत एवं आधिक्य के प्रकरण देखे गए हैं। वित्त वर्ष 20 के लिए इस तरह के परिवर्तनों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

3.2.1 अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय

तीन अनुदानों में वित्त वर्ष 20 के दौरान संसदीय प्राधिकरण पर ₹32,637.79 करोड़ (खंड के भीतर, बचतों के निवलीकरण, यदि कोई हो, के पश्चात्) का अधिक व्यय दर्शाया।

तालिका 3.3: अनुदान /विनियोग से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्रमांक | अनुदान का विवरण | कुल प्रावधान | कुल व्यय | अधिक व्यय |
|---------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1. | 31 - राजस्व विभाग (दत्तमत राजस्व) | 2,43,488.75 | 2,75,423.23 | 31,934.48 |

विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 18 से संबंधित शेष आई जी एस टी को विभाजित करने के लिए जी एस टी प्रतिपूर्ति कोष में अधिक धनराशि के हस्तांतरण के कारण अधिक व्यय था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2020 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जी एस टी प्रतिपूर्ति कोष में ₹33,412 करोड़ के अतिरिक्त हस्तांतरण के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रतिशत (13.11%) है। इस समायोजन पर इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.3.3 में विस्तार से चर्चा की गई है।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या उपरोक्त व्यय का अनुमान लगाया जा सकता था एवं वित्त वर्ष 20 के बजट में या तो मूल प्रावधानों अथवा अनुपूरक के माध्यम से प्रदान किया जा सकता था। जैसा कि अनुच्छेद 2.3.3 में बताया गया है, फरवरी/जुलाई 2019 में संसद को प्रस्तुत सी ए जी के पूर्व प्रतिवेदनों में आई जी एस टी शेषों के कम हस्तांतरण के प्रसंग का उल्लेख किया गया था। आई जी एस टी के कम हस्तांतरण के प्रकरण पर ध्यान दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय समय पर कार्रवाई कर सकता था तथा वित्त वर्ष 20 हेतु अनुदान की अनुपूरक मांग में वित्त वर्ष 20 से संबंधित प्रतिपूर्ति की बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रावधान भी कर सकता था। इससे प्राधिकार से अधिक व्यय से बचने में सहायता मिलती।

पुनः, लेखापरीक्षा ने पाया कि जी एफ आर 2017 के नियम 61 के अंतर्गत परिशिष्ट 10 का अवलंब लेकर अधिक व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था जो इस प्रतिबन्ध पर अतिरिक्त व्यय की अनुमति देता है कि अनुदान के लिए पूरक मांगों की अगली खेप के माध्यम से आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा। यद्यपि यह इस प्रकरण में उपयुक्त नहीं है क्योंकि वित्त वर्ष 20 के भीतर अनुपूरक अनुदान के माध्यम से नियमितीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अधिकता अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन है, जैसा कि अनुच्छेद 3.2 में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, अब इसे अनुच्छेद 115(1) के अंतर्गत नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमित करने की आवश्यकता होगी।

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------|
| 2. | 20 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (पूँजी दत्तमत) | 1,10,299.42 | 1,11,000.73 | 701.31 |
|----|---|-------------|-------------|--------|

रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदित अधिकता के कारणों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि सेवाओं/ आयुध निर्माणों में अधिक व्यय का प्रमुख कारण प्रतिबद्ध देनदारियों को पूर्ण करने हेतु भुगतान, अनुबंधित नयी योजनाओं के भुगतान के लिए प्रारंभिक देनदारियां, सीमा शुल्क पर अधिक व्यय, विनिमय दर भिन्नता तथा साख पत्र के विरुद्ध एवं कुछ परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक व्यय था। अतिरिक्त व्यय के लिए फ्रास्ट ट्रेकिंग की आवश्यकता के साथ-साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर समाप्त करने को उत्तरदायी ठहराया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया (जनवरी 2021) कि अधिक प्रभावी बजट नियंत्रण हेतु अनुकूलित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान भी इस अनुदान के अंतर्गत क्रमशः ₹1,257.29 करोड़ और ₹3,552.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था, तथा इसके लिए दिए गए कारण भी समान थे। यह दर्शाता है कि बजटीय नियंत्रण में सुधार के दावों के बावजूद, इसी प्रकार के कारणों से प्रत्येक वर्ष अधिकता हुई है। रक्षा मंत्रालय वास्तविक रूप से प्रक्षेपित करने एवं अपने धन की वास्तविक आवश्यकता को अनुमोदित कराने में सक्षम नहीं हुआ है, भले ही अधिकता के लिए उद्धृत कारक ज्ञात है तथा अनुमान किये जा सकते हैं।

इसलिए, 2020 की प्रतिवेदन संख्या 4 के पैरा 3.2.1 में की गई संस्तुति के अनुरूप, इस की गहन जांच की जानी चाहिए कि इस तरह का व्यय किस सीमा तक अपरिहार्य था एवं यदि हाँ, तो पर्याप्त धनराशि क्यों नहीं दी गई।

| | | | | |
|---|----------------------------------|------|------|------------------|
| 3. | 21-रक्षा पेंशन (प्रभारित राजस्व) | 5.80 | 7.80 | 2.00 |
| रक्षा मंत्रालय ने (जनवरी 2021) अधिक व्यय के लिए न्यायालय के आदेशों के आधार पर प्रभारित व्यय की बुकिंग, जो अनिवार्य प्रकृति का था को अधिशेष के लिए उत्तरदायी ठहराया। | | | | |
| योग | | | | 32,637.79 |

3.2.2 बचत का विश्लेषण

वित्त वर्ष 20 के दौरान, सभी अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत कुल बचत ₹4,10,158.38 करोड़³³ थी तथा कुल प्राधिकृत राशि का 3.97 प्रतिशत थी। 61 अनुदानों/विनियोगों के 74 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की कुल ₹4,07,358.03 करोड़ की राशि की बचत हुई। विवरण **अनुलग्नक 3.2** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की जाँच की एवं उनके विश्लेषण की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है।

3.2.2.1 अनुदान/ विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 20 के दौरान 13 अनुदानों/ विनियोगों में अनुदान/ विनियोग स्तर पर ₹5000 करोड़ या उससे अधिक की बचत पायी।

वित्त वर्ष 20 के दौरान 12 अनुदानों/विनियोगों³⁴ में बचतें जो उप-शीर्ष³⁵ स्तर पर महत्वपूर्ण बचत रखती हैं के कारणों का विश्लेषण किया गया है, जैसा कि **तालिका 3.4** में दर्शाया गए हैं।

³³ ये तालिका 3.3 में दिए गए अतिरिक्त व्यय के निवलीकरण के बिना हैं।

³⁴ इसके अतिरिक्त, विनियोग संख्या 36 - ऋण के पुनर्भुगतान में भी महत्वपूर्ण बचत देखी गई।

³⁵ ₹500 करोड़ से अधिक की बचत तथा न्यूनतम ₹100 करोड़ के आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत वाले उप-शीर्ष के कारणों का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 3.4: अनुदान/विनियोग स्तर पर महत्वपूर्ण बचत

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | अनुदान/विनियोग का विवरण | कुल अनुदान/विनियोग | खर्च | बचत ³⁶ |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. | 01-कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1,30,485.30 | 94,511.45 | 35,973.85 |
| <p>'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (किसान-पी एम)' के अंतर्गत ₹18,786.16 करोड़ की बचत हुई। मंत्रालय ने इसके लिए योजना के अंतर्गत कम किसानों के पंजीकरण को उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, 'प्रधान मंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान (पी एम-आशा)' (₹991.46 करोड़); 'हरित क्रांति - कृषोन्नति योजना' (₹856.58 करोड़), तथा 'बाजार हस्तक्षेप योजना/मूल्य समर्थन योजना का कार्यान्वयन' (₹680.40 करोड़ अर्थात् संपूर्ण प्रावधान) के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत हुई। मंत्रालय ने बचत के लिए प्रस्तावों की अप्राप्ति/असमाप्तिकरण, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता और रिक्त पदों को न भरने जैसे कारणों को उत्तरदायी ठहराया। इन कारणों ने योजना निष्पादन एवं अवास्तविक बजट दोनों में अंतराल दिखाया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वित्त वर्ष 19 के दौरान 'आय सहायता योजना/प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत ₹11,940.01 करोड़ की एवं 'हरित क्रांति-कृषि-विकास योजना' के अंतर्गत ₹789.73 करोड़ की समान रूप से महत्वपूर्ण बचत हुई थी, जो योजना के निष्पादन में निरंतर कमी को दर्शाता है।</p> | | | | |
| 2. | 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 2,42,240.44 | 1,15,174.25 | 1,27,066.19 |
| <p>विभाग ने बताया कि ₹1,51,000 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न लेनदेन पर एफ सी आई एवं अन्य को देय सब्सिडी' के अंतर्गत ₹76,000 करोड़ की बचत, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान को घटाकर ₹75,000 करोड़ करने के कारण थी। यह भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) को खाद्य सब्सिडी के बदले में एन एस एस एफ ऋण की स्वीकृति के कारण था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वित्त वर्ष 18 एवं वित्त वर्ष 19 के दौरान इसी कारण से इस शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः ₹48,513.18 करोड़ व ₹69,889.71 करोड़ की इसी प्रकार बचत हुई थी, अर्थात्, एफ सी आई को खाद्य सब्सिडी भुगतान को एन एस एस एफ से ऋण के साथ बदलना। इस प्रकार बचत, बजट से खाद्य सब्सिडी पर व्यय को विनियमित करने का परिणाम थी।</p> | | | | |

³⁶ ये एक ही अनुदान के अन्तर्गत आधिक्य का योग हैं।

इसके अतिरिक्त, एफ सी आई को 'डब्ल्यू एम ए' के लिए ₹50,000 करोड़ के पूरे बजट प्रावधान को बचाया गया था। मंत्रालय ने इसके लिए तरलता की कमी के कारण उसी वित्तीय वर्ष के भीतर अग्रिम चुकाने की गैर-व्यवहार्यता (एफ सी आई के पक्ष पर) को उत्तरदायी ठहराया। यह बताया गया है कि वित्त वर्ष 19 के दौरान भी इस खाते में ₹38,000 करोड़ की बचत हुई थी।

पुनः, 'राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अंतर-राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों की हैंडलिंग एवं एन एफ एस ए के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान डीलरों के मार्जिन पर व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता' के अंतर्गत ₹2,423.43 करोड़ की बचत, अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों से लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण थी।

| | | | | |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3. | 27-आर्थिक मामलों के विभाग | 28,582.62 | 16,203.69 | 12,378.93 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|

इस अनुदान के अंतर्गत बचत 'नयी योजनाएँ' (₹4,000 करोड़) के अंतर्गत थी, जो नयी योजनाओं के आरम्भ नहीं होने के कारण थी। यह पाया गया था कि इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान इसी तरह वित्त वर्ष 18 एवं वित्त वर्ष 19 में पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे थे। पुनः, नयी योजनाओं को निर्दिष्ट किए बिना प्रत्येक वर्ष एकमुश्त प्रावधान किए जा रहे थे। 'स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015' (₹2,546.68 करोड़) के अंतर्गत बचत को, योजना में कम भागीदारी एवं कोविड-19 महामारी के कारण उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन को उत्तरदायी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 की अंतिम तिमाही में कम सोना जमा हुआ था। स्ट्रैटेजिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस एस आई एफ सी आई) (₹1000 करोड़) पर बचत योजना के गैर-संचालन के कारण थी। आई एम एफ से मांग प्राप्त न होने के कारण 'ऋण की नयी व्यवस्था (एन ए बी) के अंतर्गत आई एम एफ को ऋण' के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ के ऋण का गैर संवितरण; तथा सिक्कों के मांग का अधोमुखी संशोधन तथा आरबीआई द्वारा कम उठाये जाने के कारण सिक्कों के अंतर्गत ₹900 करोड़ बचाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान उपर्युक्त उप-शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त बचत भी मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से देखी गयी थी। लगातार बचत बजट अनुमान के साथ-साथ कार्यक्रम/योजना निष्पादन में कमियों को दर्शाती है।

| | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 4. | 35-ब्याज भुगतान | 6,73,470.60 | 6,55,372.01 | 18,098.59 |
|----|-----------------|-------------|-------------|-----------|

ब्याज भुगतान के अंतर्गत ₹28,383.97 करोड़ की बचत हुई, अर्थात् 'बाजार ऋण पर ब्याज' के अंतर्गत ₹22,364.73 करोड़; 'ट्रेजरी बिलों पर छूट-91 दिनों के ट्रेजरी बिल' के अंतर्गत ₹1,407.90 करोड़; '182 दिनों एवं 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों पर ब्याज' के अंतर्गत

₹3,265.71 करोड़ तथा 'भारतीय रिजर्व बैंक से डब्ल्यू एम ए पर ब्याज' के अंतर्गत ₹1,345.63 करोड़। ये भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा नीति/पुनर्खरीद दर (रेपो) में कटौती के कारण ब्याज दरों में आयी नरमी के कारण थी। पुनः, राज्य सरकारों द्वारा किए गए कम निवेश के कारण '14 दिनों के ट्रेजरी बिल पर ब्याज' के अंतर्गत ₹ 2,445.99 करोड़ की बचत हुई तथा निवेशकों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण 'प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड' के अंतर्गत ₹ 1,230.89 करोड़ की बचत हुई।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान भी 'बाजार ऋणों पर ब्याज' के अंतर्गत ₹5,119.09 करोड़, 'ट्रेजरी पर छूट' के अंतर्गत ₹3,003.69 करोड़ तथा 'आर बी आई से डब्ल्यू एम ए पर ब्याज' के अंतर्गत ₹578.33 करोड़ की बचत हुई थी। पुनः, अगस्त 2018 से रेपो दर में नरमी स्पष्ट थी तथा बजट अनुमान तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था। वित्त वर्ष 18 एवं वित्त वर्ष 19 के दौरान क्रमशः '14 दिन के ट्रेजरी बिल' के अंतर्गत ₹536.78 करोड़ और ₹866.07 करोड़ की बचत भी देखी गई थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि व्यय की कुछ मदों के प्रावधान बजट के समय प्रचलित पूर्व प्रवृत्तियों एवं शर्तों के आधार पर ही बनाये जाते हैं। वास्तविक व्यय मुद्रा बाजार की स्थितियों तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के आधार पर नीतिगत निर्णयों से प्रभावित होता है। यद्यपि, इस शीर्ष के अंतर्गत बचत की निरंतर प्रकृति इस दावे का समर्थन नहीं करती है कि बजट पिछले रुझानों पर आधारित था।

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 5. | 38-राज्यों को हस्तांतरण | 1,81,289.89 | 1,74,571.89 | 6,718.00 ³⁷ |
|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'विशेष सहायता (राज्यों)' के अंतर्गत ₹13,376.30 करोड़; 'केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹1,798.12 करोड़ की राशि की बचत हुई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत निधियां जारी करने के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण थी। विशेष सहायता (राज्यों) को स्पिल ओवर प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन तथा राज्यों को अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के पश्चात् प्रावधान नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान क्रमशः 'विशेष सहायता (राज्यों)' के अंतर्गत ₹10,314.19 करोड़ एवं ₹4,049.50 करोड़ की बचत उन्हीं कारणों से हुई थी। इसके अतिरिक्त, उन्हीं कारणों से 'केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹1,675.92 करोड़ और ₹1,000.40 करोड़ की बचत हुई।

व्यय विभाग (डी ओ ई) ने यह भी बताया (नवम्बर 2020) कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को पूरा करने के आधार पर नीति आयोग/डी ई ए की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् राज्यों की विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी की जाती है। चूँकि यह पहले से

³⁷ यह कतिपय उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य के निवलीकरण के पश्चात् शुद्ध बचत है।

अनुमान लगाना संभव नहीं है कि राज्य आवश्यक प्रतिबंधों को पूर्ण करने में सक्षम होंगे या नहीं, प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत तक रखे गए हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उनकी स्वीकृति की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि आवंटित धन अनुपयोगी नहीं रहे।

इसके अतिरिक्त, इस अनुदान के अंतर्गत 'राजस्व घाटा अनुदानों (राज्यों)' के अंतर्गत ₹5,892.50 करोड़ की बचत हुई, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के कारण थी।

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 6. | 42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 93,090.60 | 69,374.79 | 23,715.81 |
|----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

एम ओ एफ द्वारा आर ई चरण में प्रावधान में कमी के कारण राष्ट्रीय निवेश कोष (एन आई एफ) में धनराशि हस्तांतरित नहीं किए जाने के कारण ₹18,676.42 करोड़ की बचत हुई। तथापि, व्यय मुख्य रूप से सी एफ आई/जी बी एस (सकल बजटीय सहायता) से उन योजनाओं/उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए निधियां अंतरित की जानी थीं। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई)-राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत ₹2,500.86 करोड़ की बचत व्यय की धीमी गति के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब तथा 'संचारित रोगों के लिए लचीले पूल' के अंतर्गत ₹719.24 करोड़ की बचतें आपूर्तिकर्ताओं से कम दावों की प्राप्ति एवं मांग में कमी के कारण दवाओं की गैर-अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति न होने के कारण हुई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त वर्ष 18 एवं वित्त वर्ष 19 के दौरान 'राष्ट्रीय निवेश कोष (एन आई एफ) में स्थानांतरण के लिए निधि' के अंतर्गत क्रमशः ₹763.42 करोड़ एवं ₹2,927.87 करोड़ की बचत हुई, तथा वित्त वर्ष 19 के दौरान 'संचारी रोगों के लिए लचीले पूल' के अंतर्गत ₹1,488.39 करोड़ की बचत हुई, जो कि, बजट तैयार करने में लगातार कमियों को दर्शाती है।

| | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7. | 56-आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय | 55,146.07 | 42,353.64 | 12,792.43 |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

मंत्रालय लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने को उदघृत करते हुए 'सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ)' को ₹6,840.06 करोड़ हस्तांतरित नहीं कर सका। यद्यपि, धनराशि जो पी एम ए वाई योजना पर व्यय की जाने थी को जी बी एस से पूरा किया गया था। यह भी देखा गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान सी आर आई एफ को ₹6,505 करोड़ इसी कारण से हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, '100 स्मार्ट शहरों हेतु मिशन' के अंतर्गत ₹2,996.29 करोड़ की बचत के लिए निधियों की कम मांग तथा निधियों को जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूर्ण न करने को उत्तरदायी ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त, 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत

₹1,122.72 करोड़ की बचत भी कम मांगों के कारण हुई। यह योजना के निष्पादन में कमियों का संकेत था।

| | | | | |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 8. | 57-स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 1,02,597.83 | 87,520.84 | 15,076.99 |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|

लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण समर्पित निधियों अर्थात् मध्यम एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एम यू एस के) को ₹5,061.02 करोड़ के गैर-हस्तांतरण के कारण बचत हुई। यद्यपि, योजनाओं/उद्देश्यों (एम यू एस के से वित्तपोषित) के लिए व्यय मुख्य रूप से सी एफ आई से किया गया था जिसके लिए निधियां हस्तांतरित की जानी थीं। प्रासंगिक रूप से, वित्त वर्ष 19 के दौरान भी इसी कारण से एम यू एस के को ₹4,413.14 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण नहीं हुआ था।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या निधि के लिए लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था, बजट प्रावधान जारी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, उपकर को संबंधित आरक्षित निधि³⁸ में स्थानांतरित करने के लिए बजट प्रावधान करते समय अन्य शैक्षिक उपकरणों के स्थान पर एकल "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" पर भी विचार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एम ओ एफ के निर्देश पर एन आई एफ से सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) में बजट प्रावधान में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय निवेश कोष (एन आई एफ) को ₹4,000 करोड़; तथा समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजनाओं के अंतर्गत व्यय कम होने के कारण प्राथमिक शिक्षा कोष को ₹2,071.76 करोड़ का गैर-हस्तांतरण हुआ। इसके अतिरिक्त, 'समग्र शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा' के अंतर्गत ₹875.39 करोड़ की बचत आवर्ती अनुदानों एवं निर्माण गतिविधियों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण थी।

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9. | 58-उच्च शिक्षा विभाग | 54,178.90 | 36,936.63 | 17,242.27 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|

विभाग ने बताया कि ₹15,861.83 करोड़ की बचत समर्पित निधियों में राशि का हस्तांतरण न होने के कारण थी, अर्थात् लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने के कारण माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष को ₹9,399.03 करोड़ तथा वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटन में कमी एवं बाद में जी बी एस के माध्यम से धन/व्यय के हस्तांतरण के कारण राष्ट्रीय निवेश कोष (एन आई एफ) में ₹6,462.80 करोड़। यद्यपि, व्यय मुख्य रूप से सी एफ आई से सीधे उन योजनाओं पर किया गया था जिन्हें निधियों से वित्तपोषित किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए) के अंतर्गत ₹315.20 करोड़ की बचत उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में बिलम्ब एवं राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

³⁸ "स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर" पर अनुच्छेद 2.6.4 का भी सन्दर्भ लें।

प्रासंगिक रूप से, वित्त वर्ष 19 के दौरान भी इसी कारण से एम यू एस के को राशि के गैर-हस्तांतरण के कारण ₹8,195.84 करोड़ की बचत देखी गई।

| | | | | |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 10. | 82- रेल मंत्रालय | 5,00,957.74 | 4,44,213.53 | 56,744.21 |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----------|

राजस्व खंड के अंतर्गत ₹43,845.39 करोड़ की बचत मुख्य रूप से रेलवे निधियों के कम विनियोग एवं ईंधन के अंतर्गत कम परिचालन व्यय के कारण बताई गई थी। पूंजी खंड के अंतर्गत ₹12,898.82 करोड़ की बचत राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष तथा अन्य रेलवे निधियों से बजट की गयी से कम व्यय के कारण बताई गई थी। मंत्रालय ने पुनः सूचित किया कि कम राजस्व सृजन के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर कम संसाधन उपलब्धता के कारण रेलवे निधियों का विनियोग कम कर दिया गया था।

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 11. | 83-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | 1,66,616.66 | 1,52,161.35 | 14,455.31 |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|

'राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण' शीर्ष के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ की बचत बताई गई। जबकि मंत्रालय ने आरक्षित मूल्य के संबंध में बोली की कम दर को बचत के लिए उत्तरदायी ठहराया, उपरोक्त खाते के अंतर्गत निधियों के लेखांकन की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि ₹10,000 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण के कारण विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों के विरुद्ध, वास्तविक प्राप्तियां "शून्य" थीं। इसके बावजूद जी बी एस का उपयोग करते हुए 'राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण' को हस्तांतरण के कारण ₹5,000 करोड़ व्यय के रूप में दिखाया गया था। इस पक्ष पर अनुच्छेद 2.7.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त, कोविड -19 महामारी एवं उसके पश्चात् के लॉकडाउन के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कमी के कारण 'सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) को हस्तांतरण के लिए ब्लॉक अनुदान' के कारण ₹1,000 करोड़ की बचत की गई थी। कोविड -19 महामारी के लिए बचत का श्रेय अस्वीकार्य है क्योंकि संशोधित अनुमान स्तर के पश्चात् महामारी की स्थिति सामने आई है। यह भी पाया गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान सी आर आई एफ को ₹692.72 करोड़ का अल्प हस्तांतरण भी हुआ था।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के कारण मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' के अंतर्गत ₹5,358.16 करोड़; 'अनुरक्षण' के अंतर्गत कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹1,384.17 करोड़; तथा कतिपय परियोजनाओं पर कार्य की धीमी प्रगति एवं रांची-विजयवाड़ा राजमार्ग परियोजना के पूर्ण न होने के कारण 'सी आर आई एफ से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग संबंधी योजनाओं' के अंतर्गत ₹1,059.67 करोड़ की बचत हुयी।

यह देखा गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' एवं 'अनुरक्षण' के अंतर्गत क्रमशः ₹2,967.89 करोड़ तथा ₹1,220.24 करोड़ की समरूप बचत हुई, यह बजट निर्माण एवं बजट निष्पादन में कठोरता की कमी को दर्शाता है।

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 12. | 99-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 29,669.94 | 23,179.84 | 6,490.10 |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|

आंगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत ₹1,164.90 करोड़ की बचत हुई थी, जिसका कारण उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने तथा विगत वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता बताया गया था। यह दर्शाता है कि उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए बजट वास्तविक रूप से तैयार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने तथा कम मांग के कारण कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण 'महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं अधिकारिता मिशन' के अंतर्गत ₹711.80 करोड़ की बचत हुई थी। इसके अतिरिक्त, 'एकीकृत बाल विकास सेवा (अम्ब्रेला आई सी डी एस)' के अंतर्गत कुल ₹1,256.63 करोड़ की बचत हुई थी। इनके कारण, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने, विगत वर्ष की अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता, प्रस्तावों की कम प्राप्ति एवं अंतिमीकरण, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी, योजना के मानदंडों में संशोधन न करना, पोषण अभियान के अंतर्गत गैर-सर्वेक्षण, स्थापना से संबंधित व्ययों के लिए धन की कम आवश्यकता एवं मितव्ययिता के उपाय, बताये गए। ये दर्शाते हैं कि बचत बजट निर्माण एवं निष्पादन तथा सचेत बचत उपायों में कमी के कारण हुई थी।

यह भी देखा गया कि इस अनुदान के अंतर्गत वित्त वर्ष 19 तथा वित्त वर्ष 18 के दौरान क्रमशः ₹465.62 करोड़ तथा ₹357.40 करोड़ 'महिलाओं के लिए सुरक्षा एवं अधिकारिता मिशन' के अंतर्गत तथा वित्त वर्ष 19 'अम्ब्रेला आई सी डी एस' के अंतर्गत ₹1,034.37 करोड़ की बचत लगातार बनी हुई है।

वित्त वर्ष 20 में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले 13 अनुदानों/विनियोगों में से छह में वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 में भी ऐसी पर्याप्त बचत थी, जैसा कि तालिका 3.5 में दिखाया गया है।

तालिका 3.5: वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

| अनुदान विवरण | वित्त वर्ष 20 | वित्त वर्ष 19 | वित्त वर्ष 18 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 1,27,066.19 | 1,08,860.35 | 48,228.25 |
| रेल मंत्रालय | 56,744.21 | 18,404.04 | 50,676 |
| कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | 35,973.85 | 21,295.20 | 6,212.80 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 23,715.81 | 4,348.96 | 5,926.89 |
| ऋण का पुनर्भुगतान | 19,840.23 | 1,26,622.11 | अधिशेष |
| ब्याज भुगतान | 18,098.59 | 4,437.57 | 90.22 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 17,242.27 | 11,292.39 | 1,205.36 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 15,076.99 | 9,383.05 | 2,383.21 |
| सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | 14,455.31 | 7,412.99 | 5,745.64 |
| आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय | 12,792.43 | 9,380.44 | 54.10 |
| आर्थिक कार्य विभाग | 12,378.93 | 8,860.75 | 6,200.20 |
| राज्यों को स्थानांतरण | 6,718.00 | 27,811.48 | 28,624.33 |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 6,490.10 | 2,269.48 | 2,074.31 |
| पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में ₹5,000 करोड़ से अधिक की लगातार बचत | | | |
| पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से दो में ₹5,000 करोड़ से अधिक की बचत | | | |

सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किए जाने एवं पीएसी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट हेतु वित्तीय मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के बावजूद, लगातार बचत बजट निर्माण में उचित परिश्रम की निरंतर कमी तथा/या बजट निष्पादन में कमी को दर्शाती है।

3.2.2.2 लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचतें

लेखापरीक्षा ने पैराग्राफ 3.2.2.1 में वर्णित के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बचतों अर्थात् अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत लघु शीर्ष/उप शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या अधिक की बचत, तथा न्यूनतम ₹100 करोड़ के अधीन आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत की भी जांच की। प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों³⁹ की चर्चा तालिका 3.6 में की गई है।

तालिका 3.6: लघु-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण बचतें

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|--------|
| अनुदान संख्या - 3 परमाणु ऊर्जा | | | | |
| 1. | 2801.03.101.07- टी ए पी एस के लिए बी डब्ल्यू आर ईंधन | 664.41 | 454.96 | 209.45 |

विभाग द्वारा बचत को अन्य देशों से प्राप्त होने वाले ईंधन के मूल्यों तथा सामरिक सामग्री की अधिसूचना की प्राप्ति में बिलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। पुनः कहा गया कि (सितम्बर 2020) वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित एवं पुष्टि करने के पश्चात् भविष्य के अनुमान लगाए जाएंगे।

³⁹ लघु शीर्ष/उप शीर्ष स्तर पर ₹500 करोड़ या उससे अधिक की बचत के सभी मामले तथा न्यूनतम ₹100 करोड़ के अधीन आवंटन के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत के चयनित प्रकरण

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--|---|------------------|------------------|--------|
| 2. | 4861.60.203.44- फास्ट रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा | 750.00 | 495.79 | 254.21 |
| <p>विभाग ने विभिन्न संयंत्रों के सिविल निर्माण की धीमी प्रगति, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आपूर्तिकर्ताओं से विशेष मशीनरी एवं उपकरणों की डिलीवरी में बिलम्ब को बचत के लिए उत्तरदायी ठहराया।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लॉकडाउन वित्तीय वर्ष 20 के अंत में हुआ था।</p> | | | | |
| 3. | 6801.00.206.04- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| <p>विभाग ने बताया कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के मूल्य संशोधन के लिए कैबिनेट की अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण बचत हुई थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्त वर्ष 19 के दौरान भी योजना के अंतर्गत ₹100 करोड़ की बचत हुई थी।</p> | | | | |
| अनुदान संख्या -8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय | | | | |
| 4. | 3053.80.190.03- नए विमानों का एयर इंडिया द्वारा क्रय | 1,084.00 | 272.35 | 811.65 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि बचत अगले वित्तीय वर्ष के लिए विमान की डिलीवरी को स्थगित करने के कारण हुई थी। यह देखा गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान भी इस उपशीर्ष में ₹920 करोड़ की बचत हुई थी।</p> | | | | |
| अनुदान संख्या -12 डाक विभाग | | | | |
| 5. | 3201.03.101.03 - एच पी ओ एस में लघु बचतें | 302.02 | 199.73 | 102.29 |
| <p>विभाग ने बताया कि वेतन, मजदूरी, ओ टी ए, एम टी, ओ ई, एम डब्लू आदि के अंतर्गत अनुमान से कम व्यय के कारण बचत हुई।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय की ऐसी आवर्ती मदों के अनुमान पूर्व प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाने चाहिए थे।</p> | | | | |
| 6. | 3201.07.108.01-अवकाश नकदीकरण लाभ | 552.00 | 377.58 | 174.42 |
| <p>बचतों का श्रेय बजट अनुमान स्तर पर उच्च प्रावधान को दिया गया। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2021) कि मूल रूप से व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर निधियों का प्रावधान प्रस्तावित</p> | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|--|------------------|------------------|----------|
| <p>किया गया था लेकिन अवकाश नकदीकरण के कम भुगतान के कारण इस शीर्ष के अंतर्गत बचत हुई।</p> <p>यह मानते हुए कि अवकाश नकदीकरण लाभ व्यय की एक आवर्ती मद है, पिछले व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण, यदि किया गया होता, तो बेहतर अनुमान फलीभूत हुआ होता।</p> | | | | |
| अनुदान संख्या - 13 दूरसंचार विभाग | | | | |
| 7. | 2071.01.104.01- साधारण पेंशन | 2,917.17 | 2,259.76 | 657.41 |
| <p>विभाग ने बताया कि बचत कम सेवानिवृत्ति एवं डाक विभाग से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक ही मंत्रालय के अंतर्गत दो विभागों के मध्य पेंशन दावों को उठाने एवं निपटाने की प्रणाली को सुव्यवस्थित करके ऐसी बचत से बचा जा सकता है।</p> | | | | |
| 8. | 3275.00.103.01- सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति | 6,461.18 | 2,854.47 | 3,606.71 |
| 9. | 3275.00.789.01- सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति | 693.05 | 0.00 | 693.05 |
| 10. | 3275.00.796.02- सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति | 359.05 | 71.53 | 287.52 |
| 11. | 3275.00.797.01- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में हस्तांतरण | 8,350.00 | 2,926.00 | 5,424.00 |
| <p>यू एस ओ फंड में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के अनुमानित ₹5,424 करोड़ से कम हस्तांतरण के कारण बचत थी, जिसके लिए संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं पर समान राशि से कम अनुमानित व्यय को उत्तरदायी ठहराया गया था। स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के अनुसार, संसदीय अनुमोदन के अधीन, प्राप्त संपूर्ण यू ए एल को निधि में स्थानांतरित किया जाना है, जो व्यपगत नहीं है। वित्त वर्ष 20 के लिए, ₹8,350 करोड़ के संसदीय प्रावधान के विरुद्ध, वास्तविक संग्रह ₹7,962 करोड़ था, जिसमें से ₹5,036 करोड़ की एक कम अंतरण (वास्तविक बचत) को छोड़कर, मात्र ₹2,926 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि निधि में अनुमानित से कम अंतरण के कारण वित्त वर्ष 19 में रिपोर्ट किये गए ₹5,211.78 करोड़ तथा वित्त वर्ष 18 में ₹4,636.18 करोड़ की बचत के साथ निधि में कम हस्तांतरण एवं सम्बंधित योजना पर अनुमानित से कम व्यय लगातार बना हुआ है।</p> | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|---|------------------|------------------|--------|
| अनुदान संख्या 17 - संस्कृति मंत्रालय | | | | |
| 12. | 2205.00.105.18- पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों का विकास | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| विभाग ने बताया कि बचत राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। कारण योजना कार्यान्वयन में कमियों को इंगित करता है क्योंकि संपूर्ण आवंटन अप्रयुक्त रहा। | | | | |
| 13. | 2205.00.107.41- संग्रहालयों का विकास | 232.19 | 90.42 | 141.77 |
| विभाग ने बताया कि बचत संग्रहालय योजना में संग्रह प्रबंधन सॉफ्टवेयर में कम धनराशि की आवश्यकता एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण थी। | | | | |
| अनुदान संख्या 24 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | | | |
| 14. | 3454.02.206.01- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण | 1,227.00 | 836.78 | 390.22 |
| मंत्रालय ने कहा कि बचत स्थापना एवं आधार सक्षम सेवाओं के लिए कम धन की आवश्यकता, मशीनरी व उपकरणों का कम क्रय तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण थी। | | | | |
| अनुदान संख्या - 26 विदेश मंत्रालय | | | | |
| 15. | 3605.00.101.24 - निवेश संवर्धन एवं प्रचार कार्यक्रम | 300.00 | 199.88 | 100.12 |
| मंत्रालय ने बताया कि बचत एक्ज़िम बैंक से कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण हुई। | | | | |
| 16. | 4059.60.051.17- विदेशी मामले | 381.55 | 253.92 | 127.63 |
| मंत्रालय ने बताया कि बचत विभिन्न देशों में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण हुई। | | | | |
| अनुदान संख्या- 29 वित्तीय सेवा विभाग | | | | |
| 17. | 3465.01.190.08- राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता | 500.02 | 0.00 | 500.02 |
| विभाग ने बताया कि बचत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के कोष में वृद्धि हेतु यू. के. सिन्हा समिति की संस्तुतियों को स्वीकार न करने के कारण थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति का प्रतिवेदन जून 2019 में ही प्राप्त हो गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि वित्त वर्ष 19 के दौरान भी इसी उपशीर्ष के अंतर्गत ₹500.01 करोड़ की बचत हुई थी। | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--|---|------------------|------------------|----------|
| 18. | 5465.01.190.44- सरकारी प्रतिभूतियों (बांड्स) के निर्गम के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण | 70,000.00 | 65,443.00 | 4,557.00 |
| विभाग ने बताया कि बचत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए कम निधि की आवश्यकता के कारण थी। | | | | |
| अनुदान संख्या 31- राजस्व विभाग | | | | |
| 19. | 3602.08.106.01- विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार को राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति | 9,000.00 | 8,298.29 | 701.71 |
| विभाग ने बताया कि बचत केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर की कम प्रतिपूर्ति जारी होने के कारण थी। | | | | |
| अनुदान संख्या 32 प्रत्यक्ष कर | | | | |
| 20. | 2020.00.001.03- संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं | 825.70 | 563.52 | 262.18 |
| बचत का श्रेय कार्यों/सेवाओं को पूर्ण न होने, लॉकडाउन के कारण चालानों की प्राप्ति न होने, कम प्रकाशन एवं प्रचार गतिविधियों, आई टी से संबंधित वस्तुओं का कम क्रय, आई टी आपूर्तियों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों तथा किए गए कम दौरों के कारण कम धन की आवश्यकता को दिया गया। | | | | |
| अनुदान संख्या - 33 अप्रत्यक्ष कर | | | | |
| 21. | 2042.00.001.05-कर दाता सेवा महानिदेशालय | 161.36 | 22.48 | 138.88 |
| विभाग ने बताया कि बचत रिक्त पदों को न भरने तथा कम अभियानों एवं कार्यक्रमों की स्वीकृति के कारण विज्ञापन के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों के लिए प्रावधान की अनुमति नहीं देते हैं। | | | | |
| 22. | 4047.00.037.03- निवारक और अन्य कार्य | 105.00 | 3.19 | 101.81 |
| विभाग ने बताया कि जहाजों एवं बेड़े के कम अधिग्रहण, तस्करी विरोधी इकाइयों के अधिग्रहण के प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना को अंतिम रूप नहीं देने के कारण बचत हुई थी। कारणों ने कथित गतिविधियों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों को दर्शाया है। | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|---|------------------|------------------|--------|
| अनुदान संख्या - 37 पेंशन | | | | |
| 23. | 2071.01.102.01- साधारण पेंशन | 4,950.00 | 4,168.43 | 781.57 |
| विभाग ने बचत का श्रेय दावों/स्कॉल की कम प्राप्ति को दिया। यह स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया की सी पी ए ओ से सम्बंधित पी एस बी उचंत में वृद्धि हुई थी, जिसका अर्थ था कि पेंशन स्कॉल की निर्गम रोक दी गई थी तथा यदि इन्हें समायोजित किया जाता, तो बचतों से बचा जा सकता था। यह भी नोट किया गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान इसी उप शीर्ष में ₹1,206.41 करोड़ की बचत हुई थी। | | | | |
| 24. | 2071.01.120.01- एनसीटी दिल्ली सरकार से वसूली योग्य पेंशन शुल्क | 3,500.00 | 2,788.66 | 711.34 |
| विभाग ने बताया कि बचत कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई। | | | | |
| अनुदान संख्या 48 पुलिस | | | | |
| 25. | 4055.00.210.09- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान | 500.90 | 250.00 | 250.90 |
| मंत्रालय ने बताया कि बचत दिल्ली में निर्माण पर प्रतिबंध के कारण कार्य की धीमी गति तथा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा काम के रुकने के कारण थी। | | | | |
| अनुदान संख्या - 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | | | | |
| 26. | 5052.80.796.01- जहाजों का क्रय | 104.50 | 0.06 | 104.44 |
| विभाग ने बताया कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा दो 500 पैक्स पोतों के चरण पूर्ण होने तथा सुपर्दगी में देरी के कारण बचत हुई थी। कारण अपर्याप्त निष्पादन स्तरों को दर्शाता हैं। | | | | |
| अनुदान संख्या - 59 सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | | | |
| 27. | 2221.80.102.05-ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (बीआईएनडी) | 358.00 | 235.40 | 122.60 |
| मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण बचत हुई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस योजना के लिए गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत ₹115.00 करोड़ का प्रावधान भी उपलब्ध था, इस प्रकार इस योजना के लिए कुल आवंटन ₹ 473.00 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने इस योजना के अंतर्गत प्रसार भारती द्वारा व्यय की धीमी गति का अवलोकन किया। | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|--|------------------|------------------|--------|
| <p>मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता के कारण प्रसार भारती द्वारा व्यय की गति धीमी थी जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी निविदा निरस्त कर दी जाती थी। यह उत्तर उचित नहीं है क्योंकि अनुमान तैयार करते समय सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 60 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग</p> | | | | |
| 28. | 3435.04.101.08- राष्ट्रीय गंगा योजना | 700.00 | 353.40 | 346.60 |
| <p>बचतों को कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। कारण अस्वीकार्य है क्योंकि समान कारण से वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान 'राष्ट्रीय गंगा योजना' के अंतर्गत क्रमशः ₹1,612.50 करोड़ तथा ₹1,550.00 करोड़ की बचत हुई थी। अतः प्राक्कलन तैयार करते समय विभाग को अव्ययित शेष के प्रकरण पर विचार करना चाहिए था।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 62 श्रम और रोजगार मंत्रालय</p> | | | | |
| 29. | 2230.01.111.06- सामाजिक सुरक्षा योजनाएं | 820.88 | 524.34 | 296.54 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि बचत एल आई सी द्वारा 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन' एवं 'प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन' योजना में कम मांग के कारण हुई थी। कारण बताता है कि योजनाओं के निष्पादन में कमियां थीं।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 69 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</p> | | | | |
| 30. | 2810.00.101.01- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा | 3,224.15 | 2,437.52 | 786.63 |
| 31. | 2810.00.789.05- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा | 320.01 | 175.15 | 144.86 |
| 32. | 2810.00.796.03- ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा | 350.00 | 205.79 | 144.21 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में बिलम्ब, पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने, राज्यों में परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में बिलम्ब, भारत के सौर उर्जा निगम/राज्यों से विकास की दिशा में पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण बचत हुयी थी। ये कारण दर्शाते हैं कि परियोजना निर्माण, निष्पादन एवं संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में कमी थी जिसके कारण अनुदान के अंतर्गत बचत हुई।</p> | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--|---|------------------|------------------|----------|
| अनुदान संख्या - 70 पंचायती राज मंत्रालय | | | | |
| 33. | 3601.06.101.63- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान | 441.48 | 291.27 | 150.21 |
| मंत्रालय ने बताया कि बचत राज्य सरकार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई थी। | | | | |
| अनुदान संख्या - 74 पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | | | |
| 34. | 2802.02.800.02- भारतीय गैस प्राधिकरण-फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना | 3,104.22 | 1,552.11 | 1,552.11 |
| बचत ₹1,552.11 करोड़ (बी ई में ₹1,206.60 करोड़ तथा अनुपूरक के माध्यम से ₹345.51 करोड़) के सी आर आई एफ को हस्तांतरण के कारण है, जिसका मंत्रालय द्वारा लेखांकन नहीं किया जा रहा है। यद्यपि, समान धनराशि परियोजना पर व्यय की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि लघु शीर्ष 797 के अंतर्गत सी आर आई एफ को हस्तांतरण के लिए ₹1,552.11 करोड़ प्रदान करने के बजाय डी डी जी में संपूर्ण प्रावधान लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया था। इस प्रकरण में लेखांकन सी आर एफ (सी आर आई एफ में भी लागू) के लिए लेखांकन प्रक्रिया का भी उल्लंघन था। | | | | |
| 35. | 4802.01.800.02- राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम | 1,623.26 | 529.54 | 1,093.72 |
| मंत्रालय ने बताया कि बचत दुर्गम क्षेत्रों के सर्वेक्षण में कठिनाइयों एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति नहीं होने के कारण निधियों के कम उपयोग के कारण हुई थी। | | | | |
| कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस योजना पर विगत दो वर्षों के दौरान किया गया व्यय भी अनुमानों की तुलना में बहुत कम था जिसे वित्त वर्ष 20 के निधियों के आवश्यकता के अनुमान के लिये निर्देशित करना चाहिए। | | | | |
| अनुदान संख्या - 76 विद्युत मंत्रालय | | | | |
| 36. | 2801.05.106.01- विद्युत व्यवस्था विकास की योजना पी एस डी एफ से पूर्ण की जाएगी | 1,034.70 | 555.32 | 479.38 |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|-------------|---|------------------|------------------|--------|
| 37. | 2801.05.797.01- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पी एस डी एफ) में स्थानान्तरण | 1,034.71 | 555.32 | 479.39 |

मंत्रालय ने बताया कि बचत नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (नोडल एजेंसी) से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जुटाई गई ई बी आर से निधि उपलब्ध थी। कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट निर्माण के समय मंत्रालय को वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने के लिए ई बी आर की वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विगत कुछ वर्षों के दौरान वास्तविक औसत व्यय वित्त वर्ष 20 के बजट अनुमान से काफी कम था।

अनुदान संख्या - 84 ग्रामीण विकास विभाग

| | | | | |
|-----|--|----------|----------|--------|
| 38. | 2216.03.105.08- इंदिरा आवास परियोजनाकार्यक्रम घटक- | 2,586.44 | 1,594.05 | 992.39 |
|-----|--|----------|----------|--------|

विभाग ने बताया कि बचत ब्याज घटक के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी। इसने आगे बताया कि व्यय मांग-संचालित होते हैं तथा रिलीज की जाने वाली राशि गतिविधियों की मात्रा पर निर्भर करती है जो वर्ष-दर-वर्ष भिन्न हो सकती है।

यद्यपि, यह पाया गया कि वित्त वर्ष 19 के दौरान ₹536.63 करोड़ तथा वित्त वर्ष 18 के दौरान ₹121.19 करोड़ की बचत के साथ इस शीर्ष के अंतर्गत बचत बनी हुई है।

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|----------|
| 39. | 3601.06.101.30- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | 14,215.79 | 10,642.86 | 3,572.93 |
| 40. | 3601.06.797.05- सेंट्रल रोड फंड/ सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ट्रांसफर | 14,170.64 | 10,642.86 | 3,527.78 |

विभाग ने बताया कि राज्यों से कम मांग जिसके कारण योजना पर कम व्यय हुआ तथा साथ ही साथ सीआरआईएफ को समान रूप से कम हस्तांतरण होने के कारण बचत हुई।

यह भी देखा गया कि वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान इस उप-शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः ₹1,857.78 करोड़ एवं ₹430.14 करोड़ की बचत हुई।

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--------|-------|--------|
| 41. | 2216.03.105.10 - ब्याज सब्सिडी | 384.01 | 48.55 | 335.46 |
|-----|--------------------------------|--------|-------|--------|

विभाग ने बताया कि ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाबार्ड से ब्याज पुनर्भुगतान की मांग प्राप्त न होने के कारण बचत हुई थी। यह भी देखा गया कि वित्त वर्ष 19 तथा वित्त वर्ष 18 के दौरान इस उप-शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹384 करोड़ की बचत हुई थी। लगातार पर्याप्त बचत योजना के निष्पादन की कमी को दर्शाती है।

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|-------------|--|------------------|------------------|--------|
| 42. | 2505.02.101.09- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - क्षमता निर्माण व तकनीकी सहायता | 400.00 | 3.97 | 396.03 |

विभाग ने बताया कि बचत राज्य सरकारों से प्रस्तावों के कम होने के कारण हुई। यह भी देखा गया कि वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान इस उप-शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः ₹377.93 करोड़ एवं ₹259.25 करोड़ की बचत हुई। लगातार पर्याप्त बचत योजना के निष्पादन की कमी को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि बजट निर्माण के दौरान पिछली प्रवृत्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

| | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|
| 43. | 2515.00.800.25- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंधन सहायता तथा जिला योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना | 338.69 | 139.33 | 199.36 |
|-----|--|--------|--------|--------|

बचत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई। यह आगे कहा गया (जनवरी 2021) कि बचत सी एंड एस मीडिया योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण वर्ष के दौरान जारी किए गए प्राधिकरण पत्र के विरुद्ध डीएवीपी से प्रतिपूर्ति दावों की गैर-प्राप्ति के कारण थी।

यहां यह देखा गया है कि विभाग द्वारा प्रदान किए गए कारण अस्पष्ट हैं।

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| 44. | 3601.06.101.29- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन | 579.63 | 281.97 | 297.66 |
|-----|---|--------|--------|--------|

विभाग ने बताया कि बचत राज्यों से कम माँगों के कारण हुई। यह आगे कहा गया (जनवरी 2021) कि सभी राज्यों ने अगली किशत जारी करने के प्रतिबंधों को पूरा नहीं किया था।

प्रासंगिक रूप से, इस उप-शीर्ष के अंतर्गत वित्त वर्ष 19 एवं वित्त वर्ष 18 के दौरान क्रमशः ₹509 करोड़ तथा ₹238.44 करोड़ की बचत देखी गई।

अनुदान संख्या - 89 जहाजरानी मंत्रालय

| | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|
| 45. | 3056.00.190.01- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान | 363.36 | 219.00 | 144.36 |
|-----|---|--------|--------|--------|

मंत्रालय ने बताया कि कतिपय अनुमोदित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों, जैसे वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल के चरण- II (लागत ₹260 करोड़) एवं वाराणसी में फ्रेट विलेज (लागत ₹100 करोड़) तथा कुछ जहाजों की गैर-आपूर्ति होने के कारण बचत हुई।

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--|---|------------------|------------------|--------|
| <p>मंत्रालय द्वारा बताये गए कारण मान्य नहीं हैं क्योंकि वे केवल उन सहाय सहकार संबंधी समस्याओं को चित्रित करते हैं जिनका अनुमान पहले लगाया जाना चाहिए था क्योंकि ये योजनाएं/परियोजनाएं वित्त वर्ष 20 के बजट निर्माण के समय पूर्व से विद्यमान थीं।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 90 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय</p> | | | | |
| 46. | 3601.06.101.36- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना | 470.89 | 286.34 | 184.55 |
| <p>विभाग ने बताया कि बचत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा परियोजनाओं के बिलम्ब से अनुमोदन के कारण थी। लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 19 के दौरान इस उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹393.18 करोड़ की बचत भी देखी।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 91 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग</p> | | | | |
| 47. | 2225.01.789.05- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप | 360.00 | 246.66 | 113.34 |
| <p>विभाग ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता के कारण बचत हुई। दिए गए कारण अस्पष्ट प्रकृति के हैं तथा कम आवश्यकता के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं।</p> | | | | |
| 48. | 4225.01.789.02- दुर्बल वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय विकास निगम | 215.00 | 49.60 | 165.40 |
| <p>व्यय वित्तीय समिति की बैठक आयोजित न होने के कारण एनएसएफडीसी की अधिकृत शेयर पूंजी में गैर-वृद्धि को बचत के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 93 अंतरिक्ष विभाग</p> | | | | |
| 49. | 5402.00.101.56- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (इसरो) | 164.95 | 37.25 | 127.70 |
| <p>विभाग ने बताया कि बचत बंगलौर में भूमि के लिए के लिए कम धनराशि की आवश्यकता एवं उपस्थान कार्य के लिए आवंटित धन का उपयोग न करने के कारण थी। यह आगे कहा गया (सितंबर 2020) कि इसरो के आवास व प्रमुख तकनीकी सुविधाओं के लिए बेंगलुरु में भूमि का हस्तांतरण, कर्नाटक सरकार से 'एनओसी' के अभाव में रोक दिया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा वित्त वर्ष 19 के दौरान ₹728.62 करोड़ की बचत का यही कारण बताया गया था।</p> | | | | |

| क्रम संख्या | उप-शीर्ष | स्वीकृत प्रावधान | वास्तविक संवितरण | बचत |
|--|--|------------------|------------------|--------|
| 50. | 5402.00.101.66- जी एस एल वी-एम के-III निरंतरता कार्यक्रम (चरण-I) | 248.00 | 122.95 | 125.05 |
| <p>विभाग ने बताया कि बचत अगले वित्तीय वर्ष के लिए हार्डवेयर की डिलीवरी के स्थगित होने तथा जी एस एल वी-एम के-III निरंतरता कार्यक्रम (चरण-I) की प्राप्ति योजना के कारण हुई। यह आगे कहा गया (सितंबर 2020) कि यह लॉन्च शेड्यूल को देखते हुए जी एस एल वी-एम के-III ह्यूमन रेटेड वाहनों के रूप में किया गया था जिन्हें गगनयान कार्यक्रम के लिए प्राप्त किया जा रहा था।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 96 वस्त्र मंत्रालय</p> | | | | |
| 51. | 2852.08.202.65- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना | 700.00 | 317.90 | 382.10 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि बचत दावों की प्राप्ति न होने एवं प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में बिलम्ब के कारण हुई। यह आगे स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2020) कि योजना में प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण दावों का अंतिम निपटान तथा सब्सिडी जारी करना बहुत कम था।</p> <p>यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 19 के दौरान इस उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹1,684.32 करोड़ की बचत हुई। इस प्रकार, बजट निर्माण में कम व्यय की प्रवृत्ति तथा अन्य कथित जटिलताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए था।</p> | | | | |
| <p>अनुदान संख्या - 97 पर्यटन मंत्रालय</p> | | | | |
| 52. | 3452.01.101.14 - स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास | 826.00 | 510.93 | 315.07 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण बचत हुई थी।</p> | | | | |
| 53. | 3452.80.104.01 - प्रत्यक्ष व्यय | 557.50 | 408.91 | 148.59 |
| <p>मंत्रालय ने बताया कि बचत कम प्रचार एवं प्रचार कार्यक्रमों के किये जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण थी।</p> | | | | |

3.2.2.3 बचत का उपसंहार

बचत के व्यापक कारणों के आधार पर अनुच्छेद 3.2.2.1 और 3.2.2.2 में चर्चा की गई बचत के प्रकरणों को तालिका 3.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.7: बचत का सारांश

| वर्ग | राशि (₹ करोड़ में) | टिप्पणियां |
|---|-----------------------|--|
| व्यय के नियमन के कारण | 1,65,250 | इस श्रेणी में मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम को एन एस एस एफ ऋण की स्वीकृति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा खाद्य सब्सिडी के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण ₹76,000 करोड़; एफसीआई को डब्ल्यू एम ए जारी न करने के कारण ₹50,000 करोड़ तथा एन आई एफ/आर आई एफ को ₹27,473.27 करोड़ का कम हस्तांतरण सम्मिलित है। |
| योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन में अन्तराल व कमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कारण | 94,289 | इसमें योजना के अंतर्गत कम किसानों का पंजीकरण; कम प्रस्तावों/दावों की प्राप्ति, नई योजनाओं को न लेना; व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति; कम मांग तथा निधियों को जारी करने के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा न करना; उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति; योजना वितरण में कमियाँ आदि कारण सम्मिलित हैं। |
| अवास्तविक बजट अनुमान | 58,097 | इसमें आर बी आई द्वारा नीति/पुनर्खरीद दर में कटौती के कारण ब्याज दरों में नरमी; व्यय प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन; अव्ययित निधियों की उपलब्धता; मात्रा एवं समय दोनों के संबंध में आवश्यकताओं के अशुद्ध/बढ़े हुए मूल्यांकन यथा, योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान, विमान पर व्यय के प्रावधान, भूमि के क्रय/अधिग्रहण आदि जैसे कारक बचत के लिए समाहित हैं। |
| आरक्षित निधि में निधियों का | 21,300 | माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (एम यू एस के) में स्थानांतरण के लिए सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग |

| | | |
|--------------|--|--|
| अंतरण न करना | | <p>नहीं किया गया था। एम ओ एच यू ए ने लेखांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप न देने के कारण सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सी आर आई एफ) को ₹6,840.06 करोड़ हस्तांतरित नहीं किये थे। यद्यपि, सी एफ आई से व्यय मुख्य रूप से उन योजनाओं (इन निधियों से वित्तपोषित) के लिए किया गया था, जिसके लिए निधियों को हस्तांतरित किया जाना था, आदि।</p> <p><i>यह संस्तुति की जाती है कि लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में शीघ्रता लाई जाए।</i></p> |
|--------------|--|--|

3.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 115 (1) में प्रावधान है कि भुगतान किये जाने से पहले अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना आवश्यक है, जब निधि की अतिरिक्त आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये अनुदान खंड में बचत उपलब्ध नहीं है या यदि व्यय 'नयी सेवा'⁴⁰ या 'सेवा के नये साधन'⁴¹ पर किया जाना है।

उन प्रकरणों की जाँच में जहाँ मूल प्रावधानों के अतिरिक्त ₹10 करोड़ या अधिक का अनुपूरक प्रावधान किया गया था, यह दर्शाता है कि 14 अनुदानों के अंतर्गत 25 लघु/उप शीर्षों में, उच्च व्यय की प्रत्याशा में वित्त वर्ष 20 के दौरान ₹2,168.90 करोड़ की राशि के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये थे, लेकिन अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से भी कम था। ऐसा अनावश्यक प्रावधान बजट प्रक्रिया की अपर्याप्तता को इंगित करता है। अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों के प्रकरणों का विवरण **अनुलग्नक 3.3** में दिया गया है।

3.4 लघु/उप शीर्षों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

पीएसी (लोक लेखा समिति) ने अपने 83वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा, 2012-13) में इंगित किया है कि निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जा सकता है जब यह सकारात्मक रूप से ज्ञात हो या वास्तविक रूप से प्रत्याशित हो कि इकाई के लिये विनियोग, जिसमें से निधियों को अंतरित करने का प्रस्ताव है, का पूर्ण रूप से उपयोग

⁴⁰ एक नई गतिविधि या निवेश के एक नए रूप को सम्मिलित करते हुये एक नए नीति निर्णय से उत्पन्न होने वाले एक निश्चित सीमा से अधिक व्यय, जोकि पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, को संदर्भित करता है।

⁴¹ एक विद्यमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न एक निश्चित सीमा से अधिक बड़ा व्यय।

नहीं किया जायेगा या पर्याप्त निश्चितता है कि विनियोग की इकाई में बचत की प्रभावित किया जा सकता है।

₹10 करोड़ से अधिक के पुनर्विनियोजन की संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि 08 अनुदानों/विनियोगों के 14 प्रकरणों में कुल ₹2,166.61 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान, जिसमें पुनर्विनियोजन के माध्यम से संवर्धन किया गया था, पर्याप्त था। इस तरह के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप, शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी। विवरण **अनुलग्नक 3.4** में दिया गया है।

3.5 निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

जी एफ आर, 2017 के नियम 61 के अनुसार, मुख्य लेखा प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना बजट प्रावधानों से अधिक की स्वीकृति पर लेखा अधिकारी किसी भी भुगतान की अनुमति नहीं देगा। बदले में, एक शीर्ष के अंतर्गत किसी भी अतिरिक्त को मंजूरी देने से पहले, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा प्राधिकारी पुनर्विनियोग/अनुदान की अनुपूरक मांग के माध्यम से निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

वित्त वर्ष 20 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाया कि निधियों के पर्याप्त प्रावधान को सुनिश्चित किए बिना, 12 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 42 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹25 करोड़ या अधिक के कुल ₹41,810.39 करोड़ के व्यय को देखा गया था। इस प्रकार, उपर्युक्त प्राधिकारियों ने जी एफ आर का उल्लंघन किया। विवरण **अनुलग्नक 3.5** में दिया गया है।

प्रासंगिक रूप से, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय (अनुदान 35-ब्याज भुगतान) ने वित्त वर्ष 19 के दौरान भी लघु/उप-शीर्ष स्तर पर ₹25 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त व्यय की अनुमति दी थी।

3.6 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण व गैर- अभ्यर्पण

जीएफआर, 2017 के नियम 62 (2) में प्रावधान है कि बचत के साथ-साथ वे प्रावधान जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने (फरवरी 2020)

मंत्रालयों/विभागों के लिये, प्रत्येक इकाई के विनियोग के अंतर्गत बचतों के समर्पण की सूचना देने के लिए 20 मार्च की समय सीमा निर्धारित की।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत पाया गया कि सिविल अनुदान/विनियोगों के अन्तर्गत ₹3,15,769.10 करोड़ की बचत में से वर्ष के दौरान कुल बचत का 23.4 प्रतिशत (₹73,750.31 करोड़) अभ्यर्पित नहीं किया गया था तथा व्यपगत होने दिया गया।

इसके अतिरिक्त, 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि के अभ्यर्पण/व्यपगत होने वाले अनुदानों/विनियोगों की जांच से पता चला कि 33 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित कम से कम ₹1,70,103.02 करोड़ या तो 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किए गए या व्यपगत होने दिए गए। विवरण **अनुलग्नक 3.6** में दिया गया है। इस प्रकार, कुल बचत के आधे से अधिक को या तो 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया या व्यपगत होने दिया गया।

नमूना जांच किये गये विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बचतों में से अनुदान संख्या 01-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ₹35,973.85 करोड़; अनुदान संख्या 42-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ₹23,715.81 करोड़; विनियोग संख्या 36-ऋण की पुनर्भुगतान के अंतर्गत ₹19,840.23 करोड़; अनुदान संख्या 58-उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ₹17,242.27 करोड़ तथा अनुदान संख्या 57-स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के अंतर्गत ₹15,077 करोड़ या तो व्यपगत होने दिए गए या वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये।

बचत को अभ्यर्पित करने में विफलता तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचत को अभ्यर्पित करना अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। यह वित्तीय नियोजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह उन गतिविधियों के लिए संसाधनों को पुनः आवंटित करने से रोकता है जहां धन की आवश्यकता होती है।

3.7 प्रावधान के संवर्धन हेतु विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

वित्त मंत्रालय ने निर्धारित किया है⁴² कि वस्तु शीर्षों (i) 'सहायता अनुदान' (ii) 'सब्सिडी' एवं (iii) 'प्रमुख कार्यों' में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान में की गयी वृद्धि पर वही सीमाएं लागू होंगी जो नयी सेवा/सेवा के नए साधन पर लागू होती हैं तथा यह केवल

⁴² आर्थिक मामलों के विभाग के आदेश (मई 2006) तथा उस पर स्पष्टीकरण (मई 2012 एवं जुलाई 2015)

संसद के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। इन आदेशों का पालन करने में विफलता को संघ सरकार के खातों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किया गया है।

इस संदर्भ में, पीएसी⁴³ का विचार था कि वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए कि, निर्दिष्ट सीमा से परे उपरोक्त वस्तु शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान संसद के अनुमोदन के बिना संवर्धित नहीं हों। पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा पीएसी की अनुशंसाओं के बावजूद, वित्त वर्ष 20 में रक्षा मंत्रालय (सिविल) एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित निम्न दो प्रकरणों में वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान' में संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना ₹53.69 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। जैसा तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: बिना पूर्व अनुमोदन के वस्तु शीर्षों के प्रावधान में किया गया संवर्धन

(₹ करोड़ में)

| क्रम. सं. | लेखा शीर्ष | कु.प्रा.* | कु.व्यय* | कु.प्रा. पर आधिक्य |
|--|--|-----------|-----------|--------------------|
| वस्तु शीर्ष 31-सामान्य सहायता अनुदान | | | | |
| अनुदान सं.18-रक्षा मंत्रालय (सिविल) | | | | |
| 1. | 2052.00.092.03.01.31 (अन्य कार्यालय - रक्षा सम्पदा संस्थान) (शीर्ष कोड 094/83) | 317.16 | 370.10 | 52.94 |
| वस्तु शीर्ष 35-' पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिये अनुदान | | | | |
| अनुदान सं. 84- ग्रामीण विकास विभाग | | | | |
| 2. | 2505.02.101.02.00.35 (नरेगस - जिला ग्रामीण विकास संस्था/जिला कार्यक्रम को सहायता) विभाग ने (सितंबर 2020) कहा कि महात्मा गाँधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनकी मांग के आधार पर निधि जारी की जाती है। | 48,851.81 | 48,852.56 | 0.75 |
| योग | | | | 53.69 |

* कु.प्रा.= कुल प्राधिकरण, कु.व्यय= कुल व्यय

⁴³ पीएसी का 83 वां प्रतिवेदन (2012-13), 15 वीं लोकसभा

3.8 व्यय का गलत वर्गीकरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) में प्रावधान है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखा जाए। राजस्व खाते एवं पूंजी खाते पर व्यय को वर्गीकृत करने के सिद्धांतों का तदनुसार पालन किया जाना चाहिए।

जी एफ आर, 2017 के नियम 78 में प्रावधान है कि सरकारी खातों में लेन देनों का वर्गीकरण का निकटतर सम्बन्ध सरकारी कार्यों, कार्यक्रमों और क्रियाकलापों तथा राजस्व या व्यय के उद्देश्य से होगा न कि उस विभाग से जिसमें राजस्व या व्यय की क्रिया घटित हुई हो।

इसके अतिरिक्त, (डी एफ पी आर, 1978) का नियम 8 लेन-देन की प्रकृति/प्रकार का वर्णन करता है जिसे विनियोग की प्रत्येक मानक प्राथमिक इकाई के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

चयनित अनुदानों से संबंधित लेन-देन की नमूना-जांच से निम्नलिखित का पता चला:

3.8.1 वस्तु शीर्ष का मुख्य शीर्ष के साथ गलत प्रयोग

डी एफ पी आर का नियम 8 पूंजीगत संपत्ति एवं अन्य पूंजीगत व्यय के अधिग्रहण से संबंधित वस्तु शीर्षों (संख्या 51-56 और 60) को निर्दिष्ट करता है जोकि श्रेणी 'वस्तु VI' के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, इन वस्तु शीर्षों का उपयोग केवल पूंजीगत प्रकृति के व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है तथा केवल पूंजी प्रमुख शीर्षों के अनुरूप होता है। अन्य वस्तु वर्गों (श्रेणी I से V) के अंतर्गत आने वाले वस्तु शीर्षों का उपयोग सामान्यतया राजस्व व्यय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है तथा साधारणतया पूंजी प्रमुख शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वित्त वर्ष 20 के लिए अनुदान संख्या 03-परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अनुदान संख्या 89-शिपिंग मंत्रालय के प्रकरण में, कुल ₹2,505.13 करोड़ का व्यय वस्तु शीर्षों तथा पूंजी/राजस्व मुख्य शीर्षों के गलत संयोजन के अंतर्गत दर्ज किया गया था (अनुलग्नक 3.7)।

3.8.2 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

जी एफ आर, 2017 के नियम 84 में कहा गया है कि एक चालू क्रम में परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव एवं कार्य व्ययों पर प्रभारों तथा एक संगठन को चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन के व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा नमूना-जांच में राजस्व प्रकृति के कुल ₹2.92 करोड़ के व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण का एक प्रकरण सामने आया। इसके अतिरिक्त, दो अनुदानों: अनुदान संख्या 82-रेलवे तथा अनुदान संख्या 93-अंतरिक्ष विभाग, के अंतर्गत, पूंजी प्रकृति का कुल ₹52.11 करोड़ व्यय गलत प्रकार से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था (अनुलग्नक 3.8)।

3.8.3 विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के मध्य गलत वर्गीकरण

नमूना लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि 16 प्रकरणों में कुल ₹530.64 करोड़ की निधि विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के मध्य गलत प्रकार से वर्गीकृत हुयी थी। ₹25 करोड़ एवं उससे अधिक के प्रकरणों में '55- ऋण एवं अग्रिम' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹225 करोड़ - दिल्ली को स्थानांतरित) में गलत वर्गीकरण; '33-सब्सिडी' का '31-सामान्य सहायता अनुदान' (₹99.00 करोड़ - भारी उद्योग विभाग) में गलत वर्गीकरण; '30- अन्य संविदात्मक सेवार्यें' का '28- व्यावसायिक सेवार्यें' (₹95.68 करोड़ - अंतरिक्ष विभाग) में गलत वर्गीकरण; निर्माण से सम्बंधित व्यय की गलत बुकिंग (₹29.18 करोड़ - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय); अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान विशिष्ट संस्थाओं को किराये पर लेने में हुये व्यय की शीर्ष '28- व्यावसायिक सेवार्यें' (₹27.90 करोड़ - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफ सी सी) के स्थान पर शीर्ष '13-कार्यालय व्यय', '20- अन्य प्रशासनिक व्यय', '50-अन्य शुल्क' में गलत बुकिंग के अवर्गीकरण के प्रकरण सम्मिलित थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गलत वर्गीकरण को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया है। अंतरिक्ष विभाग ने कहा है कि व्यय के वर्गीकरण पर उनके अपने संग्रह के अनुसार व्यय बुक किया गया था।

3.8.4 प्रासंगिक उप-शीर्ष के गैर-क्रियान्वयन के कारण अवर्गीकरण

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) के अनुदेशों के अनुसार, विभागीय कैंटीनों से सम्बंधित विभिन्न व्ययों की बुकिंग उपर्युक्त वस्तु शीर्षों में लघु शीर्ष 800-‘अन्य व्यय’ के नीचे एक नए उप-शीर्ष ‘विभागीय कैंटीन’ में की जानी है। यह मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाना है, जिसमें सम्बंधित मंत्रालय/विभाग के राजस्व व्यय को सामान्य रूप से डेबिट किया जाता है तथा विस्तृत अनुदान मांगों में प्रदर्शित किया जाता है।

वित्त वर्ष 20 के लिये अनुदान संख्या 93- अंतरिक्ष विभाग की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पी ए ओ-इसरो टेलीमेट्री, ट्रेकिंग एवं कमांड नेटवर्क ने कुल ₹2.92 करोड़ विभागीय कैंटीन के रखरखाव पर व्यय किये थे तथा इसे 3402.00.800 (अन्य व्यय) के नीचे एक अलग उप-शीर्ष में बुक करने के स्थान पर, जैसा कि वर्तमान अनुदेशों के अंतर्गत आवश्यक था, शीर्ष 3402.00.101.26 में बुक किया था।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा (सितम्बर 2020) कहा गया है कि उनके अधीन कार्य कर रही कैंटीन विभाग द्वारा क्रियान्वित होती है तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेश इस पर लागू नहीं होते हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग विभागीय कैंटीनों के लिये नोडल मंत्रालय है तथा विभागीय कैंटीनो पर हुये व्यय की बुकिंग के लिये एक अलग उप-शीर्ष खोलने का निर्देश दिया गया था।

3.8.5 विद्युत व्यय की बुकिंग से सम्बंधित गलत वर्गीकरण

वित्त वर्ष 20 के लिये अनुदान सं० 23 - भू विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस) की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वित्त वर्ष 20 के दौरान मंत्रालय ने अपने नये मुख्यालय भवन के लिये कुल ₹1.33 करोड़ विद्युत शुल्क को केन्द्रीय क्षेत्र योजना ‘अनुसन्धान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच’ शीर्ष (3425.60.200.52) में बुक किया था। इस व्यय का शीर्ष ‘सचिवालय आर्थिक सेवायें- सचिवालय- भू विज्ञान मंत्रालय, मुख्यालय’ (3451.00.090.17) के अंतर्गत प्रावधानित एवं बुक किया जाना चाहिये था।

मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2020) कि विद्युत पर किया गया व्यय कार्यालय व्यय के अंतर्गत शीर्ष ‘अनुसन्धान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आउटरीच’, जो कि मंत्रालय मुख्यालयों से सम्बंधित था, में बुक किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय एवं उसके कार्यालयों का व्यय मुख्य शीर्ष-3451 (सचिवालय-आर्थिक सेवाओं) में बुक किया जाना चाहिये था।

3.9 अनियमित बजटिंग तथा लेखांकन के अन्य उदाहरण

3.9.1 पेंशन व्यय का समायोजन न होना

(अ) रक्षा पेंशन व्यय

वित्त वर्ष 19 के लिए संघ सरकार के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2020 के प्रतिवेदन सं. 04 के पैरा 2.3.2.1 (ब) में उल्लेख किया गया था जिसमें बताया गया था कि ₹14,000 करोड़ के पेंशन स्क्रॉल समायोजित नहीं किये गये थे।

रक्षा पेंशन व्यय लेखांकन की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि वित्त वर्ष 20 में पेंशन स्क्रॉल का समायोजन न किया जाना जारी रहा था। ऐसा देखा गया कि लगभग ₹17,045.71 करोड़ (लगभग) के पेंशन स्क्रॉल समायोजित नहीं किये गये एवं अंततः मंत्रालय द्वारा प्रासंगिक व्यय शीर्ष में बुक किये गये थे। यह बताया गया था कि वित्त वर्ष 20 में रक्षा पेंशन के लिये अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण ऐसा नहीं किया गया था। इन स्क्रॉलों को बाद में वित्त वर्ष 21 के दौरान बुक किये जाने की भी सूचना मिली थी।

रक्षा महालेखानियंत्रक ने उपरोक्त प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा कहा (सितम्बर/अक्टूबर 2020) कि उसने वित्त वर्ष 20 के लिए ₹1,34,056 करोड़ के संशोधित प्राक्कलन का अनुमान किया था परन्तु वित्त मंत्रालय ने केवल ₹1,17,810.44 करोड़ के संशोधित प्राक्कलन का प्रावधान किया। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 21) कि रक्षा पेंशन के अंतर्गत अनुमान वित्त मंत्रालय को अनुकूल विचार हेतु अग्रसारित कर दिये गये थे। यद्यपि, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, व्यय को अनुमोदित उच्चतम सीमा के अन्दर रखा जाना था। लंबित पेंशन स्क्रॉलों के सम्बन्ध में कहा गया कि वित्त वर्ष 19 एवं 20 से सम्बन्धित सभी लंबित स्क्रॉल पहले ही बुक किये जा चुके थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लेखों में पेंशन स्क्रॉल को समायोजित न करने के परिणाम स्वरूप व्यय में कमी एवं आगामी वर्ष (वर्षों) के लिए देयता का स्थगन हुआ।

(ब) सिविल पेंशन व्यय

जैसा कि अनुच्छेद 2.3.1.2 में वर्णित किया गया है कि केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सी पी ए ओ) के बहियों में ₹9745.49 करोड़ की राशि पी एस बी उचंत शीर्ष में पड़ी थी। यह भी देखा गया था कि वित्त वर्ष 18 से यह अशोधित उचंत शेष लगभग तीन गुना बढ़ गया था। धन के उचंत शेष में पड़े रहने से इस देय शेष के कारण पेंशन व्यय कम हुआ।

3.9.2 नियमों की अवहेलना करते हुये अनुपूरक अनुदान

जी.एफ.आर. 2017 के नियम 52 के अन्तर्गत पैरा 4 के परिशिष्ट 3 के अनुसार, (भारत की संचित निधि से व्यय के विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के अनुदेश) किसी परियोजना/योजना के प्राथमिक खर्चों को पूरा करने या आपात स्थिति को संभालने हेतु तत्काल उपाय किये जाने हों, जिसे वित्तीय वर्ष में लिये जाने के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया हो, के अतिरिक्त बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जायेगा।

वित्त वर्ष 20 के लिये पुलिस से सम्बन्धित अनुदान संख्या 48 के शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजना/उपयोजना/संस्थावार अलग-अलग राशि का उल्लेख करने के स्थान पर सिर्फ वस्तु शीर्षवार निधि की आवश्यकता देते हुये, प्रथम चरण में ₹3,387.49 करोड़ (20 दिसम्बर 2019 को अधिसूचित) तथा द्वितीय बैच में ₹2,903.16 करोड़ (25 मार्च 2020 को अधिसूचित) का अनुपूरक अनुदान संसद से प्राप्त किया गया था।

मंत्रालय ने (अगस्त 2020) कहा कि नोट्स अनुभाग के अंतर्गत पूरक मांग की मांग करने वाले प्रारूप में प्रत्येक मुख्य शीर्ष हेतु अनुपूरक अनुदान हमेशा एकमुश्त आधार पर दिया जाता है। इसने आगे (अक्टूबर 2020) कहा कि योजनावार अलग-अलग धनराशि देना बहुत बोझिल होगा तथा यह वित्त मंत्रालय के अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना/उपयोजना/संस्थावार विवरण दिये बिना एकमुश्त रूप में अनुपूरक जी एफ आर के प्रावधानों का उल्लंघन है।

3.9.3 करों की वापसी पर ब्याज पर हुआ व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) में निर्धारित किया गया है कि विधायिका द्वारा किये गए विनियोग के अतिरिक्त किसी भी धनराशि का भारत की संचित निधि से आहरण नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की संचित निधि पर एक प्रभार है तथा इसलिए विधि द्वारा बनाये गये उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत होने के पश्चात् ही देय है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, संसद द्वारा पारित विनियोग विधि का अवलंब लिए बिना, अतिरिक्त कर संग्रहण/वापसी पर 'ब्याज' को आहरण करने का कोई विधि अधिकार नहीं है। आगे डी एफ पी आर का नियम 8 ब्याज व्यय के वर्गीकरण के लिए 'ब्याज' को विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में वर्णित करता है।

ऐसा देखा गया था कि वित्त वर्ष 20 में बजट प्राक्कलनों में वापसी पर ब्याज के लिए बजट प्रावधान नहीं था। यद्यपि, संविधान के प्रावधानों का अवलंब लिये बिना एवं इसके स्थान पर ऐसे भुगतान को राजस्व में कमी दर्शाते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी आई सी) ने वित्त वर्ष 20 में करों की वापसी पर ब्याज पर क्रमशः ₹22,746.75 करोड़ एवं ₹88.26 करोड़ व्यय किये।

राजस्व विभाग/सी बी डी टी/सी बी आई सी अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज को राजस्व में कमी के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। संघ सरकार के लेखों पर सीएजी के क्रमिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर पर सी ए जी के प्रतिवेदनों में इस गलत संव्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि, विभाग द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं।

ऐसा देखा गया था कि लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा इस विषय की जाँच की गयी थी, जिसने अपने 66 वीं प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा 2012-13) में इस संव्यवहार को अस्वीकृत कर दिया था। बाद में प्रबुद्ध महान्यायवादी (06 मई 2013) द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हुये इसके अनुसरण प्रतिवेदनों (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2014) में तथा बाद में इसे साक्ष्य मानते हुये समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि करों की वापसी के रूप में ब्याज भुगतान के लिये राजस्व विभाग के पास संविधान के अनुच्छेद 114 एवं 115 (1) (अ) के अंतर्गत पूर्व

अनुमोदन एवं अनुच्छेद 115 (1) (ब) के अंतर्गत संसद का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस विषय पर पी ए सी के रुख तथा सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस प्रकरण पर बार-बार आ रही टिप्पणियों के बावजूद वापसी पर ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान न करना तथा इस हेतु संसद का अनुमोदन न लिये जाने का संव्यवहार वित्त वर्ष 20 में भी बना रहा।

विभाग ने अपने नवीन उत्तरों (जनवरी 2021 एवं फरवरी 2021) में मुख्यतः 06 मई 2013 की प्रबुद्ध महान्यायवादी के परामर्श के आधार पर दोहराना जारी रखा है कि अतिरिक्त कर एवं उस पर ब्याज की वापसी अनुच्छेद 112 के अर्थ के अन्तर्गत एक व्यय नहीं है। यह भी इंगित किया है कि उपरोक्त उल्लेखित प्रबुद्ध महान्यायवादी के परामर्श के आधार पर, विभाग ने वित्त मंत्री के अनुमोदन से पी ए सी (15वीं लोकसभा) की 96वीं प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया है।

यद्यपि, उपरोक्त के सन्दर्भ में यह दोहराया जाता है कि अपनी अनुशंसा देते हुये पी ए सी पहले ही प्रबुद्ध महान्यायवादी के परामर्श को विचारित चुकी थी तथा नोट किया कि प्रबुद्ध महान्यायवादी ने अभिसाक्ष्य दिया था कि “एक परामर्श अन्ततः एक परामर्श होता है तथा यह निर्णय समिति को लेना है कि सही प्रक्रिया क्या है”।


3.9.4 रेल मंत्रालय के अंतर्गत अस्वीकृत व्यय

भारतीय रेल द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों से अधिक किया गया व्यय, विस्तृत प्राक्कलनों के बिना किया गया व्यय तथा अतिरिक्त अधिक भुगतान आदि क्षेत्रीय रेलवे प्रशासन द्वारा आपत्ति पुस्तकों में दर्ज किये जाते हैं तथा इन्हें अस्वीकृत व्यय माना जाता है। वित्त वर्ष 20 में भारतीय रेल द्वारा 3426 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए ₹4,999.87 करोड़ का अस्वीकृत व्यय किया गया, जबकि वित्त वर्ष 19 में 3464 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए अस्वीकृत व्यय ₹5,003 करोड़ था। इस प्रकार स्थिति को सुधारने के लिये कोई भी उपाय नहीं किये गये थे।

3.10 सरकार की प्रतिक्रिया


यह प्रतिवेदन जनवरी/ फरवरी/ मार्च 2021 में सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय एवं लेखा महानियंत्रक के साथ, उनकी टिपण्णी हेतु, साझा की गयी थी। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से भी उनसे सम्बन्धित विषयों पर प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी। मंत्रालयों/ विभागों/ लेखा महानियंत्रक से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

नई दिल्ली
दिनांक: 14 जुलाई 2021


(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.1
(पैराग्राफ 3.1.1 के संदर्भ में)
प्राधिकरण एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/विनियोग | अनुपूरक अनुदान/विनियोग | कुल | वास्तविक संवितरण | बचत (-) आधिक्य (+) |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| क - सिविल | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| राजस्व | 17,88,907.74 | 96,111.21 | 18,85,018.95 | 16,87,279.89 | (-)1,97,739.06 |
| पूँजीगत (ऋण व अग्रिम के साथ) | 3,68,488.58 | 20,721.56 | 3,89,210.14 | 3,09,748.68 | (-)79,461.46 |
| कुल | 21,57,396.32 | 1,16,832.77 | 22,74,229.09 | 19,97,028.57 | (-)2,77,200.52 |
| प्रभारित | | | | | |
| राजस्व | 8,01,080.15 | 3,612.74 | 8,04,692.89 | 7,86,454.31 | (-)18,238.58 |
| पूँजी (ऋण, अग्रिम व लोक ऋण सहित) | 60,03,175.68 | 3,68,560.92 | 63,71,736.60 | 63,51,406.60 | (-)20,330.00 |
| कुल | 68,04,255.83 | 3,72,173.66 | 71,76,429.49 | 71,37,860.91 | (-)38,568.58 |
| कुल योग | 89,61,652.15 | 4,89,006.43 | 94,50,658.58 | 91,34,889.48 | (-)3,15,769.10 |
| व्यय को कम करने वाली वसूलियां | | | 4,43,930.18 | 3,60,293.53 | |
| कुल निविल प्रावधान | | | 90,06,728.40 | | |
| कुल निविल व्यय | | | | 87,74,595.95 | |
| ख - डाक | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| राजस्व | 30,411.20 | 1,099.39 | 31,510.59 | 29,139.65 | (-)2,370.94 |
| पूँजीगत | 947.74 | -- | 947.74 | 730.56 | (-)217.18 |
| कुल | 31,358.94 | 1,099.39 | 32,458.33 | 29,870.21 | (-)2,588.12 |
| प्रभारित | | | | | |
| राजस्व | 0.80 | -- | 0.80 | 0.09 | (-)0.71 |
| पूँजीगत | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुल | 0.80 | -- | 0.80 | 0.09 | (-)0.71 |
| कुल योग | 31,359.74 | 1,099.39 | 32,459.13 | 29,870.30 | (-)2,588.83 |
| व्यय को कम करने वाली वसूलियां | | | 857.35 | 768.40 | |
| कुल निविल प्रावधान | | | 31,601.78 | | |
| कुल निविल व्यय | | | | 29,101.90 | |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

| व्यय की प्रकृति | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान/विनियोग | कुल | वास्तविक संवितरण | बचत (-) आधिक्य (+) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| ग - रक्षा सेवाएं | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| राजस्व | 2,22,254.47 | 3,997.67 | 2,26,252.14 | 2,23,196.47 | (-)3,055.67 |
| पूंजीगत | 1,03,310.96 | 6,988.46 | 1,10,299.42 | 1,11,000.73 | (+)701.31 |
| कुल | 3,25,565.43 | 10,986.13 | 3,36,551.56 | 3,34,197.20 | (-)2,354.36 |
| प्रभारित | | | | | |
| राजस्व | 102.92 | 2.33 | 105.25 | 44.36 | (-)60.89 |
| पूंजीगत | 83.35 | 11.55 | 94.90 | 91.70 | (-)3.20 |
| कुल | 186.27 | 13.88 | 200.15 | 136.06 | (-)64.09 |
| कुल योग | 3,25,751.70 | 11,000.01 | 3,36,751.71 | 3,34,333.26 | (-)2,418.45 |
| व्यय को कम करने वाली वसूलियां | | | 13,569.68 | 7,943.55 | |
| | | कुल निविल प्रावधान | 3,23,182.03 | | |
| | | कुल निविल व्यय | | 3,26,389.71 | |
| घ - रेलवे | | | | | |
| दत्तमत | | | | | |
| राजस्व | 2,72,235.40 | -- | 2,72,235.40 | 2,28,445.37 | (-)43,790.03 |
| पूंजीगत | 2,27,394.24 | 0.02 | 2,27,394.26 | 2,14,557.30 | (-)12,836.96 |
| कुल | 4,99,629.64 | 0.02 | 4,99,629.66 | 4,43,002.67 | (-)56,626.99 |
| प्रभारित | | | | | |
| राजस्व | 474.28 | -- | 474.28 | 418.91 | (-)55.37 |
| पूंजीगत | 36.31 | 817.49 | 853.80 | 791.95 | (-)61.85 |
| कुल | 510.59 | 817.49 | 1,328.08 | 1,210.86 | (-)117.22 |
| कुल योग | 5,00,140.23 | 817.51 | 5,00,957.74 | 4,44,213.53 | (-)56,744.21 |
| व्यय को कम करने वाली वसूलियां | | | 2,15,168.92 | 1,99,546.72 | |
| | | कुल निविल प्रावधान | 2,85,788.82 | | |
| | | कुल निविल व्यय | | 2,44,666.81 | |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| कुल | | | | | | |
|--|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| कुल सी | दत्तमत | 30,13,950.33 | 1,28,918.31 | 31,42,868.64 | 28,04,098.65 | (-)3,38,769.99 |
| एफ आई | प्रभारित | 68,04,953.49 | 3,73,005.03 | 71,77,958.52 | 71,39,207.92 | (-)38,750.60 |
| सी एफ आई का कुल योग | | 98,18,903.82 | 5,01,923.34 | 103,20,827.16 | 99,43,306.57 | (-)3,77,520.59 |
| व्यय को कम करने वाली वसूलियां | | | | 6,73,526.13 | 5,68,552.20 | |
| विनियोग लेखे के अनुसार कुल प्रावधान व व्यय | | | | 96,47,301.03 | 93,74,754.37 | |
| वित्तीय लेखे से भिन्नता | | | | | -- | |
| वित्तीय लेखे के अनुसार सी एफ आई से कुल संवितरण | | | | | 93,74,754.37 | |

नोट: प्रभारित व दत्तमत व्यय के प्रावधानों को क्रमशः विनियोग एवं अनुदान कहा जाता है।

सी एफ आई-भारत की समेकित निधि

अनुलग्नक 3.2
(पैराग्राफ 3.2.2 के संदर्भ में)
₹100 करोड़ या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

| क्रम.स. | अनुदान/विनियोग सं. तथा विवरण | संस्वीकृत प्रावधान | बचत | संस्वीकृत प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत |
|------------------------|--|--------------------|-----------|--|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | |
| 1. | 1-कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | 1,30,450.60 | 35,952.80 | 27.56 |
| 2. | 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग | 8,078.79 | 233.80 | 2.89 |
| 3. | 4-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय | 2,445.61 | 612.01 | 25.02 |
| 4. | 8-नागर विमानन मंत्रालय | 4,475.01 | 849.56 | 18.98 |
| 5. | 9-कोयला मंत्रालय | 1,159.06 | 336.06 | 28.99 |
| 6. | 12-डाक विभाग | 31,510.59 | 2,370.94 | 7.52 |
| 7. | 13-दूरसंचार विभाग | 30,693.65 | 4,301.21 | 14.01 |
| 8. | 14-उपभोक्ता मामले विभाग | 2,240.34 | 311.40 | 13.90 |
| 9. | 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 1,90,914.29 | 76,983.15 | 40.32 |
| 10. | 17-संस्कृति मंत्रालय | 2,953.24 | 518.74 | 17.57 |
| 11. | 19-रक्षा सेवाएं (राजस्व) | 2,26,252.14 | 3,055.67 | 1.35 |
| 12. | 22-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | 2,316.89 | 292.88 | 12.64 |
| 13. | 23-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 1,765.07 | 144.68 | 8.20 |
| 14. | 24-इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 6,306.04 | 774.34 | 12.28 |
| 15. | 25-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 2,998.25 | 424.45 | 14.16 |
| 16. | 26- विदेश मंत्रालय | 16,511.21 | 445.03 | 2.70 |
| 17. | 27-आर्थिक कार्य विभाग | 3,803.48 | 327.89 | 8.62 |
| 18. | 29-वित्तीय सेवाएं विभाग | 1,678.99 | 643.58 | 38.33 |
| 19. | 32-प्रत्यक्ष कर | 7,218.40 | 263.02 | 3.64 |
| 20. | 33-अप्रत्यक्ष कर | 7,493.15 | 233.36 | 3.11 |
| 21. | 37-पेंशन | 51,179.90 | 1,413.32 | 2.76 |
| 22. | 38-राज्यों को अंतरण | 32,480.01 | 6,285.93 | 19.35 |
| 23. | 39-मत्स्यपालन विभाग | 790.59 | 130.41 | 16.50 |
| 24. | 40-पशुपालन एवं डेयरी विभाग | 3,319.68 | 194.31 | 5.85 |
| 25. | 41-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 1,196.62 | 351.08 | 29.34 |
| 26. | 42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 90,145.37 | 23,569.81 | 26.15 |
| 27. | 43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 3,424.67 | 1,563.69 | 45.66 |
| 28. | 46-गृह मंत्रालय | 16,803.88 | 173.42 | 1.03 |
| 29. | 48-पुलिस | 94,998.38 | 484.46 | 0.51 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------|-------|
| 30. | 56-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | 35,421.34 | 12,467.77 | 35.20 |
| 31. | 57-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग | 1,02,597.83 | 15,077.00 | 14.70 |
| 32. | 58-उच्चतर शिक्षा विभाग | 52,058.90 | 17,227.26 | 33.09 |
| 33. | 59-सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 4,361.68 | 333.61 | 7.65 |
| 34. | 60-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | 7,890.16 | 710.27 | 9.00 |
| 35. | 61-पेय जल और स्वच्छता विभाग | 27,766.73 | 1,750.16 | 6.30 |
| 36. | 62-श्रम और रोजगार मंत्रालय | 11,151.70 | 1,097.29 | 9.84 |
| 37. | 66-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 6,984.29 | 281.88 | 4.04 |
| 38. | 67-खान मंत्रालय | 1,717.98 | 332.68 | 19.36 |
| 39. | 68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | 4,600.01 | 254.91 | 5.54 |
| 40. | 69-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 5,209.85 | 1,718.71 | 32.99 |
| 41. | 70-पंचायती राज मंत्रालय | 871.37 | 373.10 | 42.82 |
| 42. | 74-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 43,834.55 | 1,593.91 | 3.64 |
| 43. | 76-विद्युत मंत्रालय | 19,534.36 | 891.77 | 4.57 |
| 44. | 78-लोक सभा | 807.83 | 158.29 | 19.59 |
| 45. | 82-रेलवे मंत्रालय | 2,72,235.40 | 43,790.03 | 16.09 |
| 46. | 83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 21,619.84 | 3,321.11 | 15.36 |
| 47. | 84-ग्रामीण विकास विभाग | 2,07,774.04 | 2,951.81 | 1.42 |
| 48. | 85-भू-संसाधन विभाग | 2,227.24 | 692.12 | 31.08 |
| 49. | 86-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 5,564.10 | 160.34 | 2.88 |
| 50. | 87-जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 2,580.35 | 221.58 | 8.59 |
| 51. | 89-पोत परिवहन मंत्रालय | 2,071.23 | 424.85 | 20.51 |
| 52. | 90-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | 2,926.13 | 604.43 | 20.66 |
| 53. | 91-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | 8,430.04 | 146.63 | 1.74 |
| 54. | 92-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 1,163.71 | 148.45 | 12.76 |
| 55. | 94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 5,216.35 | 306.97 | 5.88 |
| 56. | 96-वस्त्र मंत्रालय | 4,800.62 | 399.45 | 8.32 |
| 57. | 97-पर्यटन मंत्रालय | 2,189.23 | 790.02 | 36.09 |
| 58. | 99-महिला और बाल विकास मंत्रालय | 29,664.93 | 6,485.33 | 21.86 |
| राजस्व (प्रभारित) | | | | |
| 59. | 35-ब्याज अदायगियां | 6,73,470.60 | 18,098.59 | 2.69 |
| पूंजीगत (दत्तमत) | | | | |
| 60. | 3-परमाणु ऊर्जा | 9,579.69 | 120.92 | 1.26 |
| 61. | 12-डाक विभाग | 947.74 | 217.18 | 22.92 |
| 62. | 15-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 51,326.14 | 50,083.03 | 97.58 |
| 63. | 26- विदेश मंत्रालय | 1,373.56 | 167.68 | 12.21 |
| 64. | 27-आर्थिक कार्य विभाग | 24,779.14 | 12,051.05 | 48.63 |
| 65. | 33-अप्रत्यक्ष कर | 406.87 | 131.42 | 32.30 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------------|-------|
| 66. | 42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 2,945.23 | 146.00 | 4.96 |
| 67. | 48-पुलिस | 10,811.91 | 1,894.10 | 17.52 |
| 68. | 56-आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | 19,551.89 | 292.74 | 1.50 |
| 69. | 74-पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 1,667.31 | 1,095.72 | 65.72 |
| 70. | 76-विद्युत मंत्रालय | 3,365.93 | 873.42 | 25.95 |
| 71. | 82-रेलवे मंत्रालय | 2,27,394.26 | 12,836.96 | 5.65 |
| 72. | 83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 1,44,986.82 | 11,124.20 | 7.67 |
| पूँजीगत (प्रभारित) | | | | |
| 73. | 36-ऋण पुर्नअदायगी | 63,46,389.00 | 19,840.23 | 0.31 |
| 74. | 38-राज्यों को अन्तरण | 25,100.00 | 432.06 | 1.72 |
| कुल | | | 4,07,358.03 | |

अनुलग्नक 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

| क्रम. सं. | अनुदान सं. | लघु / उप-शीर्ष | अनुपूरक प्रावधान | बचत |
|-----------|------------|---|------------------|----------|
| 1 | 12 | 3201.07.101.01 - अधिवर्षिता और सेवानिवृति भत्ते | 11.05 | 327.92 |
| 2 | 16 | 3451.00.090.05 - कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय | 11.33 | 23.78 |
| 3 | 19 | 2076.00.103-वेतन एवं भत्ते और सहायक बल के विविध व्यय | 60.00 | 203.71 |
| 4 | 19 | 2076.00.104- नागरिकों के वेतन और भत्ते | 100.00 | 496.12 |
| 5 | 19 | 2076.00.109-निरीक्षण संगठन | 84.00 | 199.71 |
| 6 | 19 | 2076.00.111-कार्य | 14.42 | 182.45 |
| 7 | 19 | 2076.00.113-राष्ट्रीय कैडेट कोर | 11.80 | 66.53 |
| 8 | 19 | 2077.00.104- नागरिकों के वेतन और भत्ते | 94.93 | 338.04 |
| 9 | 19 | 2077.00.112- संयुक्त स्टॉफ | 89.72 | 417.78 |
| 10 | 20 | 4076.01.103- अन्य उपकरण | 154.51 | 853.51 |
| 11 | 20 | 4076.08.209-निर्माण प्रक्रिया के तहत आदिप्ररूप विकास के लिए सहायता | 33.50 | 79.83 |
| 12 | 27 | 3466.00.109.01- एशियाई विकास निधि (ए डी एफ) में अंशदान | 12.36 | 12.37 |
| 13 | 27 | 5466.00.207.02- मूल्य दायित्व का रखरखाव (एम ओ वी) | 858.02 | 958.02 |
| 14 | 27 | 5466.00.212.01- यूरोपियन बैंक के पुनर्निर्माण व विकास (ई बी आर डी) के लिए अभिदान | 28.00 | 28.00 |
| 15 | 27 | 7610.00.201.01- मंत्रालयों और केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन | 25.00 | 58.45 |
| 16 | 31 | 2052.00.090.11- राजस्व विभाग | 17.10 | 23.31 |
| 17 | 40 | 2404.00.102.23- श्वेत क्रान्ति | 18.63 | 47.97 |
| 18 | 48 | 2055.00.103.01- स्थापना व प्रशासन | 35.35 | 368.73 |
| 19 | 71 | 2052.00.090.13- संसदीय कार्य मंत्रालय | 23.24 | 23.72 |
| 20 | 74 | 2802.02.800.02- भारत का गैस प्राधिकरण-फुलपुर धमरा हल्दीया पाइप लाइन परियोजना | 345.51 | 1,552.11 |
| 21 | 83 | 5054.01.337.06- केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधान के बिना केन्द्र प्रशासित सरकार | 63.82 | 86.09 |
| 22 | 89 | 5051.02.200.01- भूमि देने की सुविधाएं व जैटीज का निर्माण | 13.40 | 26.56 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | | |
|----|-----|---|----------|----------|
| 23 | 93 | 5402.00.101.07- लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर (एल पी एस सी) | 20.00 | 35.73 |
| 24 | 93 | 5402.00.101.48- ईसरो प्रोपल्सन कॉम्पलेक्स (आई पी आर सी) | 25.21 | 66.29 |
| 25 | 100 | 2204.00.103.01- युवा छात्रावास | 18.00 | 18.97 |
| | | कुल | 2,168.90 | 6,495.70 |

अनुलग्नक 3.4

(पैराग्राफ 3.4 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों का पुनर्विनियोग जो उपयोग ना करने के कारण विवेकहीन थे
(₹10 करोड़ और अधिक का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

| अनुदान/विनियोग | लघु /उप-शीर्ष | शीर्ष के लिए पुनर्विनियोगित राशि | शीर्ष के तहत अन्तिम बचत |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 12 - डाक विभाग | 3201.07.107.01 - पारिवारिक पेंशन | 55.95 | 63.82 |
| 19-रक्षा सेवाएं (राजस्व) | 2076.00.111-कार्य | 109.47 | 291.92 |
| | 2080.00.800-अन्य व्यय | 10.07 | 14.04 |
| 27- आर्थिक कार्य विभाग | 3605.00.800.07- इंडो-जर्मन द्विपक्षीय विकास सहकारिता | 11.05 | 21.06 |
| 33- अप्रत्यक्ष कर | 2037.00.101.01- समुद्र सीमा शुल्क-मुख्य बंदरगाह | 17.39 | 43.82 |
| | 4216.01.108.04- सीमा शुल्क और सी जी एस टी आयुक्तालय के लिए आवासीय भवनों का निर्माण | 10.40 | 20.80 |
| 35- ब्याज अदायगीयां | 2049.03.104.01- सामान्य भविष्य निधि | 928.04 | 1,064.48 |
| | 2049.60.101.02- राष्ट्रीय रक्षा निधि | 10.59 | 18.44 |
| | 2049.60.701.05- आई एम एफ से उधार के लिए नए समझौते पर ब्याज | 15.65 | 27.83 |
| 37- पेंशन | 2071.01.101.01- साधारण पेंशन | 905.00 | 1,015.90 |
| | 2071.01.104.04- साधारण पेंशन (ए आई एस) | 10.00 | 17.26 |
| 42- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 2210.01.789.01- आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण | 11.00 | 162.00 |
| | 2210.01.796.02- आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी एम जे ए वाई) - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण | 22.00 | 81.00 |
| 63- विधि और न्याय | 4070.00.101.01- चुनाव आयोग के लिए ई वी एम | 50.00 | 50.04 |
| कुल | | 2166.61 | 2,892.41 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.5

(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्रम. सं. | लघु/उप शीर्ष | कुल प्रावधान | वास्तविक व्यय | अंतिम आधिक्य व्यय |
|---|---|--------------|---------------|-------------------|
| अनुदान संख्या-12 - डाक विभाग | | | | |
| 1 | 3201.02.101.01 - मौजूदा डाक कार्यालय | 8,323.34 | 8,479.94 | 156.60 |
| 2 | 3201.02.101.10 - ग्रामीण डाक सेवक | 5,129.50 | 5,167.46 | 37.96 |
| 3 | 3201.02.102.01 - डाक छटाई | 1,406.84 | 1,438.53 | 31.69 |
| 4 | 3201.02.103.01 - रेल | 84.00 | 130.02 | 46.02 |
| 5 | 3201.07.101.03 - पूर्ववर्ती संयुक्त पी एंड टी विभाग के पेंशनरों को भुगतान | 21.40 | 57.86 | 36.46 |
| 6 | 3201.07.104.01 - उपदान | 727.99 | 908.01 | 180.02 |
| 7 | 3201.07.110.01 - लेखापरीक्षा स्टाफ को छोड़कर, निर्धारित अंशदान पेंशन योजना हेतु सरकार का अंशदान | 488.20 | 521.36 | 33.16 |
| 8 | 3201.60.102.02 - अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा निधि पर ब्याज | 0.00 | 38.26 | 38.26 |
| अनुदान संख्या-13 - दूरसंचार विभाग | | | | |
| 9 | 2071.01.104.01- साधारण पेंशन | 2,079.77 | 2,259.76 | 179.99 |
| 10 | 2071.01.105.02- पारिवारिक पेंशन | 1,775.80 | 1,839.17 | 63.37 |
| 11 | 3275.00.103.01- सेवाप्रदाता को क्षतिपूर्ति | 2,797.00 | 2,854.47 | 57.47 |
| अनुदान संख्या-18 - रक्षा मंत्रालय (सिविल) | | | | |
| 12 | 2052.00.090.56- सीमा सड़क संगठन | 2,608.16 | 2,733.75 | 125.59 |
| 13 | 2055.00.104.02- जम्मू कश्मीर लाईट इंफेन्ट्री (जे ए के एल आई) के संबंध में प्रभारों का भुगतान | 1,388.95 | 1,449.27 | 60.32 |
| अनुदान संख्या-19 - रक्षा सेवाएं (राजस्व) | | | | |
| 14 | 2077.00.105-परिवहन | 542.71 | 614.74 | 72.03 |
| 15 | 2077.00.106-मरम्मत एवं दुरुस्त | 1,699.80 | 1,848.16 | 148.36 |
| 16 | 2077.00.110- भंडार | 5,884.18 | 6,139.88 | 255.70 |
| 17 | 2077.00.800- अन्य व्यय | 771.87 | 822.04 | 50.17 |
| 18 | 2078.00.101- वायु सेना के वेतन और भत्ते | 15,337.54 | 15,458.27 | 120.73 |
| 19 | 2078.00.110- भंडार | 9,758.83 | 9,841.00 | 82.17 |
| अनुदान संख्या-20 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | | | |
| 20 | 4076.02.103-अन्य उपकरण | 3,600.00 | 4,011.90 | 411.90 |
| 21 | 4076.02.202-निर्माण कार्य | 1,000.00 | 1,073.04 | 73.04 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|
| 22 | 4076.02.204-नौसैनिक बेड़ा | 15,483.06 | 16,002.42 | 519.36 |
| 23 | 4076.02.205- नौसैनिक डॉकयार्ड | 4,012.00 | 4,336.61 | 324.61 |
| 24 | 4076.03.101-ऐयर क्राफ्ट और एयरो-इंजन | 23,326.52 | 23,449.47 | 122.95 |
| 25 | 4076.03.103-अन्य उपकरण | 18,395.93 | 18,434.67 | 38.74 |
| अनुदान संख्या- 21- रक्षा पेंशन | | | | |
| 26 | 2071.02.101.01- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 95,124.38 | 95,159.94 | 35.56 |
| 27 | 2071.02.103.03- छुट्टी नकदीकरण | 799.69 | 846.46 | 46.77 |
| अनुदान संख्या- 31 - राजस्व विभाग | | | | |
| 28 | 3601.08.797.02- वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण | 1,12,200.00 | 1,43,897.00 | 31,697.00 |
| 29 | 3602.08.797.02- वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में स्थानांतरण | 8,298.29 | 10,013.29 | 1,715.00 |
| विनियोग संख्या- 35 - ब्याज भुगतान | | | | |
| 30 | 2049.01.122- 1.4.99 से लघु बचतों निवल संग्रहण के प्रति जारी भारत सरकार की संघ सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज | 20,598.12 | 21,822.89 | 1,224.77 |
| 31 | 2049.01.130- स्वर्ण मुद्राकरण योजना पर ब्याज, 2015 | 65.00 | 134.84 | 69.84 |
| 32 | 2049.01.305- ऋण प्रबंधन | 2,086.82 | 2,127.91 | 41.09 |
| 33 | 2049.03.104.02 अन्य राज्यों की भविष्य निधि | 4,313.54 | 6,286.26 | 1,972.72 |
| विनियोग संख्या- 36 - ऋण का पुर्नभुगतान | | | | |
| 34 | 6001.00.105.02- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष | 4,723.10 | 5,086.20 | 363.10 |
| 35 | 6002.00.217- जापान सरकार से ऋण | 5,893.15 | 5,939.04 | 45.89 |
| अनुदान संख्या- 37 - पेंशन | | | | |
| 36 | 2071.01.115.01- साधारण पेंशन | 2,150.00 | 2,203.70 | 53.70 |
| 37 | 2071.01.120.01- दिल्ली एन सी टी सरकार से वसूली योग्य पेंशन प्रभार | 2,713.00 | 2,788.66 | 75.66 |
| अनुदान संख्या- 42 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | | | | |
| 38 | 2210.05.105.33- क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जे आई पी एम ई आर) पुदुचेरी | 864.61 | 932.54 | 67.93 |
| 39 | 3601.06.789.13- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 181.63 | 237.39 | 55.76 |
| 40 | 4210.03.797.02- केन्द्रीय सड़क व अवसंरचना (सी आर ई एफ) निधि से सहयोग | 1,087.30 | 1,132.33 | 45.03 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| अनुदान संख्या- 84 - ग्रामीण विकास विभाग | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 41 | 2505.02.797.01- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में हस्तांतरण | 71,001.81 | 71,687.71 | 685.90 |
| 42 | 3602.06.797.04 - केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में हस्तांतरण | 5.00 | 353.00 | 348.00 |
| कुल | | | | 41,810.39 |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.6

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

वित्त वर्ष के अंतिम दिन में बचत का अभ्यर्पण तथा गैर अभ्यर्पण

(₹करोड़ में)

| क्रम सं. | अनुदान संख्या और विवरण | कुल बचत | कुल अभ्यर्पित | अंतिम दिन पर अभ्यर्पित राशि | राशि अभ्यर्पित नहीं की गई |
|----------|--|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | 01-कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग | 35,973.85 | 34,517.70 | 34,517.70 | 1,456.15 |
| 2. | 04-आयुष मंत्रालय | 612.22 | 588.76 | 588.76 | 23.46 |
| 3. | 09-कोयला मंत्रालय | 336.06 | 336.05 | 336.05 | 0.01 |
| 4. | 12-झाक विभाग | 2,588.83 | 2,422.00 | -- | 166.83 |
| 5. | 17-संस्कृति मंत्रालय | 541.99 | 495.35 | 495.35 | 46.64 |
| 6. | 27-आर्थिक कार्य विभाग | 12,378.93 | 7,672.48 | 7,672.48 | 4,706.45 |
| 7. | 29-वित्तीय सेवाएं विभाग | 650.51 | 648.14 | 124.10 | 2.37 |
| 8. | 32-प्रत्यक्ष कर | 337.72 | 244.80 | 244.80 | 92.92 |
| 9. | 33-अप्रत्यक्ष कर | 365.26 | 110.79 | -- | 254.47 |
| 10. | 36-ऋण पुर्नअदायगी | 19,840.23 | -- | -- | 19,840.23 |
| 11. | 37-पेंशन | 1,432.56 | -- | -- | 1,432.56 |
| 12. | 38-राज्यों को अंतरण | 6,718.00 | 5,876.00 | 5,876.00 | 842.00 |
| 13. | 42-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 23,715.81 | 22,492.24 | 22,492.24 | 1,223.57 |
| 14. | 43-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 1,563.69 | 1,490.62 | 1,490.62 | 73.07 |
| 15. | 48-पुलिस | 2,387.35 | 1,616.18 | 171.76 | 771.17 |
| 16. | 57-विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग | 15,077.00 | 3,909.30 | 3,909.30 | 11,167.70 |
| 17. | 58-उच्चतर शिक्षा विभाग | 17,242.27 | 1,278.49 | 1,278.49 | 15,963.78 |
| 18. | 61-पेयजल और स्वच्छता विभाग | 1,750.16 | 1,752.09* | 1,752.09 | -- |
| 19. | 62-श्रम और रोजगार मंत्रालय | 1,104.21 | 1,018.63 | 1,018.63 | 85.58 |
| 20. | 66-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 293.77 | 285.35 | 285.35 | 8.42 |
| 21. | 67-खान मंत्रालय | 358.87 | 354.69 | 354.69 | 4.18 |
| 22. | 68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | 254.93 | 251.82 | 251.82 | 3.11 |
| 23. | 74-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 2,689.63 | 1,139.13 | 90.87 | 1,550.50 |
| 24. | 76-विद्युत मंत्रालय | 1,765.19 | 1,763.83 | 1763.83 | 1.36 |
| 25. | 83-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | 14,455.31 | 12,513.00 | 12,513.00 | 1,942.31 |
| 26. | 84-ग्रामीण विकास विभाग | 3,039.29 | 440.21 | 440.21 | 2,599.08 |
| 27. | 85-भू-संसाधन विभाग | 692.12 | 692.64* | 6.13 | -- |
| 28. | 90-कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | 631.41 | 585.58 | 585.58 | 45.83 |
| 29. | 91-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग | 146.66 | 139.08 | 139.08 | 7.58 |
| 30. | 92-दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | 188.74 | 188.74 | 188.74 | -- |
| 31. | 94-सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 311.78 | 311.21 | 311.21 | 0.57 |
| 32. | 96-वस्त्र मंत्रालय | 402.14 | 357.67 | 357.67 | 44.47 |
| 33. | 99-महिला और बाल विकास मंत्रालय | 6,490.10 | 6,465.46 | 6,465.46 | 24.64 |
| | | | कुल | 1,05,722.01 | 64,381.01 |

*बचत से ज्यादा अभ्यर्पित राशि।

अनुलग्नक 3.7

(पैराग्राफ 3.8.1 के संदर्भ में)

वस्तु शीर्ष का मुख्य शीर्ष के साथ गलत प्रयोग

| अनुदान का विवरण | मुख्य शीर्ष | मद शीर्ष | व्यय (₹ करोड़ में) | विभाग/मंत्रालय का उत्तर |
|------------------------|-------------|----------|--------------------|---|
| 03-परमाणु ऊर्जा विभाग | 2852 | 51/52/60 | 16.76 | <p>विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि व्यय भले ही पूंजीगत प्रकृति का प्रतीत हो रहा हो वास्तव में प्रचालनात्मक व अनुरक्षण प्रभारों से सम्बन्धित था, इसलिए इसे तदानुसार राजस्व खंड में दर्ज कर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि राजस्व प्रकृति के व्यय को पूंजीगत परियोजनाओं के निष्पादन के लिये माना गया था तथा इसलिये तदनुसार वर्गीकृत किया गया था।</p> <p>यह भी कहा गया था कि विभाग को डी एफ पी आर के दायरे (परीधि) से छूट प्राप्त थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने परमाणु ऊर्जा विभाग को सलाह दी थी (सितम्बर 2017) कि वह विस्तारित नियमों के अनुरूप राजस्व व पूंजीगत व्यय तथा सम्बन्धित मद शीर्ष की पुनः परिभाषा निर्धारित करें।</p> |
| | 3401 | 51/52 | 10.21 | |
| | 4801 | 21 | 1.26 | |
| | 4861 | 21 | 2,147.85 | |
| | 5401 | 21 | 320.15 | |
| 89-पोत परीवहन मंत्रालय | 5052 | 13 | 8.90 | <p>मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2020) कि डी जी शिपिंग मुम्बई की एल आर आई टी परियोजना के सम्बंध में सूचना प्रोद्योगिकी व्यय गलती से राजस्व खंड (3052.80.001.01.01.13), में दर्ज किया गया था बाद में इसे पूंजीगत खंड (5052.80.800.09.99.13) के तहत हस्तांतरण प्रविष्टी द्वारा पुनः दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मद शीर्ष-13 (कार्यालय व्यय) में अपेक्षित है कि इसका उपयोग राजस्व मुख्य शीर्ष के साथ किया जाये और मंत्रालय अनुदान के पूंजीगत खंड में मद शीर्ष 52 (मशीनरी व उपस्कर) के अन्तर्गत व्यय का प्रावधान करे तथा दर्ज करे।</p> |
| | | | 2,505.13 | |

अनुलग्नक 3.8

(पैराग्राफ 3.8.2 के संदर्भ में)

राजस्व व पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

| क्रम सं. | अनुदान | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---------------------------|-----------------------|
| पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण | | |
| 1. | 93- अंतरिक्ष विभाग | 2.92 |
| <p>राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन पी एल) दिल्ली से समय व आवृत्ति का पता लगाने की क्षमता में सहायता प्राप्त करने में पी ए ओ आई एस टी आर ए सी द्वारा किया गया ₹2.92 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के सही मद शीर्ष 30-अन्य संविदात्मक सेवायें (3402.00.101.26.00.30) के तहत दर्ज करने के बजाय पूंजीगत खंड में मद शीर्ष 52-मशीनरी व उपस्कर (5402.00.101.18.00.52) के अंतर्गत दर्ज किया गया था।</p> <p>विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि मद कोड प्रविष्टि में गलत कार्य के कारण त्रुटि हुई थी तथा भविष्य में अनुपालन हेतु टिप्पणी पर ध्यान दिया जायेगा।</p> | | |
| राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण | | |
| 1. | 82-रेलवे | 1.12 |
| <p>उत्तरी रेलवे में सामग्री लागत में ₹1.12 करोड़ का व्यय पूंजीगत प्रमुख शीर्ष -5002 and 5003 (लघु शीर्ष 2100-रोलिंग स्टॉक) के बजाय गलती से राजस्व मुख्य शीर्ष -3002 और 3003, उप मुख्य शीर्ष में दर्ज किया था।</p> | | |
| 2. | 82-रेलवे | 1.36 |
| <p>दक्षिण मध्य रेलवे में कार्य प्रभारित पद के वेतन एवं भत्ते पूंजीगत मुख्य शीर्ष -5002 and 5003 के बजाय राजस्व मुख्य शीर्ष- 3002 व 3003, में गलती से दर्ज किये गये थे।</p> | | |
| 3. | 82-रेलवे | 1.38 |
| <p>रेलवे पटरी के नवीकरण के सम्बंध में कार्य की लागत को पूंजीगत मुख्य शीर्ष 5002 व 5003 (लघु शीर्ष 3100-पटरी नवीकरण) के बजाय राजस्व मुख्य शीर्ष 3002 व 3003 उप मुख्य शीर्ष-06 में गलती से दर्ज किया गया था।</p> | | |
| 4. | 93-अंतरिक्ष विभाग | 44.74 |
| <p>नौ प्रकरणों में, कुल ₹44.74 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के अन्तर्गत मद शीर्ष 21-आपूर्ति एवं सामग्री के तहत गलती से दर्ज किया गया था, जिसे विस्तारित आदेशों में पूंजीगत खंड के अन्तर्गत मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय में दर्ज किया जाना चाहिये था।</p> <p>विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि वर्तमान में क्षमताओं, प्रेरकों व खपत योग्य आदि को बढ़ाने के लिये विकसित गतिविधियों पर व्यय किया गया था तथा इसलिए मद शीर्ष 21-आपूर्ति व सामग्री के तहत दर्ज किया गया था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अंतरिक्ष विभाग के आदेशानुसार (अप्रैल 2007), सैटेलाइट के प्रकरण में जिसको एक वर्ष से अधिक जीवन है (प्रत्येक सैटेलाइट के लिये लांच सेवा शामिल) की आपूर्ति व सामग्री से संबंधित व्यय मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।</p> | | |

संघ सरकार के वित्त वर्ष 20 के लेखों पर
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

| क्रम सं. | अनुदान | राशि (₹ करोड़ में) |
|----------|-------------------|-----------------------|
| 5. | 93-अंतरिक्ष विभाग | 3.51 |

दो प्रकरणों में, कुल ₹3.51 करोड़ का व्यय राजस्व खंड के अंतर्गत मद शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के तहत गलती से बुक किया गया था जिसे विस्तारित आदेशों के अंतर्गत पूंजीगत खंड के तहत मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय में दर्ज किया जाना चाहिये था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि वर्तमान की क्षमताओं, प्रेरकों व खपत योग्य आदि को बढ़ाने के लिये विकसित गतिविधियों पर व्यय किया गया था और इसीलिये मद शीर्ष 50-अन्य प्रभारों के तहत दर्ज किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अंतरिक्ष विभाग के आदेशानुसार (अप्रैल 2007), सैटेलाइट के प्रकरण में जिसको एक वर्ष से अधिक जीवन है (प्रत्येक सैटेलाइट के लिये लांच सेवा शामिल) की आपूर्ति व सामग्री से संबंधित व्यय मद शीर्ष 60-अन्य पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

©भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in